"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 169] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 15 मार्च 2022 — फाल्गुन 24, शक 1943

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 15 मार्च, 2022 (फाल्गुन 24, 1943)

क्रमांक – 3552/वि.स./विधान/2022. – छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 3 सन् 2022) जो मंगलवार, दिनांक 15 मार्च, 2022 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./–

(चन्द्र शेखर गंगराड़े)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 3 सन् 2022)

छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2022

छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) को और संशोधित करने हेतु विधेयक।

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2022 कहलायेगा।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

धारा 2 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 2 में,–

(एक) उप–धारा (1) के खण्ड (ख) के उप–खण्ड (तीन) में, शब्द ''फलोद्यान लगाना तथा उनका समारक्षण'' के पूर्व, शब्द एवं चिन्ह ''वाणिज्यिक वृक्षारोपण,'' अंतःस्थापित किया जाये।

(दो) उप–धारा (1) के खंण्ड (न) के उप–खण्ड (एक) में, शब्द एवं अंक "धारा 188 के उपबंधों के अनुसार मौरूसी कृषक द्वारा अपने भूमिस्वामी को, या" का लोप किया जाये।

(तीन) उप–धारा (1) के खण्ड (प) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

''(प) ''राजस्व अधिकारी'' से अभिप्रेत है धारा 11 में उल्लिखित राजस्व अधिकारी;''

(चार) उप–धारा (1) के खण्ड (म) का लोप किया जाये।

(पांच) उप–धारा (1) के खण्ड (य–5) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

''(य–6) ''विकास योजना'' का वही अर्थ होगा, जो छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) में परिभाषित है।''

3. मूल अधिनियम की धारा 11 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:– **धारा 11 का संशोधन.**

''**11. राजस्व पदाधिकारी.**– राजस्व पदाधिकारियों के निम्नलिखित वर्ग होंगे, अर्थात्:–

(1) आयुक्त भू–अभिलेख;

(2) अपर आयुक्त भू–अभिलेख;

(3) आयुक्त;

(4) अपर आयुक्त;

(5) कलेक्टर एवं जिला सर्वेक्षण अधिकारी;

(6) अपर कलेक्टर;

(7) उपखण्ड अधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)) एवं उप सर्वेक्षण अधिकारी;

(8) सहायक कलेक्टर;

(9) संयुक्त कलेक्टर;

(10) डिप्टी कलेक्टर;

(11) तहसीलदार एवं सहायक सर्वेक्षण अधिकारी;

(12) अपर तहसीलदार(अतिरिक्त तहसीलदार);

(13) अधीक्षक, भू–अभिलेख;

(14) नायब तहसीलदार; एवं

(15) सहायक अधीक्षक भू–अभिलेख।''

4. मूल अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (3) का लोप किया जाये। **धारा 13 का संशोधन.**

धारा 22 का संशोधन.

5. मूल अधिनियम की धारा 22 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"22. **उपखण्ड अधिकारी**.– कलेक्टर, किसी एक या अधिक सहायक कलेक्टर या संयुक्त कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर को जिले के एक या एक से अधिक उपखण्डों का भारसाधक बना सकेगा, जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे, जैसा कि इस संहिता द्वारा विहित किया जाये अथवा इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन उपखण्ड अधिकारी को प्रदत्त या अधिरोपित किये गये हैं।"

धारा 33 का संशोधन.

6. मूल अधिनियम की धारा 33 की उप–धारा (1) में, अंक "41" के स्थान पर, अंक "258" प्रतिस्थापित किया जाये।

धारा 40 का संशोधन.

7. मूल अधिनियम की धारा 40 में, शब्द "इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार" का लोप किया जाये।

धारा 41 का संशोधन.

8. मूल अधिनियम की धारा 41 का लोप किया जाये।

धारा 44 का संशोधन.

9. मूल अधिनियम की धारा 44 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"44. **अपील तथा अपील प्राधिकारी,**– (1) उस स्थिति को छोड़कर, जहां अन्यथा उपबंधित किया गया है, इस संहिता या इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन पारित प्रत्येक मूल आदेश की अपील–

(क) यदि ऐसा आदेश, उपखण्ड अधिकारी के अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी के द्वारा पारित किया गया है, तो उपखण्ड अधिकारी को होगी;

(ख) यदि ऐसा आदेश, उप सर्वेक्षण अधिकारी के अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी के द्वारा पारित किया गया है, तो उप सर्वेक्षण अधिकारी को होगी;

(ग) यदि ऐसा आदेश, उपखण्ड अधिकारी के द्वारा पारित किया गया है, तो कलेक्टर को होगी;

(घ) यदि ऐसा आदेश, उप सर्वेक्षण अधिकारी के द्वारा पारित किया गया है, तो जिला सर्वेक्षण अधिकारी को होगी;

(ड.) यदि ऐसा आदेश, किसी ऐसे राजस्व अधिकारी के द्वारा पारित किया गया है, जिसके संबंध में धारा 12 की उप–धारा (3) या धारा 21 के अधीन निर्देश दिया गया हो, तो ऐसे राजस्व अधिकारी को होगी, जिसे राज्य सरकार निर्देश दे;

(च) यदि ऐसा आदेश, कलेक्टर के द्वारा पारित किया गया है, तो आयुक्त को होगी;

(छ) यदि ऐसा आदेश, जिला सर्वेक्षण अधिकारी के द्वारा पारित किया गया है, तो आयुक्त, भू–अभिलेख को होगी;

(ज) यदि ऐसा आदेश, आयुक्त या आयुक्त, भू–अभिलेख के द्वारा पारित किया गया है, तो राजस्व मण्डल को होगी।

(2) अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस संहिता या इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन प्रथम अपील में पारित प्रत्येक आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील–

(क) यदि ऐसा आदेश, उपखण्ड अधिकारी या उप सर्वेक्षण अधिकारी या कलेक्टर या जिला सर्वेक्षण अधिकारी के द्वारा पारित किया गया

है, तो आयुक्त को होगी;

(ख) यदि ऐसा आदेश, आयुक्त या आयुक्त, भू–अभिलेख के द्वारा पारित किया गया है, तो राजस्व मण्डल को होगी।''

(3) द्वितीय अपील निम्नलिखित आधारों पर होगी,–

(क) यदि मूल आदेश को, प्रथम अपील में खर्चे के मामले के अतिरिक्त अन्य मामले में, परिवर्तित किया गया हो, उलट दिया गया हो; या

(ख) यदि आदेश, विधि या विधि का प्रभाव रखने वाली प्रथा के प्रतिकूल हो; या

(ग) यदि आदेश द्वारा, विधि या विधि का प्रभाव रखने वाली प्रथा संबंधी किसी सारवान विवाद्यक का अवधारण नहीं हो सका है; या

(घ) यदि संहिता द्वारा यथा विहित प्रक्रिया में ऐसी सारवान गलती या त्रुटि हुई है, जिससे गुणागुण के आधार पर मामले के विनिश्चय में गलती या त्रुटि उत्पन्न हो।

(4) पुनर्विलोकन में, फेरफार करते हुए या उसे उलटते हुए पारित किया गया कोई आदेश, उसी रीति में अपीलनीय होगा, जिस रीति में मूल आदेश अपीलनीय होता है।''

धारा 45 का संशोधन.

10. मूल अधिनियम की धारा 45 का लोप किया जाये।

धारा 50 का संशोधन.

11. मूल अधिनियम की धारा 50 की उप–धारा (1) में,–

(1) जहां कहीं भी शब्द ''बंदोबस्त आयुक्त'' आया हो के स्थान पर, शब्द ''आयुक्त, भू–अभिलेख'' प्रतिस्थापित किया जाये।

(2) जहां कहीं भी शब्द ''बंदोबस्त अधिकारी '' आया हो के

स्थान पर, शब्द ''जिला सर्वेक्षण अधिकारी'' प्रतिस्थापित किया जाये।

धारा 51 का संशोधन.

12. मूल अधिनियम की धारा 51 की उप–धारा (1) के परन्तुक के खण्ड (एक) में,–

(1) जहां कहीं भी शब्द ''बंदोबस्त आयुक्त'' आया हो के स्थान पर, शब्द ''आयुक्त, भू–अभिलेख'' प्रतिस्थापित किया जाये।

(2) जहां कहीं भी शब्द ''बंदोबस्त अधिकारी'' आया हो के स्थान पर, शब्द ''जिला सर्वेक्षण अधिकारी'' प्रतिस्थापित किया जाये।

धारा 59 का संशोधन.

13. मूल अधिनियम की धारा 59 की उप–धारा (2) के प्रथम परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

''परन्तु राज्य शासन, नवीन सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट सीमा तक छूट उल्लिखित शर्तों के तहत दे सकेगी ।''

अध्याय 7 के शीर्षक एवं उप–शीर्षक 'क' का संशोधन.

14. — मूल अधिनियम के अध्याय 7 में,–

(1) शीर्षक ''नगरेतर क्षेत्रों में राजस्व सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त'' के स्थान पर, शब्द ''भू–सर्वेक्षण तथा भू–राजस्व निर्धारण'' प्रतिस्थापित किया जाये।

(2) उप–शीर्षक ''क.–अध्याय का लागू होना तथा राजस्व सर्वेक्षण और/या बन्दोबस्त के संचालन हेतु अधिकारी'' के स्थान पर, शब्द ''क–अधिकारी'' प्रतिस्थापित किया जाये।

धारा 61 का संशोधन.

15. मूल अधिनियम की धारा 61 का लोप किया जाये।

धारा 62 का संशोधन.

16. मूल अधिनियम की धारा 62 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"**62. आयुक्त, भू–अभिलेख की नियुक्ति.**– राज्य सरकार, आयुक्त भू–अभिलेख की नियुक्ति कर सकेगी, जो राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में जारी किए गये निर्देश के अध्यधीन रहते हुए, भू–सर्वेक्षण तथा भू–अभिलेखों का प्रबंधन एवं नियंत्रण करेगा।"

धारा 63 का संशोधन.

17. मूल अधिनियम की धारा 63 में,–

(1) जहां कहीं भी शब्द "अपर बंदोबस्त आयुक्त" आया हो के स्थान पर, शब्द "अपर आयुक्त, भू–अभिलेख" प्रतिस्थापित किया जाये।

(2) जहां कहीं भी शब्द "बंदोबस्त आयुक्त" आया हो के स्थान पर, शब्द "आयुक्त, भू–अभिलेख" प्रतिस्थापित किया जाये।

धारा 64 का संशोधन.

18. मूल अधिनियम की धारा 64 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"**64. जिला सर्वेक्षण अधिकारी, उप सर्वेक्षण अधिकारी तथा सहायक सर्वेक्षण अधिकारी की नियुक्ति.**– (1) ऐसी भूमियों के संबंध में, जो कि भू–सर्वेक्षण के अध्यधीन है,–

(क) जिले का कलेक्टर, जिला सर्वेक्षण अधिकारी होगा;

(ख) जिले का अपर कलेक्टर, कलेक्टर के लिखित आदेश दिये जाने पर आवंटित क्षेत्र के लिये जिला सर्वेक्षण अधिकारी के रुप में कार्य कर सकेगा;

(ग) उपखण्ड का उपखण्ड अधिकारी, उस उपखण्ड के लिए, उप सर्वेक्षण अधिकारी होगा;

(घ) तहसीलदार, अपर तहसीलदार या नायब तहसीलदार अपने–अपने क्षेत्राधिकार के भीतर, सहायक सर्वेक्षण अधिकारी होंगे।

(2) समस्त जिला सर्वेक्षण अधिकारी, आयुक्त भू–अभिलेख के अधीनस्थ होंगे।

(3) जिले में समस्त उप सर्वेक्षण अधिकारी तथा सहायक सर्वेक्षण अधिकारी, जिला सर्वेक्षण अधिकारी के अधीनस्थ होंगे।

(4) उप–खण्ड में समस्त सहायक सर्वेक्षण अधिकारी, उप सर्वेक्षण अधिकारी के अधीनस्थ होंगे।''

धारा 65 का संशोधन.

19. मूल अधिनियम की धारा 65 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

''**65. जिला सर्वेक्षण अधिकारी, उप सर्वेक्षण अधिकारी तथा सहायक सर्वेक्षण अधिकारी की शक्तियां.**– (1) ऐसी भूमियों के संबंध में, जो कि भू–सर्वेक्षण के अध्यधीन है, इस संहिता के अधीन कलेक्टर, उपखण्ड अधिकारी या तहसीलदार की शक्तियां, क्रमशः जिला सर्वेक्षण अधिकारी, उप सर्वेक्षण अधिकारी या सहायक सर्वेक्षण अधिकारी में निहित होगी।

(2) राज्य सरकार, इस संहिता के अधीन जिला सर्वेक्षण अधिकारी की समस्त एवं किन्हीं भी शक्तियों को उप सर्वेक्षण अधिकारी या सहायक सर्वेक्षण अधिकारी में निहित कर सकेगी।''

अध्याय 7 के उप–शीर्षक 'ख' का संशोधन.

20. मूल अधिनियम के अध्याय 7 में, उप–शीर्षक ''ख.–राजस्व सर्वेक्षण'' के स्थान पर, शब्द ''ख–भू–सर्वेक्षण'' प्रतिस्थापित किया जाये।

धारा 66 का संशोधन.

21. मूल अधिनियम की धारा 66 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"**66. भू–सर्वेक्षण की परिभाषा.**– "भू–सर्वेक्षण" से अभिप्रेत है निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कोई एक या एक से अधिक या समस्त क्रियाकलाप, अर्थात्:–

(1) भूमि का सर्वेक्षण संख्यांकों/भू–खण्ड संख्यांकों में विभाजन, विद्यमान सर्वेक्षण संख्यांकों/भू–खण्ड संख्यांकों को मान्य करना, उन्हें पुनर्गठित करना अथवा नवीन सर्वेक्षण संख्यांक/भू–खण्ड संख्यांक विरचित करना;

(2) भूमि का नक्शा तैयार करना या यथास्थिति, उसका पुनरीक्षण करना या उसमें सुधार करना;

(3) अधिकार अभिलेख तैयार करना;

(4) यथास्थिति, प्रत्येक सर्वेक्षण संख्यांक/भूखण्ड संख्यांक वाली क्षेत्र पुस्तिका (फील्ड बुक) तैयार करना;

(5) कोई अन्य अभिलेख तैयार करना, जैसा कि विहित किया जाये।"

धारा 67 का संशोधन.

22. मूल अधिनियम की धारा 67 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"**67. प्रस्थापित भू–सर्वेक्षण की अधिसूचना.**– (1) जिला सर्वेक्षण अधिकारी, अपने प्रभार के संपूर्ण या किसी भी क्षेत्र में भू–सर्वेक्षण, राजपत्र में उस आशय की एक अधिसूचना प्रकाशित करके, प्रारंभ कर सकेगा।

(2) उप–धारा (1) के अधीन अधिसूचित भूमियां, उक्त अधिसूचना की तारीख से, तब तक भू–सर्वेक्षण के अध्यधीन समझी जायेगी, जब तक कि ऐसे भू–सर्वेक्षण को समाप्त किये जाने की घोषणा करने

वाली अधिसूचना, जिला सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा जारी न कर दी जाये।

(3) निम्नांकित परिस्थितियों में जिला सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा भू–सर्वेक्षण किया जायेगा :–

(क) राज्य शासन के निर्देश पर;

(ख) गत सर्वेक्षण को 30 वर्ष पूर्ण होने पर;

(ग) संदर्भ नक्शा जीर्ण–शीर्ण या अनुपलब्ध होने पर ;

(घ) ऐसे अन्य परिस्थितियां, जो जिला सर्वेक्षण अधिकारी उचित समझे।''

धारा 68 का संशोधन.

23. मूल अधिनियम की धारा 68 में,–

(1) शब्द ''बंदोबस्त अधिकारी'' के स्थान पर, शब्द "जिला सर्वेक्षण अधिकारी" प्रतिस्थापित किया जाये।

(2) शब्द ''राजस्व सर्वेक्षण'' के स्थान पर, शब्द ''भू–सर्वेक्षण'' प्रतिस्थापित किया जाये।

धारा 69 का संशोधन.

24. मूल अधिनियम की धारा 69 में, शब्द "बंदोबस्त अधिकारी" के स्थान पर, शब्द "जिला सर्वेक्षण अधिकारी" प्रतिस्थापित किया जाये।

धारा 70 का संशोधन.

25. मूल अधिनियम की धारा 70 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

''**70. सर्वेक्षण संख्यांकों को पुनर्क्रमांकित या उप–विभाजित या समामेलित करने की शक्ति.**– (1) जिला सर्वेक्षण अधिकारी, भूमि में अधिकारों के अर्जन की दृष्टि से या किसी अन्य कारण से, सर्वेक्षण संख्यांकों को पुनर्क्रमांकित कर सकेगा एवं उन्हें उतने खण्डों में विभाजित कर सकेगा, जितने कि अपेक्षित हो, एवं एक से अधिक सर्वेक्षण संख्यांकों को एकल सर्वेक्षण संख्यांक में समामेलित कर सकेगा।

(2) किसी सर्वेक्षण संख्यांक का विभाजन या किसी सर्वेक्षण संख्यांकों का समामेलन, इस संहिता के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(3) जब कभी सर्वेक्षण संख्यांकों को पुनर्क्रमांकित किया जाये, तो जिला सर्वेक्षण अधिकारी, इस संहिता के अधीन तैयार किये गये या संधारित किये गये समस्त अभिलेखों में प्रविष्टियों में सुधार करेगा।''

धारा 72 का संशोधन.

26. मूल अधिनियम की धारा 72 में, शब्द ''बंदोबस्त अधिकारी'' के स्थान पर, शब्द ''जिला सर्वेक्षण अधिकारी'' प्रतिस्थापित किया जाये।

धारा 73 का संशोधन.

27. मूल अधिनियम की धारा 73 में, जहां कहीं शब्द ''बंदोबस्त अधिकारी'' आया हो के स्थान पर, शब्द ''जिला सर्वेक्षण अधिकारी'' प्रतिस्थापित किया जाये।

धारा 74 का संशोधन.

28. मूल अधिनियम की धारा 74 में, शब्द ''राजस्व सर्वेक्षण'' के स्थान पर, शब्द ''भू–सर्वेक्षण'' प्रतिस्थापित किया जाये।

अध्याय 7 के उप–शीर्षक 'ग' का संशोधन.

29 मूल अधिनियम के अध्याय 7 में, उप–शीर्षक ''ग.–किराये का निर्धारण'' के स्थान पर, शब्द ''ग–भू–राजस्व निर्धारण'' प्रतिस्थापित किया जाये।

धारा 76 का संशोधन.

30. मूल अधिनियम की धारा 76 का लोप किया जाये।

धारा 77 का संशोधन.

31. मूल अधिनियम की धारा 77 की उप–धारा (1) तथा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

''77. **निर्धारण दरों का नियत किया जाना.**– (1) जिला सर्वेक्षण अधिकारी, राज्य शासन द्वारा निर्धारित दर के अनुसार प्रत्येक सर्वेक्षण संख्यांक/भूखण्ड संख्यांक

या उनके खण्डों के लिए भू–राजस्व का निर्धारण करेगा।

(2) जहाँ कोई खाता, कई सर्वेक्षण संख्यांकों/भूखण्ड संख्यांकों से मिलकर बना हो, वहाँ जिला सर्वेक्षण अधिकारी, प्रत्येक सर्वेक्षण संख्यांक/भूखण्ड संख्यांक के लिए प्रयोज्य भू–राजस्व का पृथक–पृथक निर्धारण करेगा।''

धारा 79 का संशोधन.

32. मूल अधिनियम की धारा 79 का लोप किया जाये।

धारा 80 का संशोधन.

33. मूल अधिनियम की धारा 80 में,–

(1) शब्द ''बंदोबस्त अधिकारी'' के स्थान पर, शब्द ''जिला सर्वेक्षण अधिकारी'' प्रतिस्थापित किया जाये।

(2) शब्द ''बंदोबस्त'' के स्थान पर, शब्द ''भू–राजस्व निर्धारण'' प्रतिस्थापित किया जाये।

धारा 82 का संशोधन.

34. मूल अधिनियम की धारा 82 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

''**82. भू–राजस्व निर्धारण का प्रभावशील होना.–** जब किसी भूमि के भू–राजस्व का निर्धारण, धारा 77 एवं 81 के अनुसार नियत कर दिया गया हो, तो ऐसा निर्धारण, आगामी राजस्व वर्ष से प्रभावशील होगा तथा इस प्रकार किया गया निर्धारण, जब तक उसे इस संहिता के या किसी अन्य विधि के उपबंधों के अनुसार, परिवर्तित न कर दिया गया हो, प्रभावशील रहेगा।''

धारा 83 का संशोधन.

35. मूल अधिनियम की धारा 83 का लोप किया जाये।

धारा 84 का संशोधन.

36. मूल अधिनियम की धारा 84 में, शब्द ''बंदोबस्त'' के स्थान पर, शब्द ''भू–राजस्व निर्धारण'' प्रतिस्थिापित किया जाये।

धारा 85 का संशोधन.

37. मूल अधिनियम की धारा 85 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"**85. भू–राजस्व निर्धारण की अवधि.**– (1) जिला सर्वेक्षण अधिकारी के द्वारा की गई निर्धारण की अवधि, सामान्यतः 30 वर्ष की होगी।

(2) विशेष परिस्थितियों में, कारण उल्लिखित करते हुए, राज्य सरकार, संपूर्ण क्षेत्र या किसी क्षेत्र विशेष के लिए भू–राजस्व के निर्धारण में परिवर्तन के निर्देश, 30 वर्ष के पूर्व भी, जिला सर्वेक्षण अधिकारी को दे सकेगी, किन्तु ऐसा निर्देश भी, भू–राजस्व के निर्धारण के 15 वर्ष के पूर्व नहीं दिया जा सकेगा।

(3) किसी भूमि पर किये गये निर्धारण की अवधि समाप्त होने के उपरांत, उस भूमि के भू–राजस्व को पुनरीक्षित करने की अधिकारिता उपखण्ड अधिकारी को होगी।

(4) इस बात के होते हुए भी कि किसी क्षेत्र विशेष में भू–राजस्व निर्धारण की अवधि का अवसान हो चुका है, उसके सम्बन्ध में, यदि नया निर्धारण नहीं किया गया हो, तो यह समझा जायेगा कि भू–राजस्व की दर, आगामी भू–राजस्व निर्धारण तक वही रहेगी। "

धारा 86 एवं 87 का संशोधन.

38. मूल अधिनियम की धारा 86 एवं 87 का लोप किया जाये।

धारा 88 का संशोधन.

39. मूल अधिनियम की धारा 88 में,–

(1) जहां कहीं भी शब्द "बंदोबस्त अधिकारी" आया हो के स्थान पर, शब्द "जिला सर्वेक्षण अधिकारी" प्रतिस्थापित किया जाये।

(2) शब्द "राजस्व सर्वेक्षण" के स्थान पर, शब्द "भू–सर्वेक्षण"

प्रतिस्थापित किया जाये।

धारा 89 का संशोधन.

40. मूल अधिनियम की धारा 89 में,–

(1) शब्द ''राजस्व सर्वेक्षण'' के स्थान पर, शब्द ''भू–सर्वेक्षण'' प्रतिस्थापित किया जाये।

(2) शब्द ''बंदोबस्त'' के स्थान पर, शब्द ''भू–राजस्व निर्धारण'' प्रतिस्थापित किया जाये।

धारा 90 का संशोधन.

41. मूल अधिनियम की धारा 90 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

''**90. भू–सर्वेक्षण समाप्त होने के उपरांत कलेक्टर की शक्तियां.**– भू–सर्वेक्षण समाप्त होने के उपरांत धारा 68, 72, 73, एवं 77 के अधीन जिला सर्वेक्षण अधिकारी की शक्तियां, जिला कलेक्टर को होगी।''

धारा 91 एवं 91–क का संशोधन.

42. मूल अधिनियम की धारा 91 तथा धारा 91–क के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

''**91. भू–सर्वेक्षण समाप्त होने के उपरांत तहसीलदार की शक्तियां.**–भू–सर्वेक्षण समाप्त होने के उपरांत धारा 69 एवं 70 के अधीन जिला सर्वेक्षण अधिकारी की शक्तियां, तहसीलदार को होगी।

91–क. नियम बनाने की शक्ति.– राज्य सरकार, इस संहिता के अधीन साधारणतः भू–सर्वेक्षण या भू–राजस्व निर्धारण के संचालन का विनियमन करने के लिए नियम बना सकेगी।''

धारा 92 का संशोधन.

43. मूल अधिनियम की धारा 92 की उप–धारा (2) के स्पष्टीकरण के खण्ड (दो) में, शब्द ''बंदोबस्त'' के स्थान पर, शब्द ''भू–राजस्व निर्धारण'' प्रतिस्थापित किया जाये।

धारा 94 का संशोधन.

44. मूल अधिनियम की धारा 94 की उप–धारा (2) के परन्तुक में, शब्द ''बंदोबस्त'' के स्थान पर, शब्द ''भू–राजस्व निर्धारण' प्रतिस्थापित किया जाये।

धारा 101 का संशोधन.

45. मूल अधिनियम की धारा 101 में, जहां कही भी शब्द ''बंदोबस्त'' आया हो के स्थान पर, शब्द ''भू–राजस्व निर्धारण'' प्रतिस्थापित किया जाये।

धारा 107 का संशोधन.

46. मूल अधिनियम की धारा 107 में,–

(1) जहां कहीं भी शब्द ''खेत का नक्शा'' आया हो के स्थान पर, शब्द ''भूमि का नक्शा'' प्रतिस्थापित किया जाये।

(2) उप–धारा (5) में, शब्द ''बंदोबस्त अधिकारी'' के स्थान पर, शब्द ''जिला सर्वेक्षण अधिकारी'' प्रतिस्थापित किया जाये।

(3) उप–धारा (5) में, शब्द ''राजस्व सर्वेक्षण'' के स्थान पर, शब्द ''भू–सर्वेक्षण'' प्रतिस्थापित किया जाये।

धारा 108 का संशोधन.

47. मूल अधिनियम की धारा 108 में,–

(1) उप–धारा (1) में, शब्द ''ग्राम'' के पश्चात्, शब्द ''एवं नगरीय क्षेत्र'' अन्तःस्थापित किया जाये।

(2) उप–धारा (1) के खण्ड (ख) में, शब्द ''मौरूसी कृषकों तथा'' का लोप किया जाये।

(3) उप–धारा (2) में, शब्द ''राजस्व सर्वेक्षण'' के स्थान पर, शब्द ''भू–सर्वेक्षण'' प्रतिस्थापित किया जाये।

धारा 110 का संशोधन.

48. मूल अधिनियम की धारा 110 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

''**110. भू–अभिलेखों में अधिकार अर्जन बाबत नामांतरण.**–(1) पटवारी, अधिकार के प्रत्येक ऐसे अर्जन को, जिसकी रिपोर्ट उसे धारा 109 के अधीन की गई हो या जो ऑनलाइन माध्यम या किसी अन्य स्त्रोत से प्राप्त सूचना पर उसकी जानकारी में आये, उस ऑनलाइन ई–नामांतरण पोर्टल में दर्ज करेगा, जो कि उस प्रयोजन के लिए विहित किया गया है।

(2) यथास्थिति, पटवारी, अधिकार अर्जन संबंधी समस्त ऐसी रिपोर्ट, जो कि उप–धारा (1) के

अधीन उसे प्राप्त हुई हो, ऐसी रीति से तथा ऐसे प्ररूप में, जैसा कि विहित किया जाये, राज्य सरकार द्वारा विहित समयावधि में तहसीलदार को प्रज्ञापित करेगा।

(3) धारा 109 के अधीन प्रज्ञापना के प्राप्त होने पर या ऑनलाइन माध्यम से या किसी अन्य स्त्रोत से ऐसे अधिकार अर्जन की प्रज्ञापना के प्राप्त होने पर, तहसीलदार विहित समयावधि के भीतर,–

(क) ऑनलाइन ई–नामांतरण पोर्टल में नामांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ करेगा;

(ख) हितबद्ध समस्त पक्षकारों को नोटिस जारी करेगा;

(ग) आम सूचना या इश्तहार का प्रकाशन कार्यालयीन सूचना पटल, संबंधित ग्राम/नगर में निर्धारित स्थान एवं विभागीय वेबपोर्टल पर करेगा।

(4) किसी प्रकरण में आपत्ति प्राप्त होने पर या तहसीलदार को प्रकरण, किसी कारण से विवादित प्रतीत होने पर, वह ऑनलाइन ई–नामांतरण पोर्टल से प्रकरण को अपने ई–राजस्व न्यायालय में स्थानांतरित कर पंजीकृत करेगा, अन्यथा प्रकरण में समस्त कार्यवाही ऑनलाइन ई–नामांतरण पोर्टल में की जायेगी।

(5) तहसीलदार, हितबद्ध व्यक्तियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् तथा ऐसी और जांच, जैसा कि वह आवश्यक समझे, करने के

पश्चात्, नामांतरण से संबंधित आदेश पारित करेगा तथा यथास्थिति, ग्राम के खसरे एवं नक्शा सहित ऐसे अन्य सुसंगत भू–अभिलेखों में आवश्यक प्रविष्टि करेगा। पटवारी, विहित समयावधि के भीतर अभिलेख में सुधार कर सत्यापित करेगा, तत्पश्चात् तहसीलदार प्रकरण नस्तीबद्ध करेगा।

(6) धारा 35 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन कोई भी मामला, किसी पक्षकार की अनुपस्थिति में खारिज नहीं किया जायेगा तथा गुणागुण क्रम में निपटाया जायेगा।

(7) पंजीकृत दस्तावेज के आधार पर, किसी भूमि पर नामांतरण के संबंध में इश्तहार का प्रकाशन एवं संबंधित हितबद्ध पक्षकारों को सूचना की तामीली उपरांत, कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं होने या पक्षकारों के अनुपस्थित रहने पर, प्रकरण में दस्तावेज के आधार पर, समुचित आदेश पारित किये जायेंगे।

(8) इस धारा के अधीन समस्त कार्यवाहियां, विहित समयावधि के भीतर पूर्ण की जायेंगी । उस दशा में, जहां मामले, विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर निराकृत नहीं किये जाते है, तो तहसीलदार, लंबित मामलों की जानकारी की रिपोर्ट, ऐसे प्ररूप तथा रीति में, जैसा कि विहित किया जाये, कलेक्टर को देगा।''

धारा 114 का संशोधन.

49. मूल अधिनियम की धारा 114 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

''**114. भू–अभिलेख.**– प्रत्येक ग्राम एवं नगरीय क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित भू–अभिलेख तैयार किये जायेंगे, अर्थात्:–

(क) धारा 107 के अधीन ग्राम/नगरीय क्षेत्र का नक्शा, आबादी का नक्शा तथा भूमि का नक्शा;

(ख) धारा 108 के अधीन अधिकार अभिलेख;

(ग) बी–1, खसरा/नजूल संधारण खसरा या क्षेत्र पुस्तक ऐसे प्ररूप में, जैसा कि विहित किया जाये;

(घ) धारा 114–क के अधीन किसान किताब;

(ड.) धारा 233 के अधीन समस्त दखल रहित भूमि के ब्यौरे;

(च) धारा 234 के अधीन निस्तार पत्रक;

(छ) धारा 242 के अधीन वाजिब–उल–अर्ज, यदि कोई हो;

(ज) सीमा एवं सीमा चिन्ह संबंधी पंजी;

(झ) व्यपवर्तित की गई भूमि के ब्यौरे;

(ञ) अतिक्रमण पंजी;

(ट) कोई अन्य अभिलेख, जैसा कि विहित किया जाये।"

धारा 115 का संशोधन.

50. मूल अधिनियम की धारा 115 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"**115. भू–अभिलेख में गलत या अशुद्ध प्रविष्टि का शुद्धिकरण.**– (1) उपखण्ड अधिकारी, स्वप्रेरणा से या व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर, किसान–किताब तथा अधिकार अभिलेख को छोड़कर, धारा 114 के अधीन तैयार किये गये भू–अभिलेखों में, अप्राधिकृत प्रविष्टियों को सम्मिलित करते हुए, गलत या अशुद्ध प्रविष्टि को, ऐसी जांच, जैसा कि वह उचित समझे, करने के पश्चात्, शुद्ध कर सकेगा और ऐसी शुद्धियां, उसके द्वारा अभिप्रमाणित की जायेंगी :

परन्तु यह कि कलेक्टर की लिखित मंजूरी के बिना, पांच वर्ष की कालावधि के पूर्व की किसी प्रविष्टि को, शुद्ध करने की कार्रवाई प्रारंभ नहीं की जायेगी।

(2) उप–धारा (1) के अधीन कोई आदेश,–

(क) संबंधित तहसीलदार से लिखित रिपोर्ट प्राप्त किये;

(ख) सभी हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिये;

बिना पारित नहीं किया जायेगा :

परन्तु यदि सरकार का हित निहित है, तो उपखण्ड अधिकारी, मामले को कलेक्टर को प्रस्तुत करेगा।

(3) उप–धारा (2) के अधीन मामले के प्राप्त होने पर, कलेक्टर, ऐसी जांच करेगा और ऐसा आदेश पारित करेगा, जैसा कि वह उचित समझे।"

धारा 116 का संशोधन.

51. मूल अधिनियम की धारा 116 का लोप किया जाये।

धारा 124 का संशोधन.

52. मूल अधिनियम की धारा 124 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"**124. सीमा चिन्हों का संन्निर्माण.**– (1) समस्त ग्रामों एवं नगरीय क्षेत्रों की सीमाएं नियत की जायेंगी तथा स्थायी सीमा चिन्हों द्वारा उनका सीमांकन किया जायेगा।

(2) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, आदेश दे सकेगी कि समस्त सर्वेक्षण संख्यांकों या भू–खण्ड संख्यांकों की भी सीमायें नियत की जाये तथा सीमा चिन्हों द्वारा

उनका सीमांकन किया जाये।''

53. मूल अधिनियम की धारा 125 में, जहां कहीं भी शब्द ''ग्रामों,'' आया हो के पश्चात्, शब्द ''नगरीय क्षेत्रों,'' अंतःस्थापित किया जाये। — धारा 125 का संशोधन.

54. मूल अधिनियम की धारा 134 में, शब्द ''पांच सौ रूपए'' के स्थान पर, शब्द ''पांच हजार रूपए'' प्रतिस्थापित किया जाये। — धारा 134 का संशोधन.

55. मूल अधिनियम की धारा 135 की उप–धारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:– — धारा 135 का संशोधन.

''(3) ऐसी भूमि के संबंध में देय प्रतिकर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का सं. 30) के अनुसार होगा।''

56. मूल अधिनियम की धारा 161 में, शब्द ''बंदोबस्त'' के स्थान पर, शब्द ''भू–राजस्व निर्धारण'' प्रतिस्थापित किया जाये। — धारा 161 का संशोधन.

57. मूल अधिनियम की धारा 165 में,– — धारा 165 का संशोधन.

(1) उप–धारा (1) में, शब्द एवं अंक ''धारा 168'' के पूर्व, शब्द एवं अंक ''धारा 158 और'' अन्तःस्थापित किया जाये।

(2) उप–धारा (4–क) का लोप किया जाये।

58. मूल अधिनियम की धारा 168 की उप–धारा (5) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:– — धारा 168 का संशोधन.

''(6) धारा 168 के उल्लंघन का दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरूद्ध, उपखण्ड अधिकारी, प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर रूपये पच्चीस हजार से अनधिक ऐसी राशि का, जैसा कि वह ठीक समझे, अर्थदण्ड अधिरोपित कर सकेगा।''

धारा 170–ख. का संशोधन.

59. मूल अधिनियम की धारा 170–ख की उप–धारा (3) के खण्ड (ख) में, शब्द एवं अंक ''भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का संख्यांक 1)'' के स्थान पर, शब्द एवं अंक ''भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का सं. 30)'' प्रतिस्थापित किया जाये।

धारा 172 का संशोधन.

60. मूल अधिनियम की धारा 172 की उप–धारा (4) में, शब्द ''एक हजार रूपये'' के स्थान पर, शब्द ''दस हजार रूपये'' प्रतिस्थापित किया जाये।

नवीन धारा 178–ख. का अन्तःस्थापन.

61. मूल अधिनियम की धारा 178–क के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

''178–ख. खाता विभाजन हेतु प्राप्त आवेदनों का निराकरण.–

(1) तहसीलदार, खाता विभाजन हेतु प्राप्त आवेदनों को सर्वप्रथम ई–नामांतरण पोर्टल में प्रविष्ट कर, हितबद्ध पक्षकारों को सूचना जारी करेगा एवं आम सूचना या ईश्तहार का प्रकाशन करेगा।

(2) किसी प्रकरण में आपत्ति प्राप्त होने पर या तहसीलदार को प्रकरण, किसी कारण से विवादित प्रतीत होने पर, वह ऑनलाइन ई–नामांतरण पोर्टल से प्रकरण को अपने ई–राजस्व न्यायालय में स्थानांतरित कर पंजीकृत करेगा, अन्यथा प्रकरण में समस्त कार्यवाही ऑनलाइन ई–नामांतरण पोर्टल में की जायेगी।

(3) इस धारा के अधीन किसी भी माध्यम से आवेदन प्राप्त होने पर, तहसीलदार विहित समयावधि के भीतर,–

(क) ऑनलाइन ई–नामांतरण पोर्टल में कार्यवाही प्रारंभ करेगा;

(ख) हितबद्ध समस्त पक्षकारों को नोटिस जारी करेगा;

(ग) आम सूचना या ईश्तहार का प्रकाशन, कार्यालयीन सूचना पटल, संबंधित ग्राम/नगर में निर्धारित स्थान एवं विभागीय वेबपोर्टल पर करेगा।

(4) तहसीलदार, हितबद्ध व्यक्तियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् तथा ऐसी और जांच, जैसा कि वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात्, प्रकरण में उस भाग के संबंध में आदेश पारित करेगा तथा यथास्थिति, ग्राम के खसरे एवं नक्शा सहित अन्य सुसंगत अभिलेखों में आवश्यक प्रविष्टि करेगा। पटवारी, विहित समयावधि के भीतर आवश्यकतानुसार अभिलेख में सुधार कर सत्यापित करेगा, तत्पश्चात् तहसीलदार, प्रकरण नस्तीबद्ध करेगा।

(5) इस धारा के अधीन समस्त कार्यवाहियां,, विहित समयावधि के भीतर पूर्ण की जायेगी । उस दशा में, जहां मामले, विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर निराकृत नहीं किये जाते है, तो तहसीलदार, लंबित मामलों की जानकारी की रिपोर्ट, ऐसे प्ररूप तथा रीति में, जैसा कि विहित किया जाये, कलेक्टर को देगा।"

धारा 184 का संशोधन.

62. मूल अधिनियम की धारा 184 का लोप किया जाये।

"अध्याय 14 : मौरूसी कृषक" का संशोधन.

63. मूल अधिनियम में, "अध्याय 14 : मौरूसी कृषक" एवं उससे संबंधित धारायें 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201 एवं 202 का लोप किया जाये।

धारा 203 का संशोधन.

64. मूल अधिनियम की धारा 203 में, शब्द "बंदोबस्त" के स्थान पर, शब्द "भू–राजस्व निर्धारण" प्रतिस्थापित किया जाये।

धारा 210 का संशोधन.

65. मूल अधिनियम की धारा 210 में, शब्द "बंदोबस्त आयुक्त" के स्थान पर, शब्द "आयुक्त, भू–अभिलेख" प्रतिस्थापित किया जाये।

धारा 222 का संशोधन.

66. मूल अधिनियम की धारा 222 की उप–धारा (3) का लोप किया जाये।

धारा 229 का संशोधन.

67. मूल अधिनियम की धारा 229 में, शब्द "ग्राम पंचायत को या जहां कोई ग्राम पंचायत गठित न की गई हो, वहां धारा 232 के उपबंधों के अनुसार गठित की गई किसी ग्राम सभा" के स्थान पर, शब्द "अन्य" प्रतिस्थापित किया जाये।

धारा 232 का संशोधन.

68. मूल अधिनियम की धारा 232 का लोप किया जाये।

धारा 233 का संशोधन.

69. मूल अधिनियम की धारा 233 में,–

(1) शब्द "ग्राम" के पश्चात्, शब्द "और नगरीय क्षेत्र" अन्तःस्थापित किया जाये।

(2) खड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–

"(ख) अधिसूचित विकास योजना, यदि कोई हो, में निर्धारित प्रयोजनों से असंगत प्रविष्टि नहीं की जायेगी।"

70. मूल अधिनियम की धारा 234 की उप–धारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:– **धारा 234 का संशोधन.**

"(4) छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्र. 1 सन् 1994) में यथा प्रावधानित ग्राम सभा द्वारा पारित संकल्प पर, कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन से तथा आवश्यक जांच पश्चात् उप–खण्ड अधिकारी, निस्तार पत्रक में संशोधन कर सकेगा।"

71. मूल अधिनियम की धारा 241 में,– **धारा 241 का संशोधन.**

(1) उप–धारा (4) में, जहां कहीं भी शब्द "कलेक्टर" आया हो के स्थान पर, शब्द "अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)" प्रतिस्थापित किया जाये।

(2) उप–धारा (5) में, शब्द "या घरेलू प्रयोजनों के लिए" के पश्चात्, शब्द एवं अंक "एक कैलेण्डर वर्ष में 02 घनमीटर की अधिकतम सीमा तक" अन्तःस्थापित किया जाये।

72. मूल अधिनियम की धारा 243 में, शब्द एवं अंक "भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का संख्यांक 1)" के स्थान पर, "शब्द एवं अंक "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का सं. 30)" प्रतिस्थापित किया जाये। **धारा 243 का संशोधन.**

73. मूल अधिनियम की धारा 246 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :– **धारा 246 का संशोधन.**

"246. आबादी में गृह स्थल धारण करने वाले व्यक्तियों का अधिकार.– प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व आबादी भूमि अंतर्गत कोई भूमि, विधि पूर्वक धारण करता है या इसके पश्चात् ऐसी भूमि को विधि पूर्वक अर्जित कर लेता है, ऐसी भूमि के संबंध में

भूमिस्वामी होगा। कब्जेदार ऐसी भूमि के संबंध में भूमि स्वामी होगा, जो कि राज्य शासन द्वारा ऐसे किसी आबादी या किसी अन्य दखल रहित भूमि में गृहस्थल के रूप में धारित भूमि के कब्जेदार को, किसी विधि/नियम के अधीन दिये गये भूमिस्वामित्व प्रमाणपत्र में वर्णित है।"

धारा 250 का संशोधन.

74. मूल अधिनियम की धारा 250 में,–

(1) उप–धारा (1) में, शब्द "मौरूसी कृषक और" का लोप किया जाये।

(2) उप–धारा (1–क) के खण्ड (क) एवं (ख) का लोप किया जाये।

(3) उप–धारा (3) में, शब्द "मौरूसी कृषक या" का लोप किया जाये।

धारा 252, 254 एवं 255 का संशोधन.

75. मूल अधिनियम की धारा 252, 254 एवं 255 का लोप किया जाये।

धारा 257 का संशोधन.

76. मूल अधिनियम की धारा 257 में,–

(1) खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"(ख) भू–सर्वेक्षण की अधिसूचना की विधिमान्यता या उसके प्रभाव या भू–राजस्व निर्धारण की अवधि के बारे में कोई प्रश्न;"

(2) खण्ड (ग) में, शब्द "बंदोबस्त अधिकारी" के स्थान पर, "जिला सर्वेक्षण अधिकारी" प्रतिस्थापित किया जाये।

(3) खण्ड (ढ), (ण), (त), (थ), (द), (ध), (न), (प) एवं (य–1) का लोप किया जाये।

77. मूल अधिनियम की धारा 258 की उप–धारा (2) में,– **धारा 258 का संशोधन.**

(1) खण्ड (एक) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

''(एक–क) धारा 13 के अधीन प्रस्थापना हेतु प्ररूप विहित करना;''

(2) खण्ड (चार) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

''(चार–क) धारा 63 की उप–धारा (2) के अधीन प्रयोग की जाने वाली शक्तियां एवं कर्तव्य विहित करना;''

(3) खण्ड (छः) में, शब्द ''उपखण्डों में विभाजन'' के पूर्व, शब्द ''समामेलन एवं'' अन्तःस्थापित किया जाये।

(4) खण्ड (ग्यारह) का लोप किया जाये।

(5) खण्ड (बारह) में, शब्द ''राजस्व सर्वेक्षण या बंदोबस्त'' के स्थान पर, शब्द ''भू–सर्वेक्षण या भू–राजस्व निर्धारण'' प्रतिस्थापित किया जाये।

(6) खण्ड (चौबीस) के उप–खण्ड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

''(ग) धारा 109 एवं 110 के प्रयोजन हेतु अधिकार के अर्जन की रिपोर्ट, प्रज्ञापना, नामांतरण पूर्व का स्केच, अभिस्वीकृति, नोटिस, प्रतिलिपि, शुल्क, लंबित मामलों की जानकारी एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की रीति एवं प्ररूप विनियमित करना;''

(7) खण्ड (अठ्ठाईस) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

''(अठ्ठाईस–क) धारा 126 के अधीन संक्षेपतः बेदखली की रीति;''

(8) खण्ड (छत्तीस) में, शब्द ''बंदोबस्त'' के स्थान पर, शब्द ''भू– राजस्व निर्धारण'' प्रतिस्थापित किया जाये।

(9) खण्ड (छत्तीस) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये. अर्थातः–

''(सैंतीस) ई–नामांतरण पोर्टल एवं ई–राजस्व न्यायालय पोर्टल में अपनाई जाने वाली प्रकिया;''

(10) खण्ड (चौवालिस) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

''(चौवालिस–क) धारा 178–क के अधीन भूमिस्वामी के जीवन काल में भूमि के विभाजन का विनियमन;''

(11) खण्ड (पैंतालीस) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात :–

''(छियालीस) (क) साधारणतः या किन्हीं विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में समन, सूचनाओं तथा अन्य आदेशिकाओं की डाक द्वारा या किसी अन्य रीति में तामील और ऐसी तामील का सबूत;

(ख) पक्षकारों तथा साक्षियों को समन करने की राजस्व अधिकारियों की शक्ति का विनियमन तथा साक्षियों के लिए व्ययों की मंजूरी;

(ग) मान्यता प्राप्त अभिकर्ताओं का, इस संहिता के अधीन की कार्यवाहियों में

उनके द्वारा की जाने–वाली उपसंजातियों, किये जाने वाले आवेदनों तथा किये जाने वाले कार्यों के बारे में विनियमन;

(घ) वह प्रक्रिया, जिसका अनुपालन जंगम तथा स्थावर संपत्तियों की कुर्की करने में किया जायेगा;

(ड.) विक्रयों को प्रकाशित करने, संचालित करने, अपास्त करने तथा उनकी पुष्टि करने के लिए प्रक्रिया तथा ऐसी कार्यवाहियों से संसक्त समस्त आनुषंगिक विषय;

(च) पशुधन तथा अन्य जंगम संपत्ति का, जब कि वह कुर्की के अधीन हो, अनुरक्षण तथा उसकी अभिरक्षा, ऐसे अनुरक्षण तथा ऐसी अभिरक्षा के लिए देय शुल्क, ऐसे पशुधन तथा संपत्ति का विक्रय, और ऐसे विक्रय के आगम;

(छ) अपीलों तथा अन्य कार्यवाहियों का समेकन;

(ज) ऐसे समस्त प्ररूप, रजिस्टर, पुस्तकें, प्रविष्टियां तथा लेखे, जो राजस्व न्यायालयों के कामकाज के संपादन के लिए आवश्यक या वांछनीय हों;

(झ) वह समय, जिसके भीतर, किसी अभिव्यक्त उपबंध के अभाव में अपीलें प्रस्तुत की जा सकेंगी या पुनरीक्षण के लिए आवेदन प्रस्तुत किये जा सकेंगे;

(ञ) किन्हीं भी कार्यवाहियों तथा उनके आनुषंगिक खर्चे;

(ट) कमीशन पर साक्षियों की परीक्षा और ऐसी परीक्षा के आनुषंगिक व्ययों का भुगतान;

(ठ) अर्जी–लेखकों का अनुज्ञापन और उनके आचरण का विनियम।''

(12) खण्ड (सैंतालीस), (अड़तालीस), (अड़तालीस–क), (उनचास), (पचास), (इक्यावन) एवं (छप्पन) का लोप किया जाये।

(13) खण्ड (पैंसठ) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

''(पैसठ–क) धारा 250 के उपबंधों को प्रभावी बनाने हेतु विनियमन;''

(14) खण्ड (सड़सठ) एवं (अड़सठ) का लोप किया जाये।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यतः, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि पर निवासरत व्यक्तियों को भूमिस्वामी अधिकार प्रदान करने हेतु केन्द्रीय क्षेत्रीय स्वामित्व योजना प्रारंभ की गई है। योजनान्तर्गत ग्रामीण आबादी क्षेत्रों का ड्रोन के माध्यम से सर्वे कर आबादी भूमि के गृह स्वामियों को अधिकार अभिलेख उपलब्ध कराया जायेगा, ताकि उन्हें बैंकों से ऋण एवं अन्य वित्तीय लाभों के लिए सहायता प्राप्त हो सके । स्वामित्व योजनान्तर्गत, आबादी भूमि के गृह स्वामियों को अधिकार अभिलेख प्रदान करने हेतु उक्त अभिलेखों को विधिक रूप दिया जाना आवश्यक है।

और यतः, राजस्व सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त की कार्यवाही प्रत्येक 30 वर्ष के उपरांत किये जाने के प्रावधान है। छत्तीसगढ़ में, वर्ष 1928–29, 1990–91, 1994–95, 1997–98 में कुछ जिलों में राजस्व सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त की कार्यवाही की गई थी। राजस्व सर्वेक्षण एवं बंदोवस्त कार्यवाही के अंतर्गत मुख्य रूप से दो प्रकार के कार्य संपादित किये जाते हैं– प्रथम भू–अभिलेखों का नवीनीकरण एवं द्वितीय भू–राजस्व का पुनर्निधारण । भू–अभिलेखों का नवीनीकरण एवं सतत् अद्यतीकरण किया जाना आवश्यक है, ऐसा न किये जाने पर भू–अभिलेखों में विसंगति बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप भूमि के स्वत्व का निर्धारण करने में कठिनाई होती है तथा भूमि संबंधी विवादों का समाधान करना असंभव हो जाता है। बंदोबस्त के अंतर्गत भू–राजस्व का पुनर्निर्धारण महत्वपूर्ण होता है, जो कि भू–सर्वेक्षण के बिना, संभव नहीं है।

और यतः, भारत सरकार के स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन हेतु, प्रदेश में आधुनिक परिदृष्य में भू–सर्वेक्षण की प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने, सर्वेक्षण उपरांत धारणाधिकार के सुगम निर्धारण करने, भूमि के अभिलेखों के उचित निर्माण एवं संधारण करने, नामांतरण, बंटवारा जैसे आवश्यक राजस्व प्रकरण की डिजिटल प्रक्रिया को विधिक स्वरूप प्रदान करने, राज्य की औद्योगिक नीति 2019–24 के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्रों/पार्कों के संनिर्माण को प्रोत्साहित करने, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना, 2021 के उद्देश्यों की पूर्ति करने तथा छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता, 1959 में गैर–प्रासंगिक

उपबंधों को विलोपित कर, प्रासंगिक प्रावधानों को निगमित करने के लिए, छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) में और संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

और यतः, संशोधन के महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नानुसार हैं :–

(1) मुख्य रूप से **अध्याय 7 नगरेत्तर क्षेत्रों में राजस्व सर्वेक्षण तथा बंदोबस्त** एवं **अध्याय 8 नगरीय क्षेत्रों में भूमि का निर्धारण तथा पुर्ननिर्धारण** में उपबंधित प्रावधानों में, भू–सर्वेक्षण एवं भू–राजस्व निर्धारण के लिए आवश्यक संशोधन प्रस्तावित किया गया है। इस हेतु राज्य शासन, आयुक्त भू–अभिलेख, जिला सर्वेक्षण अधिकारी, उप सर्वेक्षण अधिकारी एवं सहायक सर्वेक्षण अधिकारी के कर्तव्यों के विषय में धारा 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 76, 77, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94 एवं 101 में संशोधन प्रस्तावित है।

(2) आयुक्त भू–अभिलेख, जिला सर्वेक्षण अधिकारी, उप सर्वेक्षण अधिकारी एवं सहायक सर्वेक्षण अधिकारी को धारा 11 के तहत राजस्व अधिकारी के रूप में जोड़ा जाना प्रस्तावित किया गया है तथा धारा 45, 50, 51 के तहत इन राजस्व अधिकारियों के आदेश के संबंध में अपील, पुनरीक्षण एवं पुनर्विलोकन के प्रावधानों में युक्तियुक्त बदलाव किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

(3) भू–सर्वेक्षण एवं भू–राजस्व निर्धारण के पश्चात् भूमि के अभिलेखों के निर्माण, संधारण, त्रुटि सुधार, नामांतरण, सीमांकन, अतिक्रमण एवं बंटवारा की संक्रियाओं के लिए धारा 107, 108, 110, 114, 115, 116, 124, 125, 134, 161, 168, 172, 178, 203, 210, 233, 234, 244, 246, 250, 257 एवं 258 तथा कम्प्यूटराईजेशन एवं डिजिटल गवर्नेन्स की दिशा में ई–नामांतरण पोर्टल एवं ई–राजस्व न्यायालय में संचालित की जाने वाली प्रक्रियाओं को विधिक स्वरूप प्रदान करने के लिए धारा 110 में संशोधन एवं धारा 178–ख अन्तःस्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

(4) राज्य की औद्योगिक नीति 2019–24 के तहत औद्योगिक क्षेत्रों/पार्कों के निर्माण के लिए प्रोत्साहन हेतु धारा 59 के तहत पुनर्निर्धारण से छूट प्रदान करने का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।

(5) मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना, 2021 के क्रियान्वयन हेतु धारा 2 तथा धारा 241 में संशोधन किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

(6) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का सं. 30) के तारतम्य में, धारा 135, 170–ख एवं धारा 243 में संशोधन किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

(7) संहिता में ग्राम सभा, पांच सदस्यों की समिति के रूप में धारा 232 में परिभाषित है, पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्र. 1 सन् 1994) के अनुसार गठित ग्राम सभा के अनुक्रम में, धारा 222, 229, 232, 234, 252 254 एवं धारा 255 में संशोधन किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

(8) संहिता की धारा 22 में उपखण्ड अधिकारी को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना से निर्देशित करने की आवश्यकता को समाप्त करने संबंधी संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

(9) संहिता की धारा 41 के तहत राजस्व मण्डल को नियम बनाने की शक्तियां हैं, यह शक्तियां धारा 258 के तहत राज्य सरकार को प्रदान करने हेतु धारा 33, 40, 41 एवं धारा 258 में संशोधन किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

(10) संहिता की धारा 165 की उपधारा (4–क) छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2013 के द्वारा अन्तःस्थापित की गई थी, परन्तु इस उप–धारा के क्रियान्वयन के लिए नियम अधिसूचित नहीं किए गये हैं। अतः विधिक दृष्टिकोण से इस उप–धारा का लोप किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

(11) संहिता की धारा 2 में मौरूसी कृषक के रूप में, संहिता के प्रवृत्त होने के पूर्व मालिक मकबूजा और मौरूसी कृषक के रूप में अभिलिखित व्यक्तियों को परिभाषित किया गया है। चूंकि भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 157 के अंतर्गत राज्य में धारित भूमियों के भू–धारियों का केवल एक ही वर्ग होगा, जो भूमिस्वामी के नाम से ज्ञात होगा, जिसके अंतर्गत धारा 158 में ''प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो इस संहिता के प्रवृत्त होने के समय, उक्त धारा में वर्णित किन्हीं भी वर्गो का हो, भूमिस्वामी कहलाएगा और उसे वे समस्त अधिकार होंगे, जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन, भूमिस्वामी को प्रदत्त किए गये हैं तथा, वह उन समस्त दायित्वों के अध्यधीन होंगे, जो भूमिस्वामी पर अधिरोपित किये गये हैं।'' उपरोक्त प्रावधानों से, वर्तमान में राज्य में भू–धारियों को केवल एक ही वर्ग ''भूमिस्वामी'' के अंतर्गत रखा

गया है। वर्तमान में भू–धारियों को भूमिस्वामी अधिकार दिये जाने से राज्य में मौरूसी कृषक की व्यवस्था नहीं रह गई है। अतः संहिता के अध्याय 14 : मौरूसी कृषक धारा 185 से धारा 202 तक के प्रावधान को समाप्त किया जाना प्रस्तावित है।

अतएव, उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति को दृष्टिगत रखते हुए, छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) में संशोधन करना आवश्यक है।

अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

जयसिंह अग्रवाल,
राजस्व मंत्री,
(भारसाधक सदस्य)

रायपुर,
दिनांक 07 मार्च, 2022

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2022 के खण्ड 77 में नियम बनाने की शक्ति प्रत्यायोजन की संस्थापनाएं हैं, जो सामान्य स्वरूप की है।

उपाबंध

छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता 1959, की 93 धाराओं का उद्धरण

1. **2 उपधारा (1) खण्ड (ख)**– "**कृषि**" के अंतर्गत हैं –

(एक) .....

(दो) .....

(तीन) फलोद्यान लगाना तथा उनका समारक्षण ;और

(चार) .....

.....

खण्ड (न)– "**लगान**" **से अभिप्रेत है, वह कुछ भी जो–**

(एक) धारा 188 के उपबंधों के अनुसार, मौरूसी कृषक द्वारा अपने भूमिस्वामी को, या पट्टेदार द्वारा अपने भूमिस्वामी को, उसके द्वारा ऐसे भूमिस्वामी से धारित भमि के उपयोग या अधिभोग के मद्दे;या.....

खण्ड (प)– इस संहिता के किसी उपबंध में "**राजस्व अधिकारी**" से अभिप्रेत है ऐसा राजस्व अधिकारी जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, राजस्व अधिकारी के उस उपबंध के अधीन के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए निदेश दे ;

.....

खण्ड (म)– "**कृषक**" से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जो अध्याय 14 के अधीन भूमिस्वामी से मौरूसी कृषक के रूप में भूमि धारण करता है;

.....

खण्ड (य–5)– "**ग्राम**" से अभिप्रेत है, कोई ऐसा भू–भाग जिसे इस संहिता के प्रवृत्त होने के पूर्व, किसी ऐसी विधि के, जो तत्समय प्रवृत्त है, उपबंधों के अधीन ग्राम के रूप में मान्य किया गया था या उस रूप में घोषित किया गया था, तथा कोई ऐसा अन्रू भू–भाग जिसे किसी राजस्व सर्वेक्षण में एतद्पश्चात् ग्राम के रूप में मान्य किया जाए या जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ग्राम के रूप में घोषित करें।

.....

अध्याय 3

राजस्व अधिकारी, उनके वर्ग तथा उनकी शक्तियां

2. **11. राजस्व अधिकारी**– राजस्व अधिकारियों के निम्नालिखित वर्ग होगें, अर्थात :–

आयुक्त (जिसमें अपर आयुक्त भी सम्मिलित है) ;
बंदोबस्त आयुक्त (जिसके अंतर्गत अपर बंदोबस्त आयुक्त हैं);
कलेक्टर (जिसके अंतर्गत अपर कलेक्टर हैं);

बंदोबस्त अधिकारी ;
उपखण्ड अधिकारी ;
सहायक कलेक्टर ;
संयुक्त कलेक्टर (जिसके अंतर्गत डिप्टी कलेक्टर भी हैं);
उप बंदोबस्त अधिकारी ;
सहायक बंदोबस्त अधिकारी;
तहसीलदार (जिसके अंतर्गत अपर तहसीलदार हैं);
भू–अभिलेख अधीक्षक;
नायब तहसीलदार;
सहायक भू–अभिलेख अधीक्षक।

3. **13. संभागों, जिलों, उपखण्डों तथा तहसीलों को परिवर्तित करने, सृजित करने या समाप्त करने की शक्ति–** (1).....

(2) .....

(3) उपधारा (2) के अधिन राज्य सरकार के आदेशों के अध्यधीन रहते हुए, प्रत्येक तहसील को जिले का उपखण्ड समझा जाएगा।

4. **22. उपखण्ड अधिकारी** – (1) कलेक्टर, एक या अधिक सहायक कलेक्टरों या (संयुक्त कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर) को जिले के किसी एक उपखण्ड का या जिले के दो या अधिक उपखण्डों का भारसाधक बना सकेगा।

(2) ऐसा सहायक कलेक्टर या (संयुक्त कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर) उपखण्ड अधिकारी कहलाएगा और कलेक्टर की ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जैसा कि राज्य सरकार, अधिकसूचना द्वारा, निदेशित करें।

5. **33. व्यक्तियों के हाज़िर होने तथा दस्तावेजों पेश किए जाने की अपेक्षा करने तथा साक्ष्य लेने की राजस्व अधिकारियों की शक्तियॉ** – (1) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का संख्यांक 5) की धारा 132 तथा 133 के उपबंधों तथा धारा 41 के अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन रहते हुए, राजस्व न्यायालय के रूप में कार्य करने वाले प्रत्येक राजस्व अधिकारी को यह शक्ति होगी कि वह इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन उद्भू होने वाली किसी जॉच या मामले के प्रयोजनों के लिए साक्ष्य ले, किसी ऐसे व्यक्ति को समन करे जिसकी कि हाजिरी या तो पक्षकार के रूप में परीक्षा की जाने के लिए या साक्षी के रूप में साक्ष्य देने के लिए या कोई दस्तावेज पेश करने के लिए वह आवश्यक समझे।.....

6. **40. अनुसूची 1 में के नियमों का प्रभाव** – अनुसूची 1 में के नियम, जब तक कि वे इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार बातिल या परिवर्तित न कर दिए जाएँ, इस प्रकार प्रभावशील होंगे मानो कि वे इस संहिता कलेवर में अधिनियमित किए गए हैं।

7. **41. मण्डल की नियम बनाने की शक्ति** – (1) मण्डल, समय–समय पर, अपनी पद्धति और प्रक्रिया को तथा अन्य राजस्व न्यायालयों द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया को विनियमित करते हुए, इस संहिता के उपबंधों से संगत नियम बना सकेगा और ऐसे नियमों द्वारा अनुसूची 1 में से समस्त नियमों या उनमें से नियम को बातिल कर सकेगा, परिवर्तित कर सकेगा या उसमें परिवर्धन कर सकेगा।

(2) विशिष्टतया तथा उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूज प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त विषयों या उनमें से किसी भी विषय के लिए उपबंध हो सकेंगे, अर्थात् :–

(क) साधारणतः या किन्हीं विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में समन, सूचनाओं तथा अन्य आदेशिकाओं की डाक द्वारा या किसी अन्य रीति में तामील और ऐसी तामील का सबूत ;

(ख) पक्षकारों तथा साक्षियों को समन करने की राजस्व अधिकारियों की शक्ति का विनियमन तथा साक्षियों के लिए व्ययों की मंजूरी;

(ग) मान्यता प्राप्त अभिकर्ताओं का, इस संहिता के अधीन की कार्यवाहियों में उनके द्वारा की जाने–वाली उपसंजातियों, किए जाने वाले आवेदनों तथा किए जाने वाले कार्यों के बारे में विनियमन ;

(घ) वह प्रक्रिया जिसका अनुपालन जंगम तथा स्थावर संपत्तियों की कुर्की करने में किया जाएगा ;

(ड.) विक्रयों को प्रकाशित करने, संचालित करने, अपास्त करने तथा उनकी पुष्टि करने के लिए प्रक्रिया तथा ऐसी कार्यवाहियों से संसक्त समस्त आनुषंगिक विषय ;

लिए प्रक्रिया तथा ऐसी कार्यवाहियों से संसक्त समस्त आनुषंगिक विषय ;

(च) पशुधन तथा अन्रू जंगम संपत्ति का, जब कि वह कुर्की के अधिन हो, अनुरक्षण तथा उसकी अभिरक्षा, ऐसे अनुरक्षण तथा ऐसी अभिरक्षा के लिए देय फीस, ऐसे पशुधन तथा संपत्ति का विक्रय, और ऐसे विक्रय के आगम,

(छ) अपीलों तथा अन्य कार्यवाहियों का समेकन ;

(ज) ऐसे समस्त प्ररूप, रजिस्टर, पुस्कें, प्रविष्टियां तथा लेखे जो राजस्व न्यायालयों के कामकाज के संपादन के लिए आवश्यक या वांछनीय हों ;

(झ) वह समय जिसके भीतर, किसी अभिव्यक्त उपबंध के अभाव में अपीलें फाइल की जा सकेंगी या पुनरीक्षण के लिए आवेदन फाइल किए जा सकेंगे ;

(ञ) किन्ही भी कार्यवाहियों के तथा उनसे आनुषंगिक खर्चे ;

(ट) कमीशन पर साक्षियों की परीक्षा और ऐसी परीक्षा से आनुषंगिक व्ययों का भुगतान ;

(ठ) अर्जी–लेखकों का अनुज्ञापन और उनके आचरण का विनियमन।

(3) ऐसे नियम पूर्व प्रकाशन की शर्त के तथा राज्य सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन होंगे, और उनके इस प्रकार बनाए जाने तथा अनुमोदित हो जाने के पश्चात् वे राजपत्र में प्रकाशित किए जाएँगे और प्रकाशन की तारीख से या ऐसी अन्य तारीख से, जो कि विनिर्दिष्ट की जाए, उनका वही बल औश्र प्रभाव होगा मानो कि वे अनुसूची 1 में अंतर्विष्ट थे।

8. **44. अपील तथा अपील प्राधिकारी– (1)** उस स्थिति को छोड़कर जहॉ अन्यथा उपबंधित किया गया है, इस संहिता के अधीन या इस संहिता के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन पारित प्रत्येक मूल आदेश की अपील–

(क) उस दशा में जब कि ऐसा आदेश उपखण्ड अधिकारी के अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी ने पारित किया है, चाहे आदेश पारित करनपे वाले अधिकारी में कलेक्टर की शक्तियॉ विनिहित हों या नहीं– उपखण्ड अधिकारी को होगी;

(ख) उस दशा में जब कि ऐसा आदेश उपखण्ड अधिकारी ने पारित किया है, चाहे उसमें कलेक्टर की शक्तियॉ विनिहित हों या नही– कलेक्टर को होगी;

(ग) उस दशा में जब कि ऐसा आदेश बंदोबस्त अधिकारी के अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी ने पारित किया है – बंदोबस्त अधिकारीर को होगी;

(घ) उस दशा में जब कि ऐसा आदेश किसी ऐसे राजस्व अधिकारी ने पारित किया है जिसके किसंबंध में धारा 12 की उपधारा (3) या धारा 21 की उपधारा (2) के अधीन निदेश दिया गया हो – ऐसे राजस्व अधिकारी को होगी जिसके कि बारे में राज्य सरकार निदेश दे;

(ड) उस दशा में जब कि ऐसा आदेश कलेक्टर द्वारा बंदोबस्त की अवधि के चालू रहने के दौरान चाहे कलेक्टर की शक्त्यिों का प्रयोग करते हुए या चाहे बंदोबस्त अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारित किया गया है – (आयुक्त) को होगी;

(च) उस दशा में जब के ऐसा आदेश बंदोबस्त अधिकारी द्वारा किसी बंदोबस्त संक्रिया के संबंध में चाहे बंदोबस्त अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करते हुए या चाहे कलेक्टर की शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारित किया गया है, जब तक कि अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित न हो – बंदोबसत आयुक्त को होगी;

(छ) उस दशा में जबकि ऐसा आदेश (आयुक्त अथवा) बंदोबस्त आयुक्त ने पारित किया है – मण्डल को होगी।

(2) अन्यथा उपबंधित के सिवाय इस संहिता अथवा इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन प्रथम अपील में पारित प्रत्येक आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील–

(एक) यदि ऐसा आदेश उपखण्ड अधिकारी अथववा कलेक्टर द्वारा पारित किया गया है तो –आयुक्त को;

(दो) यदि ऐसा आदेश बंदोबस्त अधिकारी द्वारा पारित किया गया है तो – बंदोबस्त आयुक्त को;

(तीन) यदि ऐसा आदेश आयुक्त द्वारा पारित किया गया है तो मण्डल को –

(क) उस दशा में होगी जबकि मूल आदेश को प्रथम अपील में खर्चे के मामले में कें अतिरिक्त अन्य मामले में परिवर्तित किया गया हो उलट दिया गया हो; या

(ख) निम्नलिखित आधारों में से किसी तथा आधार पर होगी, न कि किसी अन्य आधार पर, अर्थात्–

(एक) यह कि आदेश विधि या विधि का प्रभाव रखने वाली प्रथा के प्रतिकूल है; या

(दो) यह कि आदेश द्वारा विधि का प्रथाव रखने वाली प्रथा संबंधी किसी सारवान विवाद्यक का अवधारण नहीं हो सका है; या

(तीन) यह कि इस कोड द्वारा यथा विहित प्रकिया में ऐसी सारवान् गलती या त्रुटि हुई है जिसके कि गुणागुण के आधार पर मामले के विनिश्चय में गलती या त्रुटि उत्पन्न हो।

(3) पुनर्विलोकन में, किसी आदेश में फेरफार करते हुए या उसे उलटते हुए, पारित किया गया कोई आदेश उसी रीति में अपीलनीय होगा जिस रीति में कि मूल आदेश अपीलनीय होता है।

9. **45. कतिपय लंबित कार्यवाहियों का बंदोबस्त आयुक्त को अंतरण–** ऐसी समस्त कार्यवारियॉ, जो मध्यभारत क्षेत्र से उद्‌भूत हुई हों तथा इस संहिता के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन में भू–अभिलेख संचालक के समक्ष लंबित हों, बंदोबस्त आयुक्त को अंतरिक हो जाऍगी और प्रत्येक ऐसी कार्यवाही बंदोबस्त आयुक्त द्वारा उसी प्रकार सुनी जाएगी तथा विनिश्चित की जाएगी मानों कि वह उसके द्वारा इस संहिता के उपबंधों के अधीन ग्रहण की गई हो।

10. **50. पुनरीक्षण** – (1) मण्डल या आयुक्त या बंदोबस्त आयुक्त या {कलेक्टर या बंदोबस्त अधिकारी} स्वप्रेरणा से या किसी पक्षकार द्वारा किये गये आवेदन पर, किसी भी समय, अपने अधीनस्थ किसी भी राजस्व अधिकारी द्वारा पारित किये गए किसी आदेश की वैधता या औचित्य के संबंध में या उसकी कार्यवाहियों की नियमितता के संबंध में अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिए किसी तथा ऐसे मामले का, जो ऐसे अधिकारी के समक्ष लंबित हो या उसके द्वारा निपटाया गया हो, अभिलेख मॅगा सकेगा और उसकी परीक्षा कर सकेगा और उसके संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा कि वह ठीक समझे : परंतु –

(एक) पुरनीक्षण के लिए कोई भी आवेदन –

(क) इस संहिता के अधीन अपीलनीय किसी आदेश के विरूद्ध ग्रहण नहीं किया जाएगा ;

(ख) धारा 210 के अधीन बंदोबस्त आयुक्त के किसी आदेश के विरूद्ध ग्रहण नहीं किया जाएगा ;

(ग) (आयुक्त अथवा) बंदोबस्त आयुक्त द्वारा धारा 170 ख के अधीन के मामलों के संबंध में पुरनीक्षण में पारित किसी आदेश के विरूद्ध ग्रहण नहीं कया जाएगा और न ही मण्डल द्वार स्वप्रेरणा से ऐसे आदेश का पुनरीक्षण किया जाए।}

(दो) कोई भी ऐसा आवेदन जब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक कि वह आदेश की तारीख से यथास्थिति (आयुक्त या) (बंदोबस्त आयुक्त या कलेक्टर या बंदोबस्त अधिकारी) को साठ दिन के भीतर या राजस्व मण्डल को नब्बे दिन के भीतर प्रस्तुत न किया गया हो, और पूर्वोक्त कालावधि की संगणना करने में उक्त आदेश की प्रतिलिपि अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय छोड़ दिया जाएगा;

(तीन) किसी भी आदेश को पुनरीक्षण में तब तक फेरफारित नहीं किया जाएगा या उलटा नहीं जाएगा जब तक कि हितबद्ध पक्षकारों पर सूचना की तामील न कर दी गई हो और उन्हें सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी –

(एक) जहॉ किसी मामले के संबंध में कार्यवाहियॉ उपधारा (1) के अधीन मंडल द्वारा प्रारंभ कर दी गई हों, वहॉ बंदोबस्त आयुक्त, आयुक्त या कलेक्टर या बंदोबसत अधिकारी द्वारा उनके संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी ;

(दो) जहॉ किसी मामले के संबंध में कार्यवाहियॉ उपधारा (1) के अधीन आयुक्त या बंदोबस्त आयुक्त द्वारा प्रारंभ कर दी गई है, वहॉ कलेक्टर या बंदोबस्त अधिकारी द्वारा उनके संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी ;

(तीन) जहॉ किसी ऐसे मामले के संबंध में कार्यवाहियॉ उपधारा (1) के अधीन आयुक्त बंदोबस्त आयुक्त, कलेक्टर या बंदोबस्त अधिकारी द्वारा की गई हैं, वहॉ, मण्डल, याथास्थिति आयुक्त बंदोबस्त आयुक्त या कलेक्टर या बंदोबस्त अधिकारी द्वारा ऐसी कार्यवाहियों के अंतिम रूप से निपटाए जाने तक, ऐसे मामले के संबंध में इस धारा के अधीन या तो कोई कार्यवाही करने से विरत रह सकेगा या ऐसी कार्यवाहियों को वापस ले सकेगा और ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जैसा कि वह उचित समझे;

(चार) जहॉ किसी ऐसे मामले के संबंध में कार्यवाहियॉ उपधारा (1) के अधीन कलेक्टर या बंदोबस्त अधिकारी द्वारा प्रारंभ कर दी गई हैं, वहॉ आयुक्त या बंदोबस्त आयुक्त यथास्थिति कलेक्टर या बंदोबस्त अधिकारी द्वारा ऐसी कार्यवाहियों के अंतिम रूप से निपटाए जाने तक, ऐसे मामले के संबंध में इस धारा

के अधीन या तो कोई कार्यवाही करने से विरत रह सकेगा या ऐसी कार्यवाहियों को वापस ले सकेगा और ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जैसा कि वह उचित समझे ;

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजन के लिए समस्त राजस्व अधिकारी मण्डल के अधीनस्थ समझे जाएँगे।

11. **51 आदेशों का पुनर्विलोकन** –(1) मण्डल तथा प्रत्येक राजस्व अधिकारी, या तो स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर, किसी ऐसे आदेश का, जो स्वतः उसके क्षरा या उसके पूर्वाधिकारियों में से किसी पूर्वाधिकारी द्वारा पारित किया गया हो, पुनर्विलोकन कर सकेगा और उसके संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जेसा कि वह ठीक समझे :

परंतु –

(एक) यदि आयुक्त बंदोबस्त आयुक्त, कलेक्टर या बंदोबस्त अधिकारी किसी ऐसे आदेश का, जो कि उसने स्वयं पारित न किया हो, पुनर्विलोकन करना आवश्यक समझता है, तो वह पहले मण्डल की मंजूरी अभिप्राप्त करेगा, और यदि कलेक्टर या बंदोबस्त अधिकारी के अधीन कोई अधिकारी किसी ऐसे आदेश का, जो चाहे स्वयं उसके द्वारा या उसके किसी पूर्वाधिकारी द्वारा पारित किया गया हो, पुनर्विलोकन करने की प्रस्थापना करता है, तो वह पहले उस प्राधिकारी की, जिसके कि वह ठीक अधीनस्थ है, लिखित मंजूरी अभिप्राय करेगा;

(एक–क) किसी भी आदेश को तब तक फेरफारित नहीं किया जाऐगा या उलटा नहीं जाएगा जब तक कि हितबद्ध पक्षकारों को उपसंजात होने तथा ऐसे आदेश की पुष्टि में सुने जाने की सूचना न दे दी गई हो;

(दो) किसी भी ऐसे आदेश का, जिसकी कि अपील की गई है, या तो किन्हीं पुरनीक्षण कार्यवाहियों का विषय है, उस समय तक पुनर्विलोकन नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसी अपील या कार्यवाहियॉ लंबित रहती है,

(तीन) किसी भी ऐसे आदेश का पुनर्विलोकन जो प्राइवेट व्यक्तियों के बीच अधिकारी संबंधी किसी प्रश्न पर प्रभाव डालता हो, कार्यवाहियों के किसी पक्षकार के आवेदन पर ही किया जाएगा अन्यथा नहीं और ऐसे आदेश के पुनर्विलोकन के लिए कोई आवेदन तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा तब तक कि वह उस आदेश के पारित किए जाने के नब्बे दिन के भीतर न किया गया हो।

(2) किसी भी आदेश का पुनर्विलोकन सिविल प्रकिया संहिता, 1908 (1908 का संख्यांक 5) में उपबंधित किए गए आधारों पर ही यिा जाएगा अनयथा नहीं।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, कलेक्टर को किसी भी ऐसे राजस्व अधिकारी का पद–उत्तरवर्ती समझा जाएगा जिसमें जिला छोड़ दिया है या जिसे राजस्व अधिकारी की हैसियत से शक्तियों का प्रयोग करना बंद कर दिया है तथा जिले में जिसका काई उत्तराधिकारी नहीं है।

(4) किसी भी ऐसे आदेश का, जिस पर अपील या पुनरीक्षण में विचार किया जा चुका है, किसी ऐस राजस्व अधिकारी द्वरा पुनर्विलोकन नहीं किया जाएगा जो अपील या पुनरीक्षण प्राधिकारी के अधीनस्थ है।

12. **59. जिस प्रयोजन के लिए भूमि उपयोग में लाई जाए उसी के अनुसार भू–राजस्व में फेरफार** –(1) .....

(2) जहॉ कोई भूमि, जिस पर किसी एक प्रयोजन के लिए उपयोग में लाए जाने के हेतु निर्धारण किया गया हो, किसी अन्य प्रयोजन के लिए व्यपवर्तित कर दी जाए, वहॉ ऐसी भूमि पर देय भू–राजस्व, इस बात के होते भी उस अवधि का, जिसके कि लिए निर्धारण नियत किया गया हो, अवसान नहीं हुआ है, एस प्रयोजन के अनुसार परिवर्तित तथा निर्धारित किए जाने के दायित्वाधीन होगा जिसके कि लिए वह व्यपवर्तित कर दी गई है।

परन्तु लघु उद्योगों को पांच एकड़ से अनधिक भूमि व्यपवर्तित किये जाने पर पुनर्निधारण से पचास प्रतिशत छूट होगी।

परन्तु यह और कि इस संहिता की अनुसूची–चार में विनिर्दिष्ट किये अनुसार धारा 59 की उपधारा(1) के खण्ड (च) के प्रयोजन के लिए राज्य शासन व्दारा स्थापित प्राधिकरण अथवा निगमित निकाय व्दारा विकसित भूमि को व्यपवर्तन हेतु पुनः निर्धारण से छूट दी जाएगी ।

(2–क) उपधारा (2) में निर्दिष्ट किया गया परिवर्तन या निर्धारण उपखण्ड अधिकारी द्वारा किया जाएगा।} .....

13. {अध्याय 7}

नगरेतर क्षेत्रों में राजस्व सर्वेक्षण तथा बंदोबस्त

क–अध्याय का लागू होना तथा राजस्व सर्वेक्षण और/या बंदोबस्त के संचालन हेतु अधिकारी

14. **61. इस अध्याय का नगरेतर क्षेत्रों में की भूमियों के संबंध में लागू होना**– इस अध्याय के उपबंध नगरेतर क्षेत्रों में की भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

15. **62. बंदोबस्त आयुक्त की नियुक्ति** – राज्य सरकार एक बंदोबस्त आयुक्त की नियुक्ति कर सकेगी जो राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन रहते हुए, राजस्व सर्वेक्षण और/या बंदोबस्त की संकियाओं का नियंत्रण करेगा।

16. **63. अपर बंदोबस्त आयुक्तों की नियुक्ति और उनकी शक्तियां तथा कर्तव्य**– (1) राज्य सरकार एक या अधिक अपर बंदोबस्त आयुक्तों की नियुक्ति कर सकेगी।

(2) अपर बंदोबस्त आयुक्त, ऐसे मालाकें में या ऐसे वर्ग के मालों में, जैसे कि राज्य सरकार या बंदोबस्त आयुक्त निदेशित करे, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो इस संहिता द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा अथवा इस संहिता या ऐसी अन्य अधिनियमिति के अधीन बलाए गए किसी नियम द्वारा बंदोबस्त आयुक्त को प्रदत्त की गई हैं तथा ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो इस संहिता या ऐसी अरू अधिनियमति के अधीन बनाये गए किसी नियम द्वारा बंदोबस्त आयुक्त को प्रदत्त की गई है तथा ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो इस संहिता द्वारा या त्तसमय प्रवृत्त किसी अन्य नियम द्वारा बंदोबस्त आयुक्त पर अधिरोपित किए गए हैं और अपर बंदोबस्त आयुक्त के संबंध में, जब कि वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो तथा ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा हो, यह समझा जाएगा कि उसे इस संहिता या ऐसी अन्य अधिनियमति क या इस संहिता या ऐसी अन्य अधिनियमिति के अधीन बनाए गए किसी नियम के प्रयोजनों के लिए बंदोबस्त आयुक्त नियुक्त किया गया है।

17. **64. बंदोबस्त अधिकारियों, उप बंदोबस्त अधिकारियों तथा सहायक बंदोबस्त अधिकारियों की नियुक्ति** – (1)राज्य सकरकार किसी अधिकारी को जिसे इसमें इसके पश्चात् बंदोबस्त अधिकारी कहा गया है, राजस्व सर्वेक्षण और/या बंदोबस्त के भारसाधक के रूप में नियुक्त कर सकेगी तथा इतने उप बंदोबस्त अधिकारी और सहायक बंदोबस्त अधिकारी नियुक्त कर सकेगी जितने कि वह ठीक समझें।

(2) समस्त बंदोबस्त अधिकारी, उप बंदोबस्त अधिकारी और सहायक बंदोबस्त अधिकारी, बंदोबस्त आयुक्त के अधीनस्थ होगे और किसी स्थानीय क्षेत्र के समस्त उप बंदोबस्त अधिकारी तथा सहायक बंदोंबस्त अधिकारी, बंदोबस्त अधिकारी के अधीनस्थ होंगे।

18. **65. बंदोबस्त अधिकारीं, उप बंदोबस्त अधिकारीं तथा सहायक बंदोबस्त अधिकारीं की शक्तियां** – (1)राज्य सरकार किसी बंदोबस्त अधिकारी या उप बंदोबस्त अधिकारी या सहायक बंदोबस्त अधिकारी में इस संहिता के अधीन की कलेक्टर की समस्त शक्तियॉ या उनमें से कोई भी शक्ति विनिहित कर सकेगी जो उसके द्वारा ऐसे मामलों में या ऐसे वर्ग के मामलों मे प्रयोग में लाई जाएँगी जैसा कि राज्य सरकार निर्दिष्ट करें।

(2) राज्य सरकार, किसी बंदोबस्त अधिकारी या उप बंदोबस्त अधिकारी या सहायक बंदोबस्त अधिकारी में इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अनय अधिनियमिति के अधीन की बंदोबस्त अधिकारी की समस्त शक्तियॉ या उनमें से कोई भी शक्ति विनिहित कर सकेगी।

19. **"ख–राजस्व सर्वेक्षण"**

20. **66. राजस्व सर्वेक्षण की परिभाषा** – इस भाग के उपबंधों के अनुसार की गई संकियाएँ अर्थात् –

(1) भूमि को सर्वेक्षण संख्यांकों में विभाजित करने तथा उनके ग्रामों के रूप में समूह बनानें, विद्यमान सर्वेक्षण संख्यांको को मान्य करने, उन्हें पुनर्गठित करने या नवीन सर्वेक्षण संख्यांक विरचित करने संबंधी समस्त संक्रियाएँ या उनमें से कोई भ्झी संक्रिया और उनसे आनुषंगिक संक्रियाएँ ;

(2) मिटटी का वर्गीकरण ;

(3) खेत का नक्शा तैयार करना या यथास्थिति उसका पुरनीक्षण करना या उनमें सुधार करना ;

(4) किसी स्थानीय क्षेत्र में भू– अभिलेखों को अद्यतन बनाने के लिए अधिकार – अभिलेख तैयार करना,राजस्व सर्वेक्षण कहलाती है।

21. **67. प्रस्थापित राजस्व सर्वेक्षण की अधिसूचना** – (1) जब कभी राज्य सरकार यह विनिश्चित करें कि किसी स्थानीयं क्षेत्र का राजस्व सर्वेक्षण किया जाना चाहिए, तो वह उस प्रभाव की अधिसूचना प्रकाशित करेगी, और ऐसी स्थानीय क्षेत्र ऐसी अधिसूचना की तारीख से ले कर तब तक ऐसे सर्वेक्षण के अधीन समझा जाएगा जब जक कि ऐसी संक्रियाओं के बंद किए जाने की घोषणा करने वाली अधिसूचना जारी न कर दी जाए।

(2) ऐसी अधिसूचना का विस्तार स्थानीय क्षेत्र में की साधारणतः समस्त भूमियों पर या केवल ऐसी भूमियों पर हो सकेगा जिनके बारे में राज्य सरकार निर्दिष्ट करे।

22. **68..सर्वेक्षण संख्यांकों तथा ग्रामों की विरचना** – इस संहिता के अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन रहते हुए, बंदोबस्त अधिकारी –

(क) उस भूमि का, जिस पर राजस्व सर्वेक्षण विस्तारित है, माप कर सकेगा और उस पर इतनी संक्ष्या में सर्वेक्षण चिन्ह सन्निर्मित कर सकेगा जितने कि आवश्यक हों,

(ख) ऐसी भूमियों को सर्वेक्षण संख्यांको में विभाजित कर सकेगा और ऐसे सर्वेक्षण संख्याकों के ग्रामों के रूप में समूह बना सकेगा, और

(ग) विद्यमान सर्वेक्षण संख्यांको को मान्य कर सकेगा, सर्वेक्षण संख्यांकों को पुनर्गठित कर सकेगा या नवीन सर्वेक्षण संख्यांक विरचित कर सकेगाः

परंतु इसमें इसके पश्चात् यथा उपबंधित के सिवाय, कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाई जाने–वाली भूमि को समाविष्ट करने–वाले कोई भी सर्वेक्षण संख्यांक इसके पश्श्चात् उस न्यूनतम विस्तार से कम विस्तार के नहीं बनाए जाएँगे जो कि भूमि के विभिन्न वर्गों के लिए विहित किया जाए :

परंतु यह और भी कि पूर्वोक परंतुक के अधीन विहित की गई सीमा उन सर्वेक्षण संख्यांकों की दशा में लागू नहीं होगी जो धारा 67 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना की तारीख के ठीक पूर्व पहले से ही विद्यमान हों।

23. **69.व्यपवर्तित की गई या विशेष रूप से समनुदेशित की गई भूमि का पृथक सीमांकन**– धारा 68 के उपबंधों के होते हुए भी, जब कृषि भूमि का कोई प्रभाग धारा 172 के उपबंधों के अधीन किसी कृषि–भिन्न प्रयोजन के लिए व्यपवर्तित किया जाता है, या जब भूमि का कोई प्रभाग धारा 237 के अधीन विशेष रूप से समनुदेशित किया जाता है या जब भूमि के किसी प्रभाग पर का कोई निर्धारण धारा 59 की उपधारा (2) के अधीन परिवर्तित किया जाता है तो बंदोबस्त अधिकारी ऐसे प्रभाग को पृथक् सर्वेक्षण या सर्वेक्षण संख्यांक के उपखण्ड के रूप में गठित कर सकेगा।

24. **70. सर्वेक्षण संख्यांको को पुनर्कमांकित या उप विभाजित करने की शक्ति** – (1) बंदोबस्त अधिकारी सर्वेक्षण संख्वयांको को या तो पुनर्कमांकित कर सकेगा या उन्हें इतने उपखएडों में उप विभाजित कर सकेगा जितने कि भूमि में अधिकारियों के अर्जन की दष्टि से या किसी अन्रू कारण से अपेक्षित हों।

(2) सर्वेक्षण संख्यासंकों का उपखण्डों में विभाजित तथा सर्वेक्षण संख्यांक पर के निर्धारण का उपखण्डों के बीच प्रभाजन इस संहिता के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाएगा और ऐसे नियमों में या तो क्षेत्रफल की या भू–राजस्व की या दोनों की, ऐसी सीमाओं का उपबंध हो सकेगा जिनसे नीचे कोई उपखण्ड मान्य नहीं किया जाएगा :

परंतु किसी सर्वेक्षण संख्यांक पर के निर्धारण की कुल रकम में बंदोबसत की अवधि के दौरान तब तक वृद्धि नहीं की जाएगी जब तक कि ऐसा निर्धारण इस संहिता के उपबंधों के अधीन परिवर्तनीय न हो।

(3) जहॉ कोई खाता कई खसरा क्रमांको से मिल कर बा हो, वहॉ बंदोबस्त अधिकारी प्रत्येक खसरा क्रमांक के लिए देय भू–राजस्व का निर्धारण करेगा और उन्हें पृथक–पृथक सर्वेक्षण संख्यांको के रूप में अभिलिखित करेगा।

(4) जब कभी सर्वेक्षण संख्यांको को पुनर्क्रमांकित किया जाए, तो बंदोबस्त अधिकारी अध्याय 9 के अधीन तैयार किए गए या रखे गए समस्त अभिलेखें की प्रविष्टियों में शुद्धियॉ करेगा।

25. **72. ग्राम की आबादी का अवधारणा** – बंदोबस्त अधिकारी प्रत्येक बसे हुए ग्राम के मामले में भूमियों के अधिकारों का सम्यक् ध्यान रखते हुए, निवासियों के निवास के लिए या उससे आनुषंगिक प्रयोजनों के लिए आरक्षित किए जाने–वाला क्षेत्र अभिनिश्चित तथा अवधारित करेगा और ऐसे क्षेत्र को ग्राम की आबादी समक्षा जाएगा।

26. **73. ग्रामों को विभाजित या संयोजित करने कया उनमें से किसी क्षेत्र को अपवर्जित करने की बंदोबस्त अधिकारी की शक्ति**– बंदोबस्त अधिकारी इस संहिता के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार किसी एक ग्राम को दो या अधिक ग्राम गठित करने के प्रयोजन से विभाजित कर सकेगा या दो या अधिक ग्रामों को एक ग्राम गठित करने के प्रयोजन से समामेलित कर सकेगा, या किसी ग्राम की सीमाओं को, उनमें किसी ऐसे ग्राम के जो उनके सामीप्य में हो, किसी क्षेत्र को सम्मिलित कर के अथवा उनमें समाविष्ट किसी क्षेत्र को उनमें से अपवर्जित करके परिवर्तित कर सकेगा ।

27. **74. ग्रामों के समूह बनाना** – प्रत्येक जिले या तहसील के या किसी जिले या तहसील के भाग के उन ग्रामों के, जो उस क्षेत्र में समाविष्ट हो जिसका कि राजस्व सर्वेक्षण किया जाना है, समूह बनाए जाएँगे और ऐसे समूह बनाने में प्राकृतिक विशेषताओं, कृषिक तथा आर्थिक दशाओं एवं व्यापारिक सुविधाओं तथा संचार साधनों को ध्यान में रखा जाएगा।

28. ## ग – किराये का निर्धारण

29. **76. प्रतिस्थापित बंदोबस्त की अधिसूचना** – धारा 67 की उपधारा (1) के अधीन राजस्व सर्वेक्षण की संक्रियाओं को बंद करने की घोषणा करने वाली अधिसूचना के जारी होने पर, राज्य सरकार, यदि यह विनिश्चत करती हैं कि किसी ऐसे स्थानीय क्षेत्र में, जिसमें कि राजस्व सर्वेक्षण बंद कर दिया गया है, बंदोबस्त संक्रियाएँ की जानी चाहिए तो वह उस प्रभाव की अधिसूचना प्रकाशित करेगी और ऐसा क्षेत्र ऐसी अधिसूचना की तारीख से ले कर तब तक बंदोबस्त के अधीन रहेगा जब तक कि स्थानीय क्षेत्र में की किसी भूमि की बाबत धारा 82 के अधीन बंदोबस्त का आख्यापन पूर्ण न हो जाए :

परंतु यदि अधिसूचना, धारा 67 की उपधारा (1) के अधीन राजस्व सर्वेक्षण संक्रियाओं के बंद करने की घोषणा करने वाली अधिसूचना जारी किए जाने की तारीख से पॉच वर्ष की कालावधि का अवसान हो जाने के पश्चात् जारी की जाती है, तो इसके पूर्व कि इस भाग में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार बंदोबस्त संक्रियाएँ की जाएँ, धारा 108 के अधीन अधिकार अभिलेख तैयार किए जाएँगे।

30. **77. निर्धारण दरों का नियत किया जाना** – (1) बंदोबस्त अधिकारी, आवश्यक जॉच, जो कि विहित की जाए, पूरी कर लेने पर, विभिन्न वर्गों की भूमि के लिए निर्धारण दरों के संबंध में अपने प्रस्ताव ऐसे प्ररूप में तथा ऐसी अन्य विशिष्टियों के साथ जैसा कि विहित किया जाए, राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।

(2) राज्य सरकार निर्धारण दरों को ऐसे अपांतरणों के साथ्ज्ञ अनुमोदित कर सकेगी जैसा कि वह ठीक समझें।

31. **79. उचित निर्धारण का नियत किया जाना** – बंदोबस्त अधिकारी प्रत्येक खाते पर निर्धारण, धारा 77 के अधीन अनुमोदित की गई निर्धारण दरों के तथा धारा 81 के उपबंधों के अनुसार, नियत करेगा और ऐसा निर्धारण ऐसे खाते का उचित निर्धारण होगा।

32. **80. समस्त भूमियॉ निर्धारण के दायित्वाधीन होंगी** – बंदोबस्त अधिकारी को यह शक्ति होगी कि वह किसी भी प्रकार की ऐसी समस्त भूमियों पर, जिन पर बंदोबस्त विस्तारित होता है, उचति निर्धारण करे, चाहे ऐसी भूमियॉ भू– राजस्व के भुगतान के दायित्वाधीन हों या न हों।

33. **82. बंदोबस्त का आख्यापन** – (1) जब किसी भूमि का निर्धारण धारा 79 के अनुसार नियत कर दिया गया हो, तो उसकी सूचना इस संहिता के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार दी जाएगी, और ऐसी सूचना बंदोबस्त का आख्यापन कहलाएगी।

(2) किसी भूमि का इस धारा के अधीन यथा आख्यापित निर्धारण बंदोबस्त की अवधि के दौरान ऐसी भूमि के संबंध में प्रति वर्ष देय भू–राजस्व होगा जब तक कि उसे इस संहिता के या किसी अन्य विधि के उपबंधों के अनुसार उपांतरित न किया जाए।

34. **83. बंदोबस्त का प्रारंभ** – बंदोबस्त की अवधि, आख्यापन की तारीख के ठीक आगामी राजस्व–वर्ष का आरंभ होने के समय से या पूर्व बंदोबस्त की अवधि का अवसान होने के समय से, इनमें से जो भी बाद की हो, प्रारंभ होगी।

35 **84. अधिकारों को त्यागने–वाले भूमिस्वामी को वृद्धि से माफी** – बंदोबस्त की अवधि के प्रथम वर्ष के दौरान, किसी भी ऐसे भूमिस्वामी को, जो नवीन निर्धारण से असंतुष्ट हो, कृषि–वर्ष प्रारंभ होने के एक मास पूर्व उसके द्वारा अपने खाते में के अपने अधिकार धारा 173 द्वारा विहित की गई रीति में त्याग देने पर, किसी भी ऐसी वृद्धि से, जो इस निर्णारण द्वारा आरोपित की गई हो, माफी मिल सकेगी :

परंतु किसी खाते के केवल ऐसे भाग को या ऐसे खाते का, जो किसी बिल्लंगम या भार के अध्यधीन हो, त्यागता अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

36. **85. बंदोबस्त की अवधि**– (1) बंदोबस्त की अवधि राज्य सरकार द्वारा नियत की जाएगी और वह तीस वर्ष से कम की नहीं होगी :

परंतु यदि बंदोबस्त चालू रहने के दौरान, किसी भी समय, राजय सरकार यह पाए कि बंदोबस्त के पश्चात् साधारण परिस्थितियों में हुई तब्दीलियों को ध्यान में रखते हुए यह वांछनीय है कि निर्धारण में कमी की जानी चाहिए, तो वह ऐसे निर्धारण में ऐसी कालावधि तक के लिए, जो कि वह ठीक समझे, कमी कर सकेगी।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसे क्षेत्र में, जहॉ खेती के विस्तार के लिए या कृषि के विकास के लिए पर्याप्त गुंजाइश है या जहॉ कि लगान का परिमाण (पिच आफ रेंट) असम्यक् रूप से कम है या जहॉ सड़कों, रेलों या नहरों के सन्निर्माण के कारण गत बंदोबस्त के पश्चात् संधाधनों का द्रुत गति से विकास हुआ है, वहॉ राज्य सरकार, अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, ऐसी अवधि नियत कर सकेगी जो तीस वर्ष से कम की हो सकेगी किन्तु वह किसी भी दशा में बीस वर्ष से कम की नहीं होगी।

(3) इस बात के होते हुए भी कि किसी स्थानीय क्षेत्र के लिए उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन नियम की गई बंदोबस्त की अवधि का अवसान हो चुका हे, उक्त अवधि के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह उस क्षेत्र में पश्चात्वर्ती बंदोबस्त की अवधि के प्रारंभ होने तक के लिए बढ़ा दी गई है।

37 **86. अधूरी कार्यवाहियों को पूरा करने की कलेक्टर की शक्ति** – जहॉ बंदोबस्त संक्रियाएँ बंद कर दी जाएँ, वहॉ ऐसे समसत आवेदन तथा कार्यवाहियॉ, जो बंदोबस्त अधिकारी के समक्ष उस समय लंबित हों, कलेक्टर को अंतरित कर दी जाएँगी जिसे उनके निपटारे के लिए बंदोबस्त अधिकारी की शक्तियॉ होंगी।3

38 **87. कृषि के लाभों तथा भूमि के मूल्य के संबंध में जॉच** – (1) इस संहिता के प्रवृत्त होने के समय से, राज्य सरकार, कृषि के लाभो के संबंध में तथा कृषि एवं कृषि–भिन्न प्रयोजनों के लिए उपयोंग में लाई जाने वाली भूमि के मूल्य के संबंध में इस संहिता के अधीन बनाए गए नियचमों के अनुसार जॉच संस्थित करने के लिए कार्यवाही कर सकेगी तथा उस जॉच को उन नियमों के अनुसार निरंतर जारी रखवा सकेगी।

(2) कृषि के लाभों का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए, खेती की लागत का प्राक्कलन करने में निम्नलिखित तत्वों पर विचार किया जाएगा, अर्थात् :–

(क) स्टाक तथा भवनों का अवक्षयण,

(ख) खेतिहर के तथा उसके कुटुंब के श्रम तथा पर्यवेखण के समतुत्य धन,

(ग) जॉच के अधीन आने वाली भूमि पर खेती करने में सामान्यतः उपगति किए गए समस्त अन्य व्यय, और

(घ) भवनों तथा स्टाक की लागत पर और बीज एवं खाद के व्यय पर तथा कृषि संक्रियाओं के लिए नगदी में भुगतान किए गए खर्च पर ब्याज।

(3) बंदोबस्त अधिकारी, निर्धारण दरों के लिए अपनी प्रस्थापनाएँ तैयार करते समय, इस जॉच के अनुक्रम में संगृहीत की गई जानकारी पर विचार करेगा।

39. **88. नक्शे तथा अभिलेख रखने का कर्तव्य बंदोबस्त अधिकारी को अंतरित करने की शक्ति**– जब कोई स्थानीय क्षेत्र राजस्व सर्वेक्षण के अधीन हो तो नक्शे तथा अभिलेख रखने का कर्तव्य, राज्य सरकार के आदेशों के अधीन, कलेक्टर के पास से बंदोबस्त अधिकारी को अंतरित किया जा सकेगा जो तदुपरि उन समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा जो अध्याय 9 में तथा अध्याय 18 में से किसी उपबंधं में कलेक्टर को प्रदत्त की गई हैं।

40. **89. गलतियों को ठीक करने की उपखण्ड अधिकारी की शक्ति** – उपखण्ड अधिकारी, राजस्व सर्वेक्षण बंद हो जाने के पश्चात् तथा बंदोबस्त की अवधि के दौरान किसी सर्वेक्षण संख्यांक या खाते के क्षेत्रफल या निर्धारण में की किसी ऐसी गलती को, जो किसी सर्वेक्षण में हुई भूल या गणना करने मे हुई भूल के कारण हुई हो, ठीक कर सकेगा :

परंतु ऐसी गलती को ठीक करने के कारण भू– राजस्व का कोई बकाया देय नहीं हो जाएगा।

41. **90. बंदोबस्त आदि की अवधि के दौरान कलेक्टर की शक्ति** – राजस्व सेर्वक्षण बंद हो जाने के पश्चात् तथा बंदोबस्त की अवधि के दौरान, कलेक्टर, जब कि राज्य सरकार द्वारा उसे ऐसा निदेश दिया जाए, धारा 68, 69, 70, 72, तथा 73 के अधीन की बंदोबस्त अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करेगा।

42. **91. बंदोबस्त की अवधि के दौरान बंदोबस्त अधिकारी को शक्ति प्रदान करने की शक्ति**– राज्य सरकार, राजस्व सर्वेक्षण बंद हो जाने के पश्चात् तथा बंदोबस्त की अवधि के दौरान, इस अध्याय के अधीन की बंदोबस्त अधिकारी की समस्त शक्तियॉ या उनमें से कोई भी शक्ति ऐसे क्षेत्र के भीतर तथा ऐसे निर्बंधनापें के अध्यधीन एवं ऐसी कालावधि के लिए, जैसी कि वह ठीक समझे, किसी राजस्व अधिकारी में विनिहित कर सकेगी।

91–क. नियम बनाने की शक्ति– राज्य सरकार, इस अध्याय के अधीन साधारणतः राजस्व सर्वेक्षण या बंदोबस्त के संचालक का विनियमन करने के लिए नियम बना सकेगी।

43. **92. इस अध्याय के उपबंध नगरीय क्षेत्रों में की भूमि को लागू होंगे**–(1)..... .....(2) जब कभी किसी भू–खण्ड संख्यांक पर निर्धारित किया गया भू–राजस्व या लगान पुनरीक्षण योग्य हो जाए तो कलेक्टर उस भू–खण्ड संख्यांक पर निर्धारण इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार करेगा।

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी भू–खण्ड के लिए देय भू–राजस्व या लगान –

(एक) उस दशा में जब कि भू–खण्ड पट्टे पर धारित हो, उस समय पुनरीक्षण योग्य हो गया समझा जाएगा जब कि पट्टा नवीनीकरण योग्य हो जाता है, और

(दो) उस दशा में जबकि वह भू–खण्ड भूमिस्वामी द्वारा धारित हो, उस समय पुनरीक्षण योग्य हो गया समझा जाएगा जब कि बंदोबस्त की मूल अवधि का अवसान हो जाता है।

44. **94 भू–खण्ड संख्यांकों के पुनर्कमांकित करने या उप–विभाजन करने की कलेक्टर की शक्तियां**– (1) .....

(2)– भू–खण्ड संख्यांको का उपखण्डों में विभाजन तथा भू–खण्ड संख्यांक के निर्धारण का उपखण्डों के बीच प्रभाजन इस संहिता के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाएगा और ऐसे नियमों द्वारा, किसी स्थानीय क्षेत्र में, यथास्थिति क्षेत्रफल की अथवा भू–राजस्व या लगान की या दोनों की ऐसी सीमाओं का उपबंध हो सकेगा जिनसे नीचे कोई उपखण्ड मान्य नहीं किया जाएगा :

परंतु किसी भू–खण्ड संख्यांक के निर्धारण की कुल रकम में बंदोबस्त की अवधि के दौरान तब तक कोई वृद्धि नहीं की जाएगी जब तक कि ऐसा निर्धारण इस संहिता के उपबंधों के अधीन परिवर्तनीय न हो।

45. **101. बंदोबस्त की अवधि** – धारा 100 के अधीन नियत किया गया निर्धारण तीस वर्ष की कालावधि तक या ऐसे दीर्घतर कालावधि तक, जो कि उस कालावधि के पश्चात् पुनर्निधारण किए जाने के पूर्व बीत जाए, प्रवृत्त रहेगा और ऐसी कालावधि को, समस्त प्रयोजनों के लिए, बंदोबस्त की अवधि समझा जाएगा।

46. **107. खेत का नक्शा**– (1) दशा में के सिवाय जब कि राज्य सरकार द्वारा अन्यथा निदिष्ट किया जाए, प्रत्येक ग्राम के लिए, सर्वेक्षण संख्यांकों या भू–खण्ड संक्ष्यांकों की सीमाओं तथा बंजर भूमियों को दर्शाने वाला एक नक्शा तैयार किया जाएगा जो खेत का नक्शा कहलाएगा।

(2) प्रत्येक ग्राम की आबादी के लिए एक नक्शा तैयार किया जा सकेगा जिसमें प्राइवेट धारकों द्वारा अधिभोग में रखा गया क्षेत्र तथा वह क्षेत्र, जो ऐसे अधिभोग में न हो, एवं ऐसी अन्य विशिष्टियॉं, जो कि विहित की जाएँ, दर्शाई जाएंगी।

(3) यदि राज्य सरकार यह समझे कि किसी ग्राम के मामले में यह आवश्यक है कि उपधारा (2) के अधीन तैयार किए गए नक्शे में उन भू–खण्डों को, जो प्राइवेट धारकों के अधिभोग में हैं, पृथक् से दर्शाया जाए, तो वह कलेक्टर को यह निदेश दे सकेगी कि वह नक्शे को उस प्रकार तैयार करवाए या पुनरीक्षित करवाए।

(4) यदि कोई ग्राम पंचायत ऐसा संकल्प पारित कर देती है कि प्राइवेट धारकों के अधिभोग में के भू–खण्डों को पृथक्तः दर्शाते हुए ग्राम की आबादी का नक्शा तैयार किया जाए और वह सर्वेक्षण संबंधी संक्रियाओं के खर्च के प्रति उतने अनुपात में, जो कि विहित किया जाए, अभिदाय करने के लिए रजामंद है, तो राज्य सरकार ऐसा नक्शा तैयार कराने का कार्य हाथ में ले सकेगी।

(5) ऐसा नक्शा (राजस्व सर्वेक्षण) के समय बंदोबस्त अधिकारी द्वारा और समस्त अन्य समयों पर तथा समस्त अन्य परिस्थितियों में कलेक्टर द्वारा यथास्थिति तैयार या पुनरीक्षित किया जाएगा।

47. **108. अधिकार–अभिलेख** – (1) प्रत्येक ग्राम के लिए अधिकार – अभिलेख उन नियमों के अनुसार तैयार किया जाएगा तथा रखा जाएगा जो कि इस संबंध में बनाए गए हों और ऐसे अभिलेख में निम्नलिखित विशिष्टयॉ सम्मिलित होंगी–

(क) समस्त भूमिस्वमियों के नाम, उनके द्वारा धारित सर्वेक्षण संख्यांकों या भू–खण्ड संख्यांकों तथा उनके सिंचित या असिंचित क्षेत्रफल सहित;

(ख) समस्त मौरूसी कृषकों तथा सरकारी पट्टेदारों के नाम, उनके द्वारा धारित सर्वेक्षण संख्यांकों या भू–खण्ड संख्यांकों तथा उनके सिंचित या असिंचित क्षेत्रफल सहित;

(ग) ऐसे व्यक्तियों कें अपने–अपने हितों का प्रचार तथा उनकी सीमा और उनसे संलग्न शर्तें या दायित्व, यदि कोई हों;

(घ) ऐसे व्यक्तियों द्वज्ञरा देय लगान या भू–राजस्व, यदि कोई हो; और

(ड0) ऐसी अन्य विशिष्टियॉ जो कि विहित की जाएँ।

(2) उपधारा (1) में वर्णित अधिकार–अभिलेख राजस्व सर्वेक्षण के दौरान या जब कभी राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसा निदेश दें, तैयार किया जाएगा।

48. **110. क्षेत्र–पुस्तक तथा अन्य सुसंगत भू–अभिलेखों में अधिकार अर्जन बाबत नामांतरण** – (1) पटवारी अधिकार के प्रत्येक ऐसे अर्जन को, जिसकी कि रिपोर्ट उसे धारा 109 के अधीन की गई हो या जो ग्राम पंचायत या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त प्रज्ञापन पर से उसकी जानकारी में आए, उस रजिस्टर में दर्ज करेगा जो कि उस प्रयोजन के लिए विहित किया गया ।

(2) पटवारी अधिकार अर्जन संबंधी समस्त ऐसी रिपोर्टें, जो उपधारा (1) के अधीन उसे प्राप्त हुई हों, उन रिपोर्टों के उसे प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर तहसीलदार को प्रज्ञापित करेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन पटवारी से प्रज्ञापना के प्राप्त होने पर, तहसीलदार उसे विहित रीति में ग्राम में प्रकाशित करवाएगा और उसकी लिखित प्रज्ञापना उन समस्त व्यक्तियों को, जासे कि उसे नामांतरण में हितबद्ध प्रतीत होते हों, तथा साथ–ही ऐसे अन्य व्यक्तियों एवं प्राधिकारियों को भी देगा जो कि विहित किए जाएँ।

(4) तहसीलदार हितबद्ध व्यक्तियों को सुनवाई का युथ्कतयुक्त अवसर देने के पश्चात् तथा ऐसी अतिरिक्त जॉच, जेसी कि वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात्, क्षेत्र–पुस्तक तथा अन्य सुसंगत भू–अभिलेखों में आवश्यक प्रविष्टि करेगा।

49. **114. भू–अभिलेख–** नक्शे तथा भू–अधिकार पुस्तिकाओं के अतिरिक्त, प्रत्येक गॉव के लिए खसरा या क्षेत्र पुस्तक (फील्ड बुक) और ऐसे अन्य भू–अभिलेख, जो कि विहित किए जाएँ, तैयार किए जाएँगे।

114–क. {किसान किताब} – (1) ऐसे प्रत्येक भूमिस्वामी, जिसका नाम धारा 114 के अधीन तैयार किए गए खसरे या क्षेत्र पुस्तक में प्रतिष्ट है, कि लिए यह बाध्यकर होगा कि वह किसी ग्राम में के अपने समस्त खातों के बारे में एक {किसान किताब} रखे जो ऐसी फीस के, जैसी कि विहित की जाए, चुकाए जाने पर उसे दी जाएगी।

(2) {किसान किताब} के दो भाग होंगे, अर्थात् भाग–1 जिस में खाते पर के अधिकारों तथा खाते पर के विल्लंगमों (एन्कम्ब्रेन्सेज) का उल्लेख रहेगा तथा भाग–2 जिसमें खाते पर के अधिकार, खाते की बाबत भू–राजस्व की वसूली तथा खाते पर के विल्लंगमों का उल्लेख रहेगा और उसमें {किसांन किताब} निम्नलिखित बातें अंतर्विष्ट होंगी :–

(एक) खसरा या क्षेत्र पुस्तक की उन प्रविष्टियों में से, जो कि किसी भूमिस्वामी के किसी खाते से संबंधित हों, ऐसी प्रविष्टियों जो कि विहित कि जाएँ,

(दो) ऐसे खाते की बाबत भू–राजस्व, सरकारी उधार तथा गैर – सरकारी उधार की वसूली के बारे में विशिष्टियॉ, और

(तीन) ऐसी अन्य विशिषयॉ जो विहित की जाएँ।

(3) खसरा या क्षेत्र पुस्तक तथा किसान किताब में अंतर्विष्ट प्रविष्टियों में कोई अंतर होने की दशा में तहसीलदार, स्वप्रेरणा से या उस संबंध में उसको आवेदन किये जाने पर तथा ऐसी जॉच, जैसी कि वह उचित समझे, करने के पश्चात्, उस अंतर के संबंध में विनिश्चय कर सकेगा तथा तहसीलदार का विनश्चय अंतिम होगा।

50. 115. भू–अभिलेख में गलत या अशुद्ध प्रविष्टि का शुद्धिकरण–(1) उपखण्ड अधिकारी स्वप्रेरणा से या व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर, किसान–किताब तथा अधिकार अभिलेख को छोड़कर, धारा 114 के अधीन तैयार किए गये भू–अभिलेंखों में, अप्राधिकृत प्रविष्टियों को सम्मिलित करते हुए, गलत या अशुद्ध प्रविष्टि को, ऐसी जांच, जैसी कि समझे, करने के पश्चात् शुद्ध कर सकेगा और ऐसी शुद्धियां उसके द्वारा अभिप्रमाणित की जाएगी :

परन्तु कलेक्टर की लिखित मंजूरी के बिना पांच वर्ष की कालावधि के पूर्व की किसी प्रविष्टि को शुद्ध करने की कार्रवाई प्रारंभ नहीं की जाएगी

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश –

(क) संबंधित तहसीलदार से लिखित रिपोर्ट प्रापत किए :

(ख) सभी हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिए :

बिना पारित नहीं किया जाएगा :

परन्तु यदि सरकार का हित निहित है तो उपखण्ड अधिकारी, मामला कलेक्टर को प्रस्तुत करेगा

(3) उपधारा (2) के अधीन मामला प्राप्त होने पर कलेक्टर ऐसी जांच जैसी कि वह ठीक समझे, करेगा और ऐसा आदेश पारित करेगा जैसा कि वह उचित समझे। ''

51. 116. खसरा या किन्हीं अन्य भू–अभिलेखों में की प्रविष्टि के बारे में विवाद – (1) यदि कोई व्यक्ति धारा 114 के अधीन तैयार किए गए भू–अभिलेखों में कि किसी ऐसी प्रविष्टि से व्यथित हो जो धारा 108 में निर्दिष्ट की गई बातों से भिन्न बातों के संबंध में की गई हो, तो वह ऐसी प्रविष्टि के दिनांक से एक वर्ष के भीतर उसके शुद्धिकरण के लिए तहसीलदार को आवेदन करेगा।

(2) तहसीलदार, ऐसी जॉच करने के पश्चात्, जैसी कि वह उचित समझे, मामले मं आवश्यक आदेश देगा।

52. 124. ग्रामों तथा सर्वेक्षण संख्यांकों या भू–खण्ड संख्यांकों के सीमा चिन्हों का सन्निर्माण – (1) समस्त ग्रामों की सीमाएँ नियत की जाएँगी तथा स्थायी सीमा चिन्हों द्वारा उनका सीमांकन किया जाएगा।

(2) राज्य सरकार, किसी भी ग्राम के संबंध में, अधिसूचना द्वारा, यह आदेश दे सकेगी कि समस्त सर्वेक्षण संख्याांकों या भू–खण्ड संख्यांकों की भी सीमाएँ नियत की जाएँ तथा सीमा चिन्हों द्वारा उनका सीमांकन किया जाए।

(3) ऐस सीमा चिन्ह, इसमें इसके पश्चात् अंतर्विष्ट उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, ऐसे विनिर्देश के होगे तथा ऐसी रीति में सन्निर्मित तथा अनुरक्षित किए जाएँगे जैसा कि विहित किया जाए।

(4) जहॉ नियमों द्वारा ऐसे विनिर्देश के सीमा चिन्ह विहित किए जाएँ जो किसी ग्राम में प्रचलित विनिर्देश से भिन्न हों, वहॉ ऐसे ग्राम में नवीन विनिर्देया उस ग्राम के भू–धारकों में से कम–से–कम आधे भू–धारकों द्वारा तहसीलदार को आवेदन किया जाने परही प्रवर्तित किया जाएगा अन्यथा नहीं। जब ऐसा आवेदन कर दिया गया हो तो तहसीलदार संपूर्ण ग्राम में नवीन सीमा चिन्हों का सन्निर्माण कराएगा और उस पर हुए खर्च को इस संहिता के अधिन बनाए गए नियमों के अनुसार ग्राम के भू–धारकों के बीच अनुपाततः विभाजित करेगा। प्रत्येक धारक का अंश भू–राजस्व की बकाया के तौरपर वसूली योग्य होगा।

(5) प्रत्येक भू–धारक, भूमि पर बनाए गए स्थायी सीमा चिन्हों तथा सर्वेक्षण चिन्हों के अनुरक्षण तथा उनकी मरम्मत के लिए जिम्मेदार होगा।

53. **125. ग्रामों, सर्वेक्षण संख्यांकों तथा भू–खण्ड संख्यांकों के बीच सीमाओं के बारे में विवाद** – ग्रामों, सर्वेक्षण संख्याकों तथा भू–खण्ड संख्यांको की सीमाओं के बारे में समस्त विवाद, जहॉ कि ऐसे सीमाएँ धारा 124 के उपबंधों के अधीन नियम कर दी गई हों, तहसीलदार द्वारा, ऐसी स्थानीय जॉच जिसमें समस्त हितबद्ध व्यक्तियों को उपसंजात होने तथा साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसार प्राप्त होगा, करने के पश्चात् विनिश्चित किए जाएँगे।

54. **134. कतिपय कार्यो की पुनरावृत्ति से विरत रहने के लिए बंधपत्र का निष्पादन** – किसी भी ऐसे व्यक्ति से, जो धारा 131,132 या 133 के अधीन कोई अधिक्रमण करेगा या कोई बाधा पहुॅचाएगा, तहसीलदार द्वारा यह अपेक्षा की जा सकेगी कि वह ऐसे कार्य की पुनरावृत्ति करने से विरत रहने के लिए पॉच सौ रूपये से से अनधिक ऐसी राशि का जो कि तहसीलदार ठीक समझे, स्वीय बंधपत्र निष्पादित करे।

55. **135. सड़क पथ आदि के लिए भूमि का अर्जन** – (1) यदि, ग्रामवासियों के आवेदन पर या अन्यथा, कलेक्टर का, जॉच के पश्चात्, यह समाधान हो जाता है कि ऐसे ग्राम में ग्राम समुदाय के उपयोग के लिए दस फीट से अनधिक चौडी सड़क की, बैलगाड़ी मार्ग या पथ की व्यवस्था करने के प्रयोजन के लिए कोई भूमि अर्जित करना समीचीन है, तो वह उस ग्राम के निवासियों से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वे ऐसी भूमि के संबंध में उपधारा (3) के अधीन देय प्रतिकर की रकम विनिर्दिष्ट की गई कालावधि के भीतर जमा करें। ऐसा निक्षेप कर दिया जाने पर, कलेक्टर, विहित रीति में प्रकाशित किए गए आदेश द्वारा, ऐसी भूमि को अर्जित कर सकेगा और ऐसा आदेश पारित कर दिया जाने पर, ऐसी भूमि राज्य सरकार में पूर्ण रूप में निहित को जाएगी।

(2) किसी भी ऐसी भूमि में किसी किहत का दावा करने वाला कोई व्यक्ति, उपधारा (1) के अधीन निहित होने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के भीतर, कलेक्टर को अपने हित के संबंध में प्रतिकर के लिए आवेदन कर सकेगा।

(3) ऐसी भूमि के संबंध में देय प्रतिकर, उस पर निर्धारित किए गए या उस पर निर्धारण योग्य भू–राजस्व का पंद्रह गुना होगा।

56. **161. बंदोबस्त चालू रहने के दौरान राजस्व में कमी** – (1) कलेक्टर, बंदोबस्त चालू रहने के दौरान किसी भी समय, भूमिस्वामी के आवेदन पर या स्वप्रेरणा से, ऐसे नियमों के अनुसार, जो कि इस संबंध में बनाए जाएँ, किसी भूमि के संबंध में राजस्व को निम्नलिखित आधारों में से किसी भी आधार पर कम कर सकेगा, अर्थात् :–

(एक) यह कि भूमि बाढ़ों के परिणामस्वरूप या ऐसे भूमिस्वामी के नियंत्रण से परे किसी अनय कारण से पूर्णतः या भागतः खेती के अयोग्य हो गई है;

(दो) यह कि राज्य के खर्चे से सन्निर्मित तथा अनुरक्षित सिंचाई का कोई स्रोत, चाहे वह नया हो या पुराना, बेमरम्मत पड़ा हुआ है और उससे संपूर्ण खाते, या उसके किसी भाग की, जिसको कि राजस्व की बढ़ाई गई दर सिंचाई के कारण लागू कर दी गई हैं, सिंचाई नहीं हो रही है;

(तीन) यह कि सिंचाई के किसी प्राईवेट स्रोत से उसके संपूर्ण खाते या उसके किसी भाग की, जिस पर बढ़ाए गए भू–राजंस्व का निर्धारण सिंचाई के कारण किया गया है, किसी ऐसे कारण से, जो भूमिस्वामी के नियंत्रण से परे है, सिंचाई नहीं हो रही है;

(चार) यह कि भूमिस्वामी द्वारा उस भूमि के संबंध मेंदेय राजस्व उस राजस्व से अधिक है जिसकी कि संगणना ऐसी भूमि के लिए गत बंदोबस्त में या किसी अन्य विधि के अधीन नियत की गई दरों से की गई थी;

(पॉच) यह कि ऐसे भूमिस्वामी के खाते का क्षेत्रफल, किसी कारण से, उस क्षेत्रफल से कम हो गया है जिस पर विद्यमान भू–राजस्व निर्धारित किया गया था।

(2) जहॉ उपधारा (1) के अधीन किसी कमी का आदेश किया जाता है, वहॉ ऐसी कमी उस आदेश की तारीख के ठीक आगामी राजस्व–वर्ष के प्रारंभ से प्रभावशील होगी।

(3)यदि वह हेतुक, जिसकी कि वजह से उपधारा (1) के अधीन राजस्व में कमी की गई हो, बाद में नहीं रह जाता है या दूर कर दिया जाता है, तो कलेक्टर भूमिस्वामी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, यह निदेश देते हुए आदेश कर सकेगा कि ऐसी कमी उस आदेश की तारीख के ठीक आगामी राजस्व–वर्ष के प्रारंभ से प्रतिसंहृत हो जाएगी।

57. **धारा 165. अंतरण का अधिकार** – **(1)** इस धारा के अन्य उपबंधों के तथा धारा 168 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए भूमिस्वामी अपनी भूमि में का कोई भी हित (****) अंतरित कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी–

(क) भूमिस्वामी द्वारा किसी भूमि का कोई भी बंधक इसके पश्चात् तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक कि कम–से–कम पॉच एकड़ सिंचित भूमि या दस एकड़ असिंचित भूमि किसी भी विल्लंगम या भार से मुक्त रूप में उसके पास न बच जाए ;

(ख) खण्ड (क) के उबंधों के अध्यधीन रहते हुए, भूमिस्वामी द्वारा किसी भी भूमि का कोई भोग बंधक इसके पश्चात् विधिमान्य नहीं होगा यदि वह छह वर्ष से अधिक की कालावयिध के लिए हो, और जब तक कि उस बंधक की एक शर्त यह न हो कि बंधक विलेख में वर्णित की गई कालावधि का अवसान हो जाने पर उस बंधक के संबंध में यह समझा जाएगा कि भूमिस्वामी द्वज्ञरा किसी भी प्रकार का कोई भुगतान किए बिना ही उसका पूर्णतः मोचन हो गया है, और बंधकदार उस बंधक भूमि का कब्जा भूमिस्वामी को तुरंत वापस दे देगा;

(ग) यदि बंधक की गई भूमि का कोई सकब्जा बंधकदार बंधक की कालावधिक का या छह वर्ष का, इनमें से जिसका भी अवसान पहले होता हो, अवसान हो जाने के पश्चात् भूमि का कब्जा नहीं सौपता है, तो बंधकदार तहसीलदार के आदेश द्वारा अतिचारी के तौर पर बेदखल किए जाने का दायी होगा और तहसीलदार द्वारा बंधककर्ता को उस भूमि का कब्जा दिलाया जाएगाः

परंतु इस उपधारा में की कोई भी बात किसी ऐसी भूमि के किसी बंधक के मामले में लागू नहीं होगी जो भूमिस्वामी द्वारा कृषि–भिन्न प्रयोजनों के लिए धारित हो।

(3) जहॉ भूमिस्वामी उपधारा (2) के उपबंधो के अनुसरण में अपनी भूमि का कोई ऐसा बंधक करता है जो भेग बंधक से भिन्न हो, वहॉ बंधक विलेख में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, बंधक के अधीन प्रोदेभूत होने वाले ब्याज की कुल रकम बंधकदार द्वारा दी गई मूल रकम के आधे से अधिक नहीं होगी।

(4) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते भी, किसी भी भूमिस्वमी को यह अधिकार नहीं होगा कि वह कोई भी भूमि–

(क) किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में अंतरित करे जो ऐसे अंतरण के फलस्वरूप उसकी भूमि का हकदार हो जाएगा जो स्वयं उसके द्वारा या उसके कुटुंब द्वज्ञरा धारित भूमि, यदि कोई हो, सहित कुल मिला कर देसी अधिकतम सीमाओं से, जो कि विहित की जाऍ, अधिक हो जाऍ;

(ख) { * * * * }

परंतु–

(एक) इस उपधार में की कोई भी बात निम्नलिखित दशाओं में लागू नहीं होगी –

(क) (एक) किसी सार्वजनिक, धार्मिक या पूर्त प्रयोजन के लिए स्थापित किसी संस्था के पक्ष में किए गए अंतरण या औद्योगिक प्रयोजन के लिए किए गए अंतरण या बंधक के रूप में किए गए अंतरण की दशा में;

(दो) किसी सहकारी सोसाइटी के पक्ष में औद्योगिक प्रयोजन के लिए किए गए अंतरण या बंधक के रूप में किए गए अंतरण की दशा में; तथापि इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि कृषि प्रयोजनों के लिए कोई भी बंधक, किसी अग्रिम की वसूली के लिए विक्रय को धारा 147 के खण्ड (ख) के उल्लंघन में प्राधिकृत नहीं करेगा;

(ख) कृषि–भिन्न प्रयोजनों के लिए धारित भूमि के अंतरण की दशा में .

परंतु यह और भी कि पूर्ववर्ती परंतुक के खण्ड (एक) के उपखण्ड (क) के अधीन औद्योगिक प्रयोजन के लिए भूमि का अंतरण निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा, अर्थात् :–

(एक) यदि ऐसी भूमि किसी कृषि–भिन्न प्रयोजन के लिए व्यपवर्तित की जानी हो तो ऐसे व्यपवर्तन के लिए धारा 172 के अधीन उपखण्ड अधिकारी की अनुज्ञा ऐसे अंतरण के पूर्व प्राप्त कर ली गई है; और

(दो) धारा 172 के उपबंध ऐसे अंतरण को इस उपांतरण के साथ लागू होंगे कि उसकी उपधारा (1) के परंतुक में वर्णित तीन मास तथा छह मास की कालावधि, ऐसे व्यपवर्तन हेतु आवेदन के प्रयोजनों के लिए क्रमाशः पैंतालिस दिन और नब्बे दिन होगी।

(तीन) औद्योगिक प्रयोजन हेतु अंतरित भूमि का आगे अंतरण नहीं किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण– इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यक्ति के कुटुंब में वह व्यथ्क्त स्वयं, उसकी अवस्यक संतान तथा ऐसे व्यक्ति की पत्नी या उसका पति जो उसके साथ संयुक्त रूप से रहता हो, और यदि ऐसा व्यक्ति अवयस्क हो तो उसके साथ संयुक्त रूप से रहने–वाले उसके माता–पिता सम्मिलित होंगे।

'(4–क)– (एक) उप–धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होत हुए भी, कोई भूमिस्वामी अपनी कृषि हेतु धारित भूमि का अन्तरण ऐसे व्यक्ति को नहीं करेगा, जो वास्तविक कृषक नहीं है,

स्पष्टीकरण–इस उप–धारा के प्रयोजन के लिए, ''अन्तरण'' की अभिव्यक्ति में, निम्नलिखित सम्मिलित नहीं होंगे, अर्थात्:–

(क) उत्तराधिकार द्वारा अन्तरण;

(ख) वैध वारिसों को वसीयत के द्वारा अन्तरण;

(ग) लोकहित में किया गया भू–अर्जन;

(घ) किसी धार्मिक या पूर्त (चैरिटेबल)- प्रयोजन हेत, न्यास, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक प्रयोजन, शैक्षणिक संसथाओं को या उनके लिए अन्तरण;

(ड.) राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के विभागों, इकाईयों, निगमों एवं कंपनियों को जो शासन के उपक्रम है, अनतरण;

(च) ऐसे व्यक्ति द्वारा क्रय की गई भूमि, जो लोकहित में किये गये भू–अर्जन के फलस्वरूप भमिहीन हो गये हो;

(छ) कलेक्टर की अनुज्ञा से, ऐसे अन्य व्यक्ति और ऐसी सीमा तक अंतरण, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में विहित किया जाए।

(दो) राज्य सरकार, इस उप–धारा के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए, अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी।''

.....

58. **168. पट्टे** – (1).....

(2) .....

(3) .....

(4) .....

(5) जहॉ इस संहिता के प्रवृत्त होने के समय कोई भूमि किसी ऐसे भूमिस्वामी से, जो उपधारा (2) में वर्णित वर्गों में से किसी एक वर्ग का या एक से अधिक वर्गो का है, पट्टे पर धारित है, वहॉ इस संहिता के प्रवृत्त होने पर पट्टे के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह उपधारा (2) के अनुसरण में दिया गया पट्टा है।

59. 170–ख आदिम जनजाति के सदस्य की ऐसी भूमि का जो कपट द्वारा अंतरित की गई थी प्रतिवर्तन – (1) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता (संशाधन) अधिनियम, 1980 (जो इसमें इसके पश्चात् संशोधन अधिनियम, 1980 के नाम से निर्दिष्ट है) के प्रारंभ की तारीख को किसी ऐसी कृषि–भूमि का कब्जा रखता है जो 2 अक्टूबर, 1959 से प्रारंभ होने वाली और संशोधन अधिनियम, 1980 के प्रारंभ होने की तारीख को समाप्त होने वाली कालावधि के बीच, किसी ऐसी जनजाति के सदस्य की रही हो जिसे धारा 165 की उपधारा (6) के अधीन आदिम जनजाति घोषित किया गया हो, ऐसे प्रारंभ से (दो वर्ष) के भीतर, उपखण्ड अधिकारी को ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाए, इस संबंध में समस्त जानकारी अधिसूचित करेगा कि ऐसी भूमि उसके कब्जे में कैसे आई।

(2) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार जानकारी, उसमें विनिर्दिष्ट की गई कालावधि के भीतर, अधिसूचित नहीं करता है, तो यह उपधारणा की जाएगी कि ऐसी कृषि–भूमि ऐसे व्यक्ति के कब्जे में बिना किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के रही है और वह कृषि–भूमि, पूर्वोक्त कालावधि का अवसान हो जाने पर उस व्यक्ति को प्रतिवर्तित हो जाएगी जिसकी वह मूलतः थी और यदि वह व्यक्ति मर चुका है तो उसके विधिक वारिसो को प्रतिवर्तित हो जाएगी।

{(2–क) यदि कोई ग्राम सभा संविधान के अनुच्छेद 244 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र में यह पाती है कि आदिम जनजाति के सदस्य से भिन्न कोई व्यक्ति आदिम जनजाति के भूमिस्वामी की भूमि के कब्जे में किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के है, तो वह ऐसी भूमि का कब्जा उस व्यक्ति को प्रत्यावर्तित करेगी जिसकी कि वह मूलतः थी और उउस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है तो उसके विधिक वारिसों को प्रत्यावर्तित करेगीः

परंतु यदि ग्राम सभा ऐसी भूमि का कब्जा प्रत्यावर्तित करने में असफल रहती है, तो वह मामला उपखण्ड अधिकारी की ओर निर्दिष्ट करेगी जो, ऐसी भूमि का कब्जा, निर्देश की प्राप्ति की तारीख से तीन मास के भीतर प्रत्यावर्तित करेगा।}

(3) उपधारा (1) के अधीन जानकारी प्राप्त होने पर, उपखण्ड अधिकारी अंतरण के ऐसे समस्त संव्यवहारों के बारे में ऐसी जॉच करेगा, जैसी कि आवययक समझी जाए, और यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुॅचता है कि आदिम जनजाति के सदस्य को उसके विधि–सम्मत अधिकार से कपट–वंचित किया गया तो वह उस संव्यवहार को अकृत और शून्य घोषित करेगा और उस कृषि–भूमि को अंतरक में, और यदि वह मर चुका है तो उसके विधिक वारिसों में पुनः निहित करने वाला आदेश पारित करेगा।

(3) उपधारा (1) के अधिन जानकारी प्राप्त होने पर , उपखण्ड अधिकारी के अंतरण ऐसे समस्त संव्यवहारों के बारे में ऐसी जॉच करेगा जैसी कि आवश्यक समझी जाए, और यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुॅचता है कि आदिम जनजाति के सदस्य को उसके विधि–सम्मत अधिकार से कपट–वंचित किया गयसा है तो वह उस संव्यवहार को अकृत और शून्य घोषित करेगा, और–

(क) जहॉ उस कृषि–भूमि पर कोई भवन या संरचना ऐसे निष्कर्ष पर पहुॅचने के पूर्व परिनिर्मित नहीं की गई है, वहा उस कृषि–भूमि को अंतरक में और यदि वह मर चुका है तो उसके विधिक वारिसों में पुनर्निहित करने–वाला आदेश पारित करेगा;

(ख) जहॉ उस कृषि–भूमि पर कोई भवन या संरचना ऐसे निष्कर्ष पर पहुॅचने के पूर्व परिनिर्मित कर ली गई है, वहॉ वह ऐसी भूमि की कीमत उन सिद्धांतों के अनुसार नियत करेगा जो भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का संख्यांक 1) में भूमि की कीमत नियत करने के लिए अभिकथित किए हैं, और उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति को यह आदेश देगा कि वह इस प्रकार नियत की गई कीमत तथा अंतरक को वस्तुतः चुकाई गई कीमत के बीच के अंतर की रकम का, यदि कोई हो, संदाय अंतरक को कर दे:

परंतु जहॉ कोई भवन या संरचना जनवरी 1984 के प्रथम दिन के पश्चात् परिनिर्मित कर ली गई है वहॉ, उपर्युक्त खण्ड (ख) के उपबंध लागू नहीं होगे :

परंतु यह और भी खण्ड (ख) के अधीन कीमत का नियतन उस कीमत के, जो उपखण्ड अधिकारी के समक्ष मामला रजिस्टर किया जाने की तारीख को हो, प्रति निर्देश से किया जाएगा।

60. 172 . भूमि का व्यपवर्तन– (1) यदि–.....

(2) .....

(3) .....

(4). यदि कोई, भूमिस्वामी द्वारा बिना अनुज्ञा के या किसी अन्य किसी व्यकित द्वार भूमिस्वामी की सम्मति से या उसकी सम्मति के बिना व्यपवर्तित कर दी गई हो तो उपखण्ड अधिकारी, उसकी जानकारी प्राप्त होने पर, उस व्यक्ति पर, जो व्यपवर्तन के लिए जिम्मेदार है, ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जो एक हजार रूपये से अधिक न हो, और उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस प्रकार कार्यवाही कर सकेगा मानों व्यपर्तित करने की अनुज्ञा के लिए आवेदन कर दिया गया हो।

(5) .....

61. 178–क भूमिस्वामी के जीवनकाल में भूमि का विभाजन – (1) जब कभी कोई भूमिस्वामी अपनी कृषि भूमि को अपने जीवनकाल के दौरान अपने विधिक वारिसों में विभाजित करना चाहता है, जो वह विभाजन के लिए तहसीलदार को आवेदन कर सकेगा।

(2)तहसीलदार विधिक वारिसों की सुनवाई करने के पश्चात् खाते को विभाजित कर सकेगा और उस खाते के निर्धारण को इस संहिता के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार प्रभाजित कर सकेगा।

62. 184. सिरोंज क्षेत्र में की सेवा–भूमि का उस दशा में निपटारा जब कि सेवाओं की आगे आवश्यकता न हो – यदि कलेक्टर यह घोषित कर देता है कि सिरोंज क्षेत्र में ग्राम–सेवक द्वारा की जाने–वाली सेवाओं की आगे आश्यकता नहीं है, तो ऐसा ग्राम सेवक अपनी सेवा–भूमि के संबंध में भूमिस्वामी हो जाएगा और तदनुसार भू – राजस्व का भुगतान करने के लिए दायी होगा।

63. 185. मौरूसी कृषक – (1) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो इस संहिता के प्रवृत्त होने के समय–

(एक) महाकोशल क्षेत्र में –

(क) कोई ऐसी भूमि धारण करता है जो मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड, 1954 (क्रमांक 2 सन् 1955) के प्रवृत्त होने के पूर्व मालिक–मकबूजा थी और जिसके कि संबंध में ऐसे व्यक्ति को पूर्ण मौरूसी कृषक के रूप में अभिलिखित किया गया था; या

(ख) कोई भूमि, मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड, 1954 (क्रमांक 2 सन् 1955) में यथा परिभाषित मौरूषी कृषक के रूप में धारण करता है; या

(ग) कोई भूमि, मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड, 1954 (क्रमांक 2 सन् 1955) में यथा परिभाषित मामूली कृषक के रूप में धारण करता है ; या

(दो) मध्य भारत क्षेत्र में –

(क) कोई इनाम भूमि, कृषक या उपकृषक या साधारण कृषक के रूप में धारण करता है; या

स्पष्टीकरण – अभिव्यक्ति "इनाम भूमि" का वही अर्थ होगा जो उसे मध्य भारत माफी तथा इनाम कृषक एवं उपकृषक संरखण विधान, 1954 (क्रमांक 32 सन् 1954) में दिया गया है।

(ख) कोई भूमि, मध्य भारत रैयतवारी उप–पट्टेदार संरक्षण विधान, 1955 (क्रमांक 29 सन् 1955) में यथा परिभाषित रैयतवारी उप–पटटेदार के रूप में धारण करता है; या

(ग) मध्य भारत जागीर समाप्ति विधान, 1951(क्रमांक 28 सन् 1951) में यथा परिभाषित कोई जागीर भूमि, उपकृषक के यप में या उपकृषक के कृषक के रूप में धारण करता है; या

(घ) मध्य भारत जमींदारी समाप्ति विधान, 1951 (क्रमांक 13 सन् 1951) में यथा परिभाषित स्वामी की कोई भूमि, उपकृषक के रूप में या उपकृषक के कृषक के रूप में धारण करता है; या

(तीन) विंध्य प्रदेश क्षेत्र में – कोई भूमि, विंध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू एण्ड टेनेन्सी एक्ट, 1953 (क्रमांक 3 सन् 1955) में यथा परिभाषित पचपन–पैतालीस कृषक, निकुंजधारी या किसी तालाब–धारक के उपकृषक के रूप में धारण करता है; या

(चार) भोपाल क्षेत्र में–

(क) कोई भूमि, भोपाल स्टेट सब–टेंनेन्ट्स प्रोटेक्शन एक्ट, 1952 (क्रमांक 7 सन्1953) में यथा परिभाषित उपकृषक के रूप में धारण करता है; या

(ख) कोई भूमि, भोपाल स्टेट लैंड रेवेन्यू एक्ट, 1932 (क्रमांक 4 सन् 1932) में यथा परिभाषित दखलकार से शिकमी के रूप में धारण करता है; या

(पांच) सिरोंज क्षेत्र में –

(क) कोई भूमि, राजस्थान टेनेन्सी एक्ट, 1955 (क्रमांक 3 सन् 1955) में यथा परिभाषित खातेदार कृषक या निकुंजधारी के उपकृषक के रूप में धारण करता है; या

(ख) कोई भूमि, राजस्थान टेनेन्सी एक्ट, 1955 (क्रमांक 3 सन् 1955) में यथा परिभाषित खुदकाश्त के उपकृषक या कृषक के रूप में धारण करता है;

मौरूसी कृषक कहलाएगा और उसे वे समस्त अधिकार होंगे जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन मौरूसी कृषक को प्रदत्त किए गए हैं तथा वह उन समस्त दायित्वों के अध्यधीन होगा जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन मौरूसी कृषक पर अधिरोपित किए गए हैं।

(2) जहॉ उपधारा (1) के खण्ड (दो) की मद (ग) या (घ) में निर्दिष्ट कोई भूमि इस संहिता के प्रवृत्त होने के समय, किसी उपकृषक के कृषक के वास्तविक कब्जे में है, वहॉ ऐसे कृषक को ही ऐसी भूमि का मौरूसी कृषक समझा जाएगा न की उस उपकृषक को।

(3) जहॉ उपधारा (1) की कोई भी बात किसी ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जो इस संहिता के प्रवृत्त होने के समय ऐसे भूमिस्वामी से, जो धारा 168 की उपधारा (2) में वर्णित वर्गों में से किसी एक या एक से अधिक वर्गों का है, भूमि धारण करता है।

(4)इस धारा की कोई भी बात उपधारा (1) के खण्ड (दो) की मद (ग) तथा (घ) में विनिर्दिष्ट प्रवर्गों में से किसी भी प्रवर्ग के उपकृषक या उपकृषक के कृषक के उन अधिकारों पर प्रभाव नहीं डालेगी जो यथास्थिति मध्य भारत जागीर समाप्ति विधान, 1951 (क्रमांक 28सन्1951) या मध्य भारत

जमींदारी समाप्ति विधान, 1951 (क्रमांक 13 सन् 1951) के उपबंधो के अनुसार पक्का कृषक के अधिकार अर्जित करने के बारे में है।

64. 186. अधिकतम लगाान – किसी भी करार या प्रथा या किसी न्यायालय की किसी भी डिक्री या आदेश के होते हुए भी या किसी भी विधि के प्रतिकूल होते हुए भी, मौरूसी कृषक द्वारा, उसके द्वारा धारित भूमि के संबंध में देय अधिकतम लगाान–

(क) सिंचित भूमि के किसी भी वर्ग के मामले में – ऐसी भूमि पर निर्धारित किए गए भू–राजस्व के चौगुने से,

(ख) विंध्य प्रदेश क्षेत्र में, बॉध भूमि के मामले में – ऐसी भूमि पर निर्धारित किए गए भू–राजस्व के तिगुने से, और

(ग) किसी अन्य मामले मेूं – निर्धारित किए गए भू–राजसव के दुगुने से, अधिक नहीं होगा :

{परंतु जहॉ ऐसी भूमि को धारा 58–ए के अधीन भू–राजस्व की देनगी से छूट दी गई हो, वहीं पूर्वोक्त अधिकतम लगान मे से भू–राजस्व की वह रकम कम कर दी जाएगी जिसकी कि उक्त धारा के अधीन इस प्रकार छूट दी गई हो।}

स्पष्टीकरण – जहॉ किसी भमि पर भू–राजस्व का निर्धारण न किया गया हो, वहॉ पूर्वोक्त गुणितों की गणना ऐसी भूमि पर निर्धारण योग्य भू–राजस्व के आधार पर की जाएगी।

65. 187. **परिवर्तन** – {(1) जहॉ कोई मौरूयसी कृषक अपने लगान का भुगतान वस्तु के रूप में सेवा, श्रम, फसल के अंश या अनाज के विनिर्दिष्ट परिमाण के रूप में करता है,

(2) उपरधारा (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, उपखण्ड अधिकारी जॉच करने के पश्चात्, लिखित आदेश द्वरा ऐसे लगान को नकदी में परिवर्तित करेगा जो उस अधिकतम लगान से अधिक नहीं होगा जैसा कि धारा 186 में अधिकथित है।

66. 188. **लगान** – (1) इस संहिता के प्रवृत्त होने की तारीख के ठीक आगामी कृषि–वर्ष के प्रारंभ से मौरूसी कृषक द्वारा देय लगान वह अधिकतम लगाान होगा जो धारा186 में अधिकभित है या यदि कृषक तथा उसके भूमिस्वामी के बीच तय पाया गया लगान उक्त अधिकतम लगाान से कम हो तो देय लगाान ऐसा तय पाया गया लगान होगा :

{परंतु जहॉ तय पाया गया लगान वस्तु के रूप में देय हो, तो जब तक कि ऐसा लगाान धारा 187 के अधीन नकदी में परिवर्तित नहीं कर दिया जाता है, वह कृषक ऐसे अधिकतम लगाान का भुगतान करने का दायी हागा जैसा कि धारा 186 में अधिकथित है।}

(2) प्रत्येक मौरूसी कृषक अपने भूमिस्वामी को लगान का भुगतान ऐसी तारीक्ष को या उसके पूर्व करेगा जो कि उस संबंध में विहित की जाए।

67. 189. **कतिपय मामलों में भूमिस्वामी द्वारा पुनर्ग्रहण** – (1) भूमिस्वामी, जिसकी कि भूमि {सिवाय उन प्रवर्गों के, जो कि धारा 185 की उपधारा (1) के खण्ड (एक) की मद (क) तथा (ख) में विनिर्दिष्ट हैं, धारा 185 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट प्रवर्गों में से किसी भी प्रवर्ग के} मौरूसी कृष्झक द्वरा धारित है, उस दशा में जब कि उसकी निजी खेती के अधीन भूमि का द्वोत्रफल पच्चीस एकड़ असिंचित भूमि से कम है, उसके मौरूसी कृषक द्वारा धारति भूमि का अपनी निजी खेती के लिए पुनर्ग्रहण करने हेतु इस संहिता के प्रवृत्त होने के एक वर्ष के भीतर उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेगा।

(2) ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर, उपखण्ड अधिकारी पक्षकारों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जॉच करने के पश्चात् जैसी कि आवश्यक हो, आवेदन को विनिश्चित करेगा :

परंतु पुनर्ग्रहण का अधिकार उतने क्षेत्रफल तक ही सीमित होगा जो पहले से ही उस भूमिस्वामी की निजी खेती के अधीन के द्वक्षेत्रफल सहित पच्चीस एकड़ असिंचित भूमि से अधिक नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि ऐसा कोई पुनर्ग्रहण अनुक्षात नहीं किया जाएगा कि जिससे उस मौरूसी कृषक के कब्जे में की भूमि का कुल क्षेत्रफल –

(एक) उस मामले में, जब कि वह मौरूसी कृषक ऐसी भूमि किसी ऐसे भमिस्वामी से, जो धारा 168 की उपधारा (2) में वर्णित वर्गों में से किसी वर्ग का न हो, इस संहिता के प्रवृत्त होने के पूर्व पांच वर्ष से भी अधिक समय से धारण किए रहा है, पच्चीस एकड़ असिंचित भमि से कम हो जाए,

(दो) किसी अन्य मामले में, दस एकड़ से कम हो जाए।

(3) जहॉ उपधारा (2) के अधीन पारित किए गए किसी आदेश के अधीन भूमिस्वामी को उस भूमि का, जो कि मौरूसी कृषक द्वारा ऐसे भमिस्वामी से धारित है, कोई भाग पुनर्ग्रहण करने के लिए अनुज्ञात किया जाता है, वहॉ उपखण्ड अधिकारी पुनर्ग्रहण की जाने के लिए अनुज्ञात की गई भूमि का चयन तथा सीमांकन उन नियमों के अनुसार करेगा जो कि उस संबंध में बनाए जाएँ। पुनर्ग्रहण केवल उसी दशा में अनुज्ञात किया जाएगा जबकि भूमिस्वामी मौरूसी कृषक को ऐसे प्रतिकर का भुगतान करने के लिए सहमत हो जाता है जैसा कि उपखण्ड अधिारी, पक्षकारों की सुनवाई करने के पश्चात, उस भूमि पर, जाकि भूमिस्वामी द्वरा पुनर्ग्रहण करने के लिए अनुज्ञात की गई है, मौरूसी कृषक द्वारा किए गए सुधार के लिए नियम करे। उपखण्ड अधिकारी ऐसे मामले में मौरूसी कृषक के पास बच रही भूमि के संबंध में लगाान भी विहित रीति में नियम करेगा।

(4) पुनर्ग्रहण अनुाात करने वाला प्रत्येक ओदश, उस आदेश की तारीख के ठीक आगामी कृषि–वर्ष से प्रभावी होगा और पुनर्ग्रहण की गई भूमि के संबंध में, मौरूसी कृषक का कृषकाधिकार समाप्त हो जाएगा।

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजन के लिए –

(1) भूमिस्वामी की निजी खेती के अधीन की भमि के अंतर्गत आएगी –

(क) कोई ऐसी भूमि जो कि उसके विक्रय द्वरा या अन्यथा 1 जनवरी 1959 को या उसके पश्चात् अंतरित की हो, और

(ख) कोई ऐसी भूमि जो कि उसके द्वारा पड़त पड़ी रहने दी गई हो।

(2) एक एकड़ सिंचित भूमि को दो एकड़ असिंचित भूमि के बराबर समझा जाएगा तथा इसी प्रकार इसका विपर्यय।

68. 190. **मौरूसी कृषकों को भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना** – {(1) जहॉ कोई भूमिस्वामी, जिसकी कि भमि सिवाय उन प्रवर्गो के, जो कि धारा 185 की उपधारा (1) के खण्ड (एक) की मद (क) तथा (ख) मे विनिर्दिष्ट हैं, धारा 185 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट प्रवर्गों में से किसी भी प्रवर्ग के मौरूसी कृषक द्वारा धारित है, धारा 189 की उपधारा (1) के अधीन आवेदन उस कालावधि के भीतर नहीं करता है जो कि उसमें अधिकाथित है, वहॉ उस मौरूसी कृषक को, उसके द्वारा ऐसे भूमिस्वामी से धारित भूमि के संबंध में भूमिस्वामी के अधिकार पूर्वोक्त कालावधि का अवसान होने के ठीक आगामी कृषि–वर्ष के प्रारंभ से प्रोद्भूत हो जाएँगे।}

(2) जहॉ भूमिस्वामी द्वारा धारा 189 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार आवेदन किया जाता है, वहॉ मौरूसी कृषक को उसे भूमि के संबंध में, जो कि भूमिस्वामी को अनुज्ञात किए गए पुनर्ग्रहण, यदि कोई हो, के पश्चात् उसके पास बच रहे, भूमिस्वामी के अधिकार उस तारीख के, जिसको कि आवेदन अंतिम रूप में निपटाया जाता है, ठीक आगामी कृषि–वर्ष के प्रारंभ से प्रोद्भूत हो जाएँगे।

{(2–क) जहॉ भूमिस्वामी की भूमि उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार आवेदन किया जाता है , वहॉ मौरूसी कृषक के उस भूमि के संबंध में, जो कि भूमिस्वामी को अनुज्ञात किए गए पुनर्ग्रहण यदि कोई हो, के पश्चात् उसके पास बच रहे, भूमिस्वामी के अधिकार उस तारीख के, जिसको कि आवेदन अंतिम रूप में निपटाया जाता है, टीक आगामी कृषि–वर्ष के प्रारंभ से प्रोद्भूत हो जाएँगे।

(3) जहॉ उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (2–क) के अधीन मौरूसी कृष्ज्ञक को भूमिस्वामी के अधिकार प्रोद्भूत हो जात हैं, वहॉ ऐसा मौरूसी कृष्ज्ञक अपने भूमिस्वामी को ऐसे प्रतिकर का, जो उस भूमि के संबंध में देय भू–राजस्व के पंद्रह गुने के बराबर हो, पॉच समान वार्षिक किस्तों में भुगतान करने का दायी होगा, प्रत्येक किस्त उस तारी,ा को देय होगी जिसको कि तत्संबंधी वर्ष के लिए धारा188 के अधीन देय लगाान शोध्य होता है, और सदि भुगतान करने में व्यतिक्रम किया जाता हे तो वह भू–राजस्व के बकायाकी तौर पर वसूल कियसा जा सकेगाः

परंतु, यदि किसी हेतुक से किसी वर्ष किसी क्षेत्र में भू–राजस्व पूर्णतः या भागतः निलंबित कर दिया जाता है या उसमें मॉफी दे दी जाती है तो प्रतिकर की वह वार्षिक किस्त, जो कि ऐसे क्षेत्र में भूमि

धारण करने वाले मौरूसी कृषक द्वारा उस वर्ष के संबंध में देय हो, निलंबित कर दी जाएगी और वह शेष किस्तों में से अंतिम किस्त के एक वर्ष के पश्चखत् देय होगी।

(4) कोई भी मौरूसी कृषक, अपने विकल्प पर, प्रतिकर की संपूर्ण रकम का एकमुश्त भुगतान कर सकेगा और जहॉ कोई मौरूसी कृषक इस विकल्प का प्रयोग करता है, वहॉ वह दस प्रतिशत की दर से रिबेट पाने का हकदार होगा।

(5) प्रतिकर की रकम, चाहे उसका भुगतान एकमुश्त किया जाए या चाहे वार्षिक किस्तों में किया जाए, भूमिस्वमी को चुकाई जाने के लिए ऐसी रीति तथा ऐसे प्ररूप में, जैसा कि विहित किया जाए (तहसीलदार) के पास मौरूसी कृषक द्वारा जमा की जाएगी।

(6) जहॉ इस धारा के अधीन मौरूसी कृषक को किसी भूमि में भूमिस्वामी के अधिकार प्रोद्भूत हो जाएँ, वहॉ वह ऐसे अधिकार प्रोद्भूत होने की तारीख से ऐसा भू–राजस्व भुगतान करने का दायी होगा जो कि भूमिस्वामी द्वारा ऐसी भूमि के संबंध में देय हो।

69. **191. मौरूसी कृषकों को भूमि का वापस दिलाया जाना** – (1) यदि वह भूमिस्वामी, जिसके कि पट्टा में धारा 189 की उपधारा (2) के अधीन पुनर्ग्रहण का आदेश पारित किया गया हो, उस तारीख के, जिसको कि वह आदेश पारितकिया गया हो, ठीक आगामी कृषि–वर्ष के दौरान ऐसी भूमि पर स्वयं खेती नहीं करता है, तो मौरूसी कृषक, ऐसी भूमि उसे वापस दिलाए जाने के लिए उपखण्ड अधिकारी को ऐसे समय के भीतर आवेदन कर सकेगा, जो कि विहित किया जाए :

परंतु मौरूषी कृषक उस दशा में आवेदन करने के लिए हकदार नहीं होगा जब कि वह भूमिस्वामी को ऐसी भूमि का कब्जा लेने या उस पर खेती करने में किसी भी प्रकार से बाधा पहुॅचाए।

(2) ऐसे आवेदन के प्राप्त होने पर, उपखण्ड अधिकारी, भूमिस्वमी को सुनवाई का अवसर देने तथा ऐसी और जॉच, जैसी कि आवश्यक समझी जाए, करने के पश्चात, प्रश्नागत भूमि का कब्जा मौरूसी कृषक को वापस देने का आदेश पारित कर सकेगा, और जहॉ ऐसा तारीख के ठीक आगामी कृषि–वर्ष के प्रारंभ से दिला दिया जाएगा और तब उएसे भूमिस्वामी के अधिकार प्रोद्भूत हो जाएँगे तथा धारा 190 के उपबंध उसकी उपधारा (2) को छोड़कर तद्नुसार लागू होंगे।

(3) यदि उपधारा (2) के अधीन वापस दे दी गई भूमि के लिए देय लगान के बारे में कोई विवाद हो तो वह विवाद उपखण्ड अधिकारी द्वारा विनिश्चित किया जाएगा।

(4) जहॉ उपधारा (2) के अधीन कोई भूमि किसी मौरूसी कृषक को वापस दे दी गई है, वहॉ वह भूमिस्वामी, जिसके कि विरूद्ध वापस का आदेश दिया गया हो, धारा 189 के अधीन ऐसे मौरूसी कृषक की किसी भी भूमि के पुनर्ग्रहण का दावा करने से सदैव के लिए विवर्जित हो जाएगा।

70. **192. मौरूसी कृषक के अधिकारों का न्यागमन** – मौरूसी कृषक का उसके खाते में का हित, उसकी मृत्यु हो जाने पर उसकी स्वीय विधि के अनुसार, विरासत या अत्तरजीविता द्वारा संक्रांत होगा।

71. **धारा 193. कृषकाधिकार की समाप्ति** – (1) मौरूसी कृषक का उसके खाते में का कृषकाधिकार, उपखण्ड अधिकारी के आदेश द्वारा, जो निम्नालिखित किन्हीं भी आधारों पर किया गयाहो, समाप्त किया जा सकेगा, अर्थात् :–

(क) उसने किसी कृषि–वर्ग में, उस वर्ष के लिए ऐसी भूमि के लगाान का भुगतान नियत तारीख को या उसके पूर्व नहीं किया है; या

(ख) उसने कोई ऐसा कार्य किया है जो उस भतिम के लिए विनाशक या स्थायी रूप से हानिकर है; या

(ग) उसने ऐसी भूमि का उपयोग कृषि से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए किया है ; या

(घ) उसने उस भूमि में के उपने हित का अंतरण धारा 195 के उल्लंधन में कर दिया है।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट किए गए आधार पर कोई भी आदेश मौरूसी कृषक के भूमि मे के उसके अधिकारों की समाप्ति के लिए तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब जक उपखण्ड अधिकारी द्वारा उस सूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, कार्यवाहियों के खर्च सहित निविदत्त करने की अपेक्षा न की हो और कृषक ने अपेक्षित रकम उक्त कालावधि के भीतर जमा न की हो।

(3) उपधारा (1) के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट आधार पर कोई भी कार्यवाही तब तक नहीं होगी जब तक कि ऐसी भूमि के भूमिस्वामी ने मौरूसी कृषक पर एक लिखित सूचना, जिसमें विनाश या हानि का वह कार्य विनिर्दिष्ट किया गया हो, जिसके कि संबंध में परिवाद किया गया है, तामील न कर दी हो, तथा कृषक ने सूचना की तामील की तारीख से छह मास की कालावधि के भीतर या ऐसी और

कालावधि के भीतर जो कि उपखण्ड अधिकारी मंजूर करे उस भूमि को उसी अवस्था मे प्रत्यावर्तित न कर दिया हो जिसमे कि वह ऐसे विनाश या हानि के पूर्व थी।

72. **धारा 194. ऐसे मौरूसी कृषक को, जिसका कि कृषकाधिकार समाप्त कर दिया गया हो, लागू होने वाले उपबंध** – (1) ऐसे प्रत्येक मौरूसी कृषक के मामले में जिसका कि कृषकाधिकार समाप्त कर दिया गया हो, निम्नलिखित उपबंध लागू होंगे, अर्थात् :–

(क) यदि मौरूसी कृषक ने, कृषकाधिकार समाप्त होने की तारीख से पूर्व, उस भूमि में, जो कि खाते में समाविष्ट है, फसलों की बुवाई कर दी हो या उनकी पौधा लगा दी हो, तो वह, ऐसी भूमि के भूमिस्वामी के विकल्प पर, या तो फसलों की देखभाल करने तथा उन्हें वहॉ से उठा लेने के प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि का कब्जा रखे रहने तथा उस प्रयोजन के लिए उसका उपयोग करने का अथवा ऐसी भूमि को तेयार करने में तथा ऐसी फसलों की बुवाई करने, उनकी पौध लगाने तथा देखभाल करने में लगे श्रम का मूल्य तथा उन कार्यों पर उसके द्वारा व्यय की पूँजी, उस पर युक्तियुक्त ब्याज सहित, ऐसी भूमि के भूमिस्वामी से प्राप्त करने का हकदार होगा;

(ख) यदि मौरूसी कृषक ने, कृषिकाधिकार समाप्त होने की तारीख के पूर्व कोई भूमि, जो कि सके खाते में समाविष्ट है, बुवाई के लिए तैयार कर ली हो किन्तु उस पर फसलों की बुवाई न की हो या उनकी पौध न लगाई हो, तो वह ऐसी भूमि को तेयार करने में लगे श्रम का मूल्य तथा उसके द्वारा व्यय की गई पूँजी, उस पर युक्तियुक्त व्याज सहित, ऐसी भूमि के भूमिस्वामी से प्राप्त करने का हकदार होगा :

परंतु –

(एक) मौरूसी कृषक इस धारा के अधीन अपनी भूमि प्रतिधारित करने का या उसके संबंध में कोई राशि प्राप्त करने का उस दशा में हकदार नहीं होगा जब कि ऐसी भमि के भूमिस्वामी द्वारा कृषकाधिकार की समाप्ति के लिए कार्यवाहियॉ प्रारंभ किए जाने के पश्चात्, उसके स्थानीय प्रथा के प्रतिकूल ऐसी भूमि पर खेती की हो या ऐसी भूमि को खेती के लिए तेयार किया हो ;

(दो) कृषकाधिकार की समाप्ति के समय मौरूसी कृषक क्षरा ऐसी भूमि के भूमिस्वामी को देय लगान, यदि कोई हो, मौरूसी कृषक को इस धारा के अधीन देय किसी राशि के प्रति मुजरा किया जा सकेगा ;

(ग) यदि मौरूसी कृषक ने अपने खाते में समाविष्ट किसी भूमि में क्षकाधिकार की समाप्ति की तारीख के पूर्व कोइ सुधार किया हो, तो वह ऐसी भूमि के भूमिस्वामी से उसके लिए ऐसा प्रतिकर पाने का हकदार होगा जैसा कि राजस्व अधिकारी, पक्षकारों की सुनवाई करने के पश्चात्, अवधारित करे।

(2) कृषकाधिकार समाप्त करने वाला राजस्व अधिकार, उपधारा (1) के अधीन देय रकम, यदि कोई हो, अवधारित करेगा।

73. **धारा 195. मौरूसी कृषक के अंतरण संबंधी अधिकार** – (1) कोई भी मौरूसी कृषक भूमि में के या उसके किसी भाग में के अपने अधिकार को विक्रय, दान, बंधक, उप–पट्टे के तौर पर या अन्यथा अंतरित करने का हकदार नहीं होगा और प्रत्येक ऐसा विक्रय, दान, बंधक, उप–पट्टा या अन्य अंतरण धारा 197 में उपबंधित किए बए अनुसार परिवर्तनीय होगा :

परंतु मौरूसी कृषक द्वारा या उसकी ओर से उप–पट्टा दिया जा सकेगा यदि ऐसा व्यक्ति धारा 168 की उपधारा (2) में वर्णित प्रवर्गों में से किसी प्रवर्ग का है।

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजनों के लिए अभिव्यक्ति ''उप–पट्टा'' या वही अर्थ लगाया जाएगा जो कि धारा 168 में ''पट्टा'' के लिए दिया गया है।

(2) उपधारा (1) में की कोई भी बात मौरूसी कृषक को अपना खाता या उसका कोई भाग विक्रय या दान द्वज्ञरा किसी सह–कृषक को या किसी ऐसे व्यक्ति को, जो उस कृषक के निकटतर वारिसों के न होने पर उस कृषक का उत्तरजीवी होने की दशा मे उस खाते को विरासत में प्राप्त करता, अंतरित करने से निवारित नहीं करेगी।

(3) इस धारा में की कोई भी बात मौरूसी कृषक को, भूमि विकास उधार अधिनियम, 1883 (1883 का संख्यांक 19), या कृषक उधार अधिनियम, 1884 (1884 का संख्यांक 12) के अधीन उसे दिए गए किसी अग्रिम के संदाय को प्रतिभूत करने के लिए अपनी भूमि में के किसी अधिकार को अंतरित करने से निवारित नहीं करेगी, या ऐस अग्रिम की वसूली के लिए ऐसे अधिकार का विक्रय करने के राज्य सरकार के अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी।

(4) इस धारा में की कोई भी बात मौरूसी कृषक को, किसी सहकारी संस्था द्वारा उसे दिए गए अग्रिम के संदाय को प्रतिभूत करने के लिए अपने खाते में के किसी अधिकार को अंतरित करने से

निवारित नहीं करेगी, या ऐसे अग्रिम की वसूली के लिए ऐसे अधिकार का विक्रय करने के ऐसी संस्था के अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी।

(5) पूर्वगामी किन्हीं भी उपबंधों के अधीन अनुज्ञात अंतरण के अनुसण में के सिवाय या प्रतिकर की किसी वार्षिक किस्त के बकाया की वसूली संबंधी कार्यवाहियों के मामले में के सिवाय, मौरूसी कृषक के उसके खाते में के हित के विक्रय के लिए न तो कोई डिक्री या आदेश पारित किया जाएगा, न ऐसा हित किसी डिक्री या आदेश के निष्पादन में कुर्क किया जाएगा या बेचा जाएगा, न ऐसे खाते का प्रबंध करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का संख्यांक 5) की धारा 51 के अधीन किसी रिसीवर की नियुक्ति की जाएगी और न ही ऐसा हित प्रांतीय दिवाला अधिनियम, 1920 (1920 का संख्यांक 5) के अधीन न्यायालय में या किसी रिसीवर में निहित होगा।

74. **196. सुधार करने के मौरूसी कृषक के अधिकार** – कृषि प्रयोजन के लिए धारित भूमि का मौरूसी कृष्झक, उस भूमि पर अधिक अच्छी खेती कि लिए या पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए उस भूमि के अधीन सुविधापूर्ण उपयोग के लिए, उस पर कोई भी सुधार करने का हकदार है।

75. **197. मौरूसी कृषकों द्वारा किए गए अंतरणों को अपास्त कराने के लिए आवेदन करने का कतिपय व्यक्तियों का अधिकार** – (1) यदि कोई मौरूसी कृषक अपने खाते या उसके किसी भाग में के अपने अधिकारों को धारा 195 के उल्ल्घन में अंतरित करता है, तो कोई सह–कृषक या कोई ऐसा व्यक्ति, जो उस कृषक के निकटतर वारिसों के न होने पर उस कृषक का उत्तरजीवी होने की दशा मेंउस खाते को विरासत में प्राप्त करता, या वह भूमिस्वामी, जिसकी कि भूमि ऐसा व्यक्ति धारण करता है, कब्जा दिलाए जाने के लिए उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेगा, और उपखण्ड अधिकारी, लगान के बकाया के संबंध में तथा खेती के आवश्यक व्ययों हेतु अग्रिम के संबंध में मौरूसी कृषक के दायित्वों को आवेदन द्वारा स्वीकार कर लेने पर, आवेदक को धारा 258 के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार कब्जा दिला सकेगा।

(2) जहॉ उपधारा (1) के अधीन एक से अधिक व्यक्ति आवेदन करें, वहॉ वे कब्जा पाउने के लिए निम्नलिखित पूर्विकता क्रम में हकदार होंगे :–

(एक) कोई ऐसा व्यक्ति जो कृषक का उत्तरजीवी होने की दशा में उस खाते को विरासत में प्राप्त करता,

(दो) सह–कृषक, और

(तीन) वह भूमिस्वमी जिसकी कि भूमि मौरूसी कृषक धारण करता है।

76. **198. अभ्यर्पण** – (1) कोई मौरूसी कृषक, कृषि–वर्ष प्रारंभ होने के कम–से–कम तीस दिन पूर्व भूमिस्वामी के पक्ष में रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज निष्पादित कर के, अपने अधिकार अभ्यर्पित कर सकेगा और तदुपरि वह ऐसी तारीख के ठीक आगामी कृषि–वर्ष से मौरूसी कृषक नहीं रह जाएगा। कोई भी अभ्यर्पण तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक कि वह रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा न किया जाए।

(2) भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 (1899 का संख्यांक 2) या भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का संख्यांक 15) में तत्प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी मौरूसी कृषकों द्वारा इस धारा के उपबंधो के अनुसरण में निष्पादित अभ्यर्पण की लिखतों को, उन पर प्रभार्य स्टांप शुल्क तथा रजिस्ट्रीकरण फीस के भुगतान से छुट होगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन कोई अभ्यर्पण निष्पादित किया जाने पर भूमिस्वामी भूमि का कब्जा धारा 189 के अधीन अपने पुनर्ग्रहण के अधिकार की सीमा तक ही लेले का हकदार होगा और अतिरिक्त भूमि, यदि कोई हो, राज्य सरकार में निहित हो जाएगी और भूमिस्वामी को ऐसी अनिरिक्त भूमि के लिए प्रतिकर दिया जाएगा जो धारा 188 के अधीन उसके लिए देय लगाान के दुगुने के बराबर होगा।

(4) जहॉ कोई भूमि उपधारा (3) के अधीन राज्य सरकार में निहित हो जाती है, वहॉ भूमिस्वामी विहित कालावधि के भीतर तथा रीति में ऐसी भूमि को विनिर्दिष्ट करेगा और ऐसी कालावधि के भीतर उसके ऐसा न करने पर ऐसी भूमि उपखण्ड अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी।

(5) ऐसी भूमि के उपधारा (4) के उपबंधों के अनुसार विनिर्दिष्ट कर दिए जाने के पश्चात्, उपखण्ड अधिकारी उसका सीमांकन ऐसे नियमों के अनुसार करेगा जो कि उस संबंध में बनाए जाएँ और भूमिस्वामी द्वारा पुनर्ग्रहण की गई भूमि के संबंध में भू–राजस्व भी नियत करेगा।

77. **199. रसीद** – प्रत्येक भूमिस्वामी लगान की रकम के लिए ऐसे प्ररूप तथा ऐसी रीति में, जैसार कि विहित किया जाए, लिखित रसीद उस ससमय देगा जब कि किसी भूमि के संबंध में ऐसी रकम उसके द्वारा प्राप्त की जाए।

78. 200. रसीद न देने या अधिक वसूली के लिए शास्ति – यदि कोई भूमिस्वामी धारा 199 द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार रसीद नहीं देगा या लगान के रूप में कोई ऐसी रकम प्राप्त करेगा जो इस संहिता के अधीन देय लगान से अधिक हो, तो वह, मौरूसी कृषक के आवेदन पर, तहसीलदार के आदेश से इस बात के दायित्वाधीन होगा कि वह वसूल की गई अतिरिक्त रकम वापस करे तथा शास्ति के रूप में दो सौ रूपये से अनधिक राशि या यदि वसूल किए गए कुल लगाान की दुगुनी रकम दो सौ रूपये से अधिक हो, तो ऐसी रकम के दुगुने से अनधिक राशि का भुगतान करे और तहसीलदार यह निदेश दे सकेगा कि ऐसी संपूर्ण राशि या उसका भाग मौरूसी कृषक द्वज्ञरा देय प्रतिकर की रकम के प्रति समायोजित किया जाएगा।

79. 201. भू–राजस्व की माफी तथा उसके निलंबन के परिणामस्वरूप लगाान की माफी तथा उसका निलंबंन – (1) यदि किसी भूमि के संबंध मे देय संपूर्ण भू – राजस्व या उसके किसी भाग के भुगतान में किसी कारणवश माफी दी जाती है या उसे निलंबित कर दिया जाता है, तो कलेक्टर, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, ऐसी भूमि के लगान के भुगतान में उतनी रकम तक यथास्थिति माफी दे सकेगा या उसे उतनी रकम तक निलंबित कर सकेगा जिसका कि उस भूमि के संबंध में देय संपूर्ण भू–राजस्व के साथ होता है, और इस प्रकार माफी दी गई या निलंबित की गई रकम का वितरण ऐसी भूमि धारण करने–वाले मौरूसी कृषकों के बीच ऐसी रीति में कर सकेगा जो कि उसे उस प्रभाव का ध्यान रखते हुए साम्यपूर्ण प्रतीत हो जो कि उनके खातों पर उस कारण से पड़ा हो जिसके कि परिणामस्वरूप भू – राजस्व में माफी दी गई हो या उसे निलंबित किया गया हो।

(2) यदि लगान के भगुतान को निलंबित कर दिया गया हो, तो ऐसे लगान की वसूली के लिए विहित परिसीमा काल की संगणना करने में ऐसे निलंबन की कालावधि को अपवर्जित कर दिया जाएगा।

(3) उपधारा (1) तथा (2) के उपबंध ऐसी भूमि को, जिसके कि भू–राजस्व का पूर्णतः या भागतः निर्मोचन कर दिया गया हो, प्रशमन कर लिया गया हो या मोचन कर दिया गया हो,किसी ऐसे मामले में लागू होंगे जिसमें कि, यदि उस भूमि के संबंध मे भू–राजस्व का निर्मोचन नहीं किया गया होता, प्रशमन नहीं किया गया होता या मोचन नहीं किया गया होता, कलेक्टर की राय में संपूर्ण भू–राजस्व या उसके किसी भाग की छूट दे दी गई होती या उसे निलंबित कर दिया गया होता।

80. 202. दोषपूर्ण ढंग से बेदखल किए गए मौरूसी कृषक का पुनः स्थापन – (1) यदि किसी व्यक्ति को, जो संहिता के प्रवृत होने के ठीक पूर्व किसी क्षेत्र में कोई भूमि धारा 185 में वर्णित हैसियतों में से किसी हैसियत में धरण करता था, इस संहिता के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान उसके द्वारा धारित किसी भूमि से, विधि की प्रकिया से भिन्न प्रकिया द्वारा बेदखल या बेकब्जा कर दिया गया हो तो वह ऐसी भूमि पर अपने पुनः स्थापन के लिए, इस संहिता के प्रवृत्त होने की तारीख से दो वर्ष के भीतर तहसीलदार को आवेदन कर सकेगा।

(2) यदि किसी ऐसे व्यक्ति को, जो इस संहिता के प्रवृत्त होने के समय मौरूसी कृषक के रूप मे भूमि धारण करता है, इस संहिता के प्रवृत्त होने के पश्चात् किसी ऐसी भूमि से, जो कि उसके द्वारा धारित है, इस ससंहिता के उपबंधों के उल्ल्घन में बेदखल या बेकब्जा कर दिया गया हो, तो वह ऐसी भूमि पर अपने पुनःस्थापन के लिए आवेदन इस प्रकार बेदखल या बेकब्जा किए जाने की तारीख से दो वर्ष के भीतर तहसीलदार को कर सकेगा।

(3) उपधारा (1) या (2) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, तहसीलदार, पक्षकारों से संबंधित दावों की जॉच करने के पश्चात् आवेदन को विनिश्चित करेगा और जब वह मौरूसी कृषक को कब्जा वापस दिए जाने का आदेश दे देता है, तो उसे भमि का कब्जा दिलाएगा।

(4) तहसीलदार, आवेदक को उपधारा (3) के अधीन भूमि का कब्जा सौंपे जाने के लिए अंतरित आदेश जॉच के किसी भी प्रक्रम पर पारित कर सकेगा यदि उसे यह प्रतीत हो कि विरोधी पक्ष द्वज्ञरा आवेदक को उपधारा (1) या (2) के अधीन आवेदन प्रस्तुत किए जाने के पूर्व के छह मास के भीतर बेदखल कर दिया गया था या बेकब्जा कर दिया था, और यदि आवश्यक हो तो विरोधी पक्ष को उसके (तहसीलदार के) आदेश के अधीन बेदखल कर दिया जाएगा।

(5) जब उपधारा (4) के अधीन अंतरिम आदेश पारित कर दिया गया हो, तो तहसीलदार विरोधी पक्ष से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह उस समय तक, जब तक कि तहसीलदार द्वारा अंतिम आदेश पारित न कर दिया जाए, भूमि का कब्जा लेने से प्रविरत रहने के लिए उतनी राशि का बंधपत्र निष्पादित करे जितनी कि वह (तहसीलदार) उचित समझे।

(6) यदि यह पाया जाए कि बंधपत्र निष्पादित करने–वाले व्यक्ति ने बंधपत्र के उल्लंघन में भूमि में प्रवेश कर लिया है या उसका कब्जा ले लिया है तो तहसीलदार बंधपत्र को पूर्णतः या भागतः समपहृत कर सकेगा और ऐसी रकम भू–राजस्व के बकाया के तौर पर वसूल कर सकेगा।

(7) यदि उपधारा (3) के अधीन पारित आदेश आवेदक के पद्वा में हो तो तहसीलदार युक्तियुक्त प्रतिकर भी अधिनिर्णीत करेगा जो विरोधी पक्ष आवेदक को संदत्त किया जाएगाः परंतु प्रतिकर की रकम प्रत्येक वर्ष के दखल के लिए उस भूमि के राजस्व के दस गुने से अधिक नहीं होगी।

(8) इस धारा के अधीन अधिनिर्णीत प्रतिकर भू–राजस्व के बकाया के तौर पर वसूल किया जा सकेगा।

(9) तहसीलदार को यह शक्ति होगी कि वह किन्हीं भी ऐसे क्षेत्रों में, जो राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचित किए जाएँ, ऐसे मामलों का, जो कि मौरूसी कृषकों के, चाहे अभ्यर्पण द्वारा या अन्यथा दोषपूर्ण ढंग से बेदखल किए जाने या बेकब्जा किए जाने से संबंधित हों, स्वप्रेरणा से पूनर्विलोकन करे। जहॉ इस उपधारा के अधीन कार्यवाई की जाती है, वहॉ यावत्शक्य पूर्वगामी उपधराओं के उपबंध लागू होंगे।

81. 203. **जलोढ तथा जल–प्लावन** – (1) किसी तट पर बनी जलोढ भ्झूमि राज्य सरकारी में निहित होगी, किन्तु ऐसे तट से लगी हुई भूमि का भू3मिस्वामी, यदि कोई हो, उसके खाते में इस प्रकार बढ़ गई जलोढ भूमि का उपयसोग बंदोबस्त की चालू अवधि के दौरान तब तक भू–राजस्व का भुगतान किए बिना करने का हकदार होगा जब तक कि उसके खाते में बढ़ गया क्षेत्रफल एक एकड़ से अधिक न हो जाए।

(2) जब किसी खाते में बढ़ गई जलाढ भूमि का क्षेत्रफल एक एकड़ से अधिक हो जाए और उपखण्ड अधिकारी को यह प्रतीत हो कि सार्वजनिक सुविधा तथा लोक राजस्व के हितों का सम्यक् ध्यान रखते हुए ऐसी भूमि का निपटारा किया जा सकता है तो वह ऐसे खाते के भूमिस्वामी को ऐसी भूमि भूमिस्वामी अधिकारों में ऐसे प्रीमियम पर देने की प्रस्थापना करेगा जो इस प्रकार बनी भूमि के उचित निर्धारण के बीस गुने से अधिक नहीं होगा। यदि उक्त भूमिस्वामी उस प्रसथाना को स्वीकार न करे तो उपखण्ड अधिकारी उस भूमि का विहित रीति में निपटारा कर सकेगा।

(3) जहॉ जलप्लावन द्वारा किसी खाते के क्षेत्रफल में एक एकड़ से अधिक की कमी हो जाए, वहॉ ऐसे खाते के संबंध में देय भू–राजस्व कम कर दिया जाएगा।

82. 210. **स्कीम की पुष्टि** – कलेक्टर, चकबंदी की स्कीम के संबंध में की गई आपत्ति या आपत्तियों, यदि कोई हों, पर तथा वकबंदी अधिकारी की सिफारिश पर विचार करने के पश्चात् या तो स्कीम की, उपांतरणों के साथ या उपांतरणों के बिना, पुष्टि कर सकेगा या उसकी पुष्टि करने से इंकार कर सकेगा। कलेक्टर का विनिश्चय, किसी भ्झी ऐसे आदेश के अध्यधीन रहते हुए जो कि बंदोबस्त आयुक्त द्वज्ञरा पुनरीक्षण में धारा 50 के अधीन पारित किया जाए, अंतिम होगा।

83. 222. **पटेलों की नियुक्ति** – (1) धारा 258 के अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन रहते हुए, कलेक्अर प्रत्येक ग्राम या ग्रामों के समूह के लिए एक या अधिक पटेल नियुक्त कर सकेगा।

(2)जब किसी ग्राम में दो या अधिक पटेल हों ततो कलेक्टर, धाारा 258 के अधीन बलाए गए नियमों के अध्यधीन रहते हुए, पटेल के पद के कर्तव्यों का ऐसी रीति में वितरण कर सकेगा, जैसी कि वह उचित समझे।

(3) जहॉ विंध्य प्रदेश क्षेत्र में, कोई पटवारी उन कर्तव्यों का, जो कि इस संहिता के अधीन पटेल पर अधिरोपित किए गए हैं, इस संहिता के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व पालन करता रहा है, वहॉ वह ऐसे कर्तव्यों का तब तक पालन करता रहेगा तथा इस संहिता के प्रयोजनों के लिए तब तक पटेल समझा जाएगा जब तक कि उपधारा (1) के अधीन कोई पटेल नियुक्त न कर दिया जाए।

84. 229. **ग्राम–प्रबंध का सौपा जाना** – इस संहिता में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, किसी ग्राम के प्रबंध या किसी पटेल को सौपे गए कर्तव्यों का पालन किसी ग्राम पंचायत को या जहॉ कोई ग्राम पंचायत गठित न की गई हो, वहॉ धारा 232 के उपबंधों के अनुसार गठित की गई किसी ग्राम सभा को सौंप सकेगी।

85. 232.**ग्राम सभा** – (1) ग्राम के प्रबंध के प्रयोजना के लिए राज्य सरकार उस ग्राम या ग्रामों के उस समूह के लिए, जिसके कि लिए पंचायतों के संबंध में प्रवृत्त विधि के अधीन ग्राम पंचायत गठित न की गई हो, एक ग्राम सभा स्थपित कर सकेगी।

(2) ग्राम सथा एक अध्यक्ष, एक सचिव तथा कम–से–कम तीन अन्य सदस्यसों से मिल कर बनेगी जो सभी, उस ग्राम या ग्रामों के उस समूह के, जिनके कि लिए ग्राम सथा स्थापित की जाए, व्यस्क निवासियों द्वारा विहित रीति में निर्वाचित किए जाएँगे।

(3) सदस्यसों की पदावधि पॉच वर्ष होगी।

(4) प्रत्येक ग्राम सथा एक निगमित निकाय होगी तथा उसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा एवं उसकी सामान्य मुद्रा होगी और वह अपने नाम से वाद चलाएगी तथा उसके नाम से उसके विरूद्ध वाद चलाया जाएगा। इस संबंध में बनाए गए किन्ही नियमों के अध्यधीन रहते हुए, उसे जंगम तथा स्थावर संपत्ति अर्जित करने, धारण करने या अंतरित करने, संविदाएँ करने तथा ऐसी समस्त अन्य बातें, जो कि उसे सौंपे गए कर्तव्यों के पालन के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हों, करने की भी शक्ति होगी।

(5) प्रत्येक ग्राम सथा एक निधि स्थापित करेगी तथा उसे बनाए रखेगी और –

(एक) चराई फीस के रूप में वसूल की गई समस्त राशियॉ तथा उस ग्राम के प्रबंध से उद्‌भूत होने वाली ऐसी अन्य फीस तथा आय, जो कि राज्य सरकार विहित करे, और

(दो) राज्य सरकार या किसी स्थानीय निकाय या किसी प्राईवेट व्यक्ति द्वारा अभिदाय की गई समस्त राशियॉ,

ऐसी निधि में जमा की जाएँगी।

ऐसी निधियॉ, ग्राम सभा के नियंत्रण तथा प्रशासन के अधीन आने–वाले विभिन्न विषयों से आनुषंगिक प्रभारों तथा व्ययों के भुगतान के लिए उपयोज्य होंगी।

(6) कलेक्टर ग्राम सभा के कार्यकरण का पर्यवेक्षण करेगा और पर्याप्त हेतुक के आधार पर किसी ग्राम सथा को विघटित कर सकेगा और उसके पुनर्गठित होने तक उसके कृत्यों का पालन करने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगा।

(7) जब किसी ऐसे ग्राम या ग्रामों के समूह में, जिसके कि लिए कोई ग्राम पंचायत, पंचायतों के संबंध में प्रवृत्त विधि के अधीन स्थापित कर दी गई हो, तो ऐसी ग्राम सभा के इस संहिता के अधीन अधिकारों का प्रयोग करेगी, और ग्राम सभा अस्तित्वहीन हो जाएगी।

(8) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, पटेल के ऐसे कर्तव्य या किसी ग्राम के कृषिक या औद्योगिक विकास से संसक्त कोई ऐसे अन्रू कृत्य, जैसे कि वह ठीक समझे, ग्राम सभा को प्रत्यायोजित कर सकेगी।

86. 233. दखलरहित भूमि का अभिलेख – समस्त दखलरहित भूमि का अभिलेख इस संबंध में बनाए गए नियमों के अनुसार, प्रत्येक ग्राम के लिए तैयार किया जाएगा तथा रखा जाएगा जिसमें–

(क) धारा 237 के अधीन निस्तार अधिकारों के प्रयोग के लिए पृथक रखी गई दखलरहित भूमि पृथक्‌तः दर्शाई जाएगी।

(ख) { * * * }

87. 234. निस्तार पत्रक का तैयार किया जाना – (1) उपखण्ड अधिकारी इस संहिता तथा इस संहिता के अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों से संगति रखते हुए एक निस्तार–पत्रक तैयार करेगा, जिसमें किसी ग्राम में की समस्त दखलरहित भूमि के प्रबंध की स्कीम तथा उससे आनुषंगिक समस्त विषय और विशिष्टतः धारा 235 में विनिर्दिष्ट विषय सन्निविष्ट होंगे।

(2) निस्तार–पत्रक का प्रारूप ग्राम में प्रकाशित किया जाएगा और ग्राम के निवासियों की इच्छाओं को विहित रीति में अभिनिश्चित करने के पश्चात् उसे उपखण्ड अधिकारी द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा।

(3) इस प्रकार अंतिम किये गये निस्तार पत्रक की एकस प्रति, ग्राम पंचायत के कार्यालय में रखी जाएगी .

परन्तु इस धारा के प्रावधान, किसी राजस्व ग्राम की नगरीय क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किएस जाने तथा विकास योजना हेतु अंगीकृत किये जाने की दशास में, लागू नहीं होंगे ।

(4) ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित एवं मतदान करने वाले दो तिहाई से अन्यून सदस्यों के बहुमत व्दारा पारित संकल्प पर, कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन से तथा ऐसी जांच करने के पश्चात् उप–खण्ड अधिकारी, निस्तार पत्रक में संशोधन कर सकेगा।

88. 241. सरकारी वनों से इमारती लकड़ी की चोरी रोकने के उपाय – (1) यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि किसी सरकारी वन से इमारती लकड़ी की चोरी को रोकने के लिए, लोक हित में यह आवश्यक है कि ऐसे वनों से लगे हुए किसी क्षेत्र में समाविष्ट ग्रामों में इमारती लकड़भ के काट कर गिराए जाने तथा उसके वहॉ से हटाए जाने का विनियमन किया जाए, तो राज्य सरकार

राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वरा, ऐसे क्षेत्र को इस धारा के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित क्षेत्र घोषित कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रकाशित प्रत्येक आदेश, अधिसूचित क्षेत्र में समाविष्ट समस्त ग्रामों में विहित रीति में उद्घोषित किया जाएगा।

(3) धारा 179 मे अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किन्तु उपधारा (5) के उपबंधों के उध्यधीन रहते हुए जब कोई आदेश उपधारा (2) के अधीन किसी ग्राम में उद्घोषित कर दिया गया हो तो कोई भी व्यक्ति, विक्रय के किसी संव्यवहार के अनुसारण में या व्यापार या कारबार के प्रयोजनों के लिए, ऐसे ग्राम के किसी खाते में के इमारती लकड़ी के किसी वृक्ष को ऐसे नियमों के अनुसार की काट कर गिराएगा या किसी ऐसे वृक्ष के काय (कारपस) को किसी ऐसे खाते से ऐसे नियमों के अनुसार ही हटाएगा जो कि इस संबंध में बनाए जाएँ, अन्यथा नहीं।

(4) कोई व्यक्ति जो उपधारा (3) के या उसके अधीन बनाए गए नियमो के उपबंधों का कार्यवाही पर, जो कि उसके विरूद्ध की जा सकती हो प्रतिकूल प्रथाव डाले बिना, **कलेक्टर** के लिखित आदेश पर, (पॉच हजार रूपये) से अनधिक ऐसी शास्ति का, जो कि उसके द्वारा अधिरोपित की जाए, भुगतान करने का दायी होगा और **कलेक्टर** यह और आदेश दे सकेगा कि इमारती लकड़ी के किन्हीं भी ऐसे वृक्षों का अधिहरण कर लिया जाए जो कि इस उपधारा के उपबंधों के उल्ल्घन में काट कर गिराए गए हैं।

(5) उपधारा (3) तथा (4) की कोई भी बात, किसी व्यक्ति द्वारा अपनी भूमि पपर के इमारती लकड़ी के वृक्षों को अपने वास्तविक कृषिक प्रयोजनों या **घरेलू प्रयोजनों के लिए** काट कर गिराए जाने को लागू नहीं होगी, यदि ऐसा काट कर गिराया जाना या हटाया जना अन्यथा इस संहिता के अन्य उपबंधों के अनुसार हो। तथापि ऐसे व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह सक्षम अधिकारी द्वारा अपनी भूमि का सीमांकन कराए और ऐसी वृक्षों को काटकर गिराए जाने या हटाए जाने के कम से कम दस दिन पूर्व क्षेत्राधिकारिता रखने वाले राजस्व अधिकारी एवं वन क्षेत्राधिकारी को लिखित सूचना दे।

89. <u>243. आबादी</u> – (1) जहॉ आबादी के लिए आरक्षित क्षेत्र, कलेक्टर की राय में अपर्याप्त हो, वहॉ वह ग्राम की दखलरहित भूमि में से ऐसा और क्षेत्र आरक्षित कर सकेगा जैसा कि वह ठीक समझे।

(2) जहॉ आबादी के प्रयोजनों के लिए दखलरहित भूमि उपलब्ध न हो, वहॉ राज्य सरकार आबाददी के विस्तारण के लिए कोई भी भूमि अर्जित कर सकेगी।

(3) भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का संख्यांक 1) के उपबंध ऐसे अर्जन को लागू होंगे और ऐसी भूमि के अर्जन के लिए प्रतिकर उस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार देय होगा।

90. <u>धारा 244. आबादी स्थलों का निपटारा</u>– इस संबंध में बनाए गए नियमों के अध्यधीन रहते हुए, ग्राम पंचायत या जहॉ कोई ग्राम पंचायत गठित न की गई हो, वहॉ तहसीलदार आबादी क्षेत्र में के स्थलों का निपटारा करेगा।

91. <u>246. आबादी मे गृह स्थल धारण करने–वाले व्यक्तियों का अधिकार</u> – धारा 244 के उपबंधो के अध्यधीन रहते हुए प्रत्येक ऐसा वयक्ति, जो इस संहिता के प्रवृत्त होने के समय आबादी में गृह सथल के रूप में कोई भूमि विधिपूर्वक धारण करता है या इसके पश्चात् ऐसी भूमि को विधिपूर्वक धारण करता है या इसके पश्चात् ऐसी भूमि को विधिपूर्वक अर्जित कर ले, ऐसी भूमि के संबंध में भूमिस्वामी होगाः

परंतु छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1973 के प्रारंभ होने पर या उसके पश्चात् किसी भूमिहीन व्यक्ति को ग्रामीण आवास योजना के अधीन गृह स्थल का आबंटन निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन किया जाएगा :–

(एक) यह कि आबंटिती आंबंटन की तारीख से पॉच वर्ष की कालावध्या के भ्झीतर ऐसी भूमि पर गृह का निर्माण करेगाः

(दो) यह कि आबंटिती आबंटन की तारीख से दस वर्ष की कालावधि के भीतर उस भूमि का, जो कि उसे आबंटित की गई हो, या उसमें के हित का अंतरण नहीं करेगा,

(तीन) यह कि उपर्युक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के भंग होने की दशा में यह भूमि भें की तारीख से राज्य सरकार में निहित हो जाएगी।

स्पष्टीकरण :– इस धारा के प्रयोजन के लिए ''ग्रामीण आवास विकास योजना'' से अभिप्रेत है ग्रामीण क्षेत्रों में गृह स्थलों की व्यवस्था के हेतु भारत सरकार द्वरा प्रायोजित स्कीम जिसके अधन राज्य सरकारों को ग्रामीण क्षेत्रों में के भूमिहीन कर्मकारों के कुटुंबो के लिए, जिसके कि स्वामित्व में पहले से ही कई गृह स्थल न हो या जिनके स्वामित्व में पहले से ही अपनी स्वयं की भूमि पर कोई निर्मित गृह या कोई झोपड़ी न हो, निःशुल्क गृह स्थलों की व्यवस्था, भारत सरकार से 100 प्रतिशत अनुदान सहायता के आधार पर, करनी है।}

92. 250. अनुचित रूप से बेकब्जा किए गए भूमिस्वामी का पुनः स्थापन–(1) इस धारा और धारा 250–क के प्रयोजन के लिए, भूमिस्वामी के अंतर्गत **मौरूसी कृषक और** सरकारी पट्टेदार आएँगे।

(1–क) यदि किसी भूमिस्वामी को भूमि से विधि के सम्यक् अनुक्रम में वेकब्जा न कर के अन्यथा बेकब्जा कर दिया गया हो, या यदि कोई व्यक्ति भूमिस्वामी की किसी ऐसी भूमि पर, जिसके कि उपयोग के लिए ऐसा वयक्ति इस कोड के किसी उपबंध के अधीन हकदार न रह गया हो, अप्राधिकृत रूप में कब्जा किए रहे, तो भूमिस्वामी या उसका हित उत्तराधिकारी,

(क) किसी ऐसे, भूमिस्वामी की दशा मे जो कि ऐसी जनजाति का हो जिसे धारा 165 की उपधारा (6) के अधीन आदिम जनजाति घोषित किया गया हो –

(एक) अप्राधिकृत बेकब्जा के उन मामलों में जो कि 1 जुलाई सन् 1976 के पूर्व के हों, 1 जुलाई सन् 1978 के पूर्व ; और

(दो) किन्ही अन्य मामलों में, यथास्थिति बेकब्जा किए जाने की तारीख से या उस तारीख से, जिसको कि ऐसे व्यक्ति का कब्जा अप्राधिकृत हो जाए, पॉच वर्ष के भीतर;

(ख) खण्ड (क) के अंतर्गत न आने–वाले किसी भूमिस्वामी की दशा में यथास्थिति बेकब्जा किए जाने की तारीख से या उस तारीख से, जिसको कि ऐसे व्यक्ति का कब्जा अप्राधिकृत हो जाए, दो वर्ष के भीतर, तहसीलदार को यह आवेदन कर सकेगा कि उसे कब्जा वापस दिलाया जाए।

(1–ख) तहसीलदार, यह ज्ञात होने पर कि किसी भूमिस्वामी को उसकी भूमि से विधि के सम्यक् अनुक्रम में बेकब्जा न करके अन्यथा अेकब्जा कर दिया गया है, इस धारा के अधीन कार्यवाहियॉ स्वप्रेरणा से आरंभ करेगा।

(2) तहसीलदार, पक्षकारों से संबंधित उनके दावों की जॉच करने के पश्चात्, आवेदन को विनिश्चय करेगा और जब वह भूमिस्वामी को कब्जा वापस दिए जाने का आदेश देता है, तो फिर वह उसे भूमि का कब्जा दिलाएगा भी।

(2–क) इस धारा के अधीन आरंभ की गई कार्यवाहियॉ दूसरे पक्षकार से उत्तर प्राप्त हो जाने के पश्चात् दिन–प्रतिदिन तब तक चालू रहेंगी जब तक कि लेखबद्ध किए जाने–वाले कारणों से दीर्घकालिक स्थगन आवश्यक नहीं समझा जाता है और उस दशा में उस आदेश–पत्रक (आर्डर–शीट) की, जिसमें ऐसे स्थगन के लिए कारण अंतर्विष्ट कों, एक प्रति कलेक्टर को भेजी जाएगी।

(3) तहसीलदार, जॉच के किसी भी प्रक्रम पर, यथास्थिति भूमिस्वामी, **मौरूसी कृषक** या सरकारी पट्टेदार को भमि का कब्जा दिए जाने के लिए अंतरित आदेश पारित कर सकेगा, यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुॅचता है कि उसे इस धारा के अधीन आवेदन प्रस्तुत किए जाने या स्वप्रेरणा से कार्यवाहियॉ प्रारंभ की जाने के पूर्व के छह मास के भीतर विरोधी पक्षकार द्वारा बेकब्जा कर दिया गयाथा। ऐसे किसी मामले में विरोधी पक्षकार को, यदि आवश्यक हो, तहसीलदार के आदेशों के अधीन बेदखल कर दिया जाएगा।

.....

93. 252. लोकोपयोगी निर्माण कार्यो. का अनुरक्षण– (1) ग्राम सभा का यह कर्तव्य होगा कि वह ग्राम के लोकोपयोगी निर्माण कार्यो. का अनुरक्षण करे तथा उसे समुचित अवस्था में रखे।

(2) इस संहिता के अधीन बनाए गए नियमो के अध्यधीन रहते हुए, ग्राम सभा, लिखित आदेश द्वारा, ग्राम में निवास करने वाले वयस्क पुरूषों (उन पुरूषों को छोड़कर जो वृद्ध तथा अशक्त है या किसी शारीरिक निःशक्तता से ग्रस्त हैं) को ऐसा श्रम करने के लिए अपेक्षित कर सकेगी जैसा कि वह ग्राम के ऐसे लोकोपयोगी निर्माण कार्यों को, जैसे कि राज्य सरकार द्वारा उस संबंध में अधिसूचित किए जाऍ, समुचित अवस्था में रखने के लिए उस आदेश में विनिर्दिष्ट करें।

(3) उपधारा (2) के अधीन कोई भी आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि वे निर्माण कार्य लोकोपयोगिता के न हों तथा उनसे साधारणतः उन व्यक्तियों को, जिनके कि लिए आदेश पारित किया जा रहा हो, फायदा पहुॅचने की संभावना न हो।
(4) उपधरा (2) के उपबंधों के अधीन श्रम करने के लिए अपेक्षित किया गया व्यक्ति, ऐसा श्रम अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्त द्वारा करवा सकेगा या उसके किए जाने के लिए ऐसी दर से, जो तहसीलदार द्वारा अवधारित की जाए, भुगतान कर सकेगा।
(5) कोई भी व्यक्ति, जो उपधारा (2) में निर्दिष्ट किया गया श्रम करने में उपेक्षा करेगा या वैसा श्रम करने से इंकार करेगा या श्रम किए जाने के लिए उपधारा (4) में उपबंधित किए गए अनुसार भुगतान नहीं करेगा, तहसीलदार के आदेश पर, उतनी रकम का भुगतान करने के दायित्वाधीन होगा, जो उपधारा (4) के अधीन तहसीलदार द्वारा अवधारित की गई दरों के हिसाब से संगणित किए गए उस श्रम के मूल्य के बराबर हो, और ऐसी रकम भू–राजस्व के बकाया के तौर पर वसूल की जा सकेगी।

94. 254. ग्राम सभा के कर्तव्यों का पटेल द्वारा पालन किया जाना – इस अध्याय के अधीन ग्राम सभा को सौपे गए किसी भी कृत्य का पालन उस समय तक पटेल द्वारा किया जाएगा जब तक कि धारा 232 के अधीन ग्राम सभा सम्यक् रूप से गठित न हो जाए।

95. 255. खेती तथा प्रबंध के मानदण्डों का विहित किया जाना – (1) कृषि अथवव्यवस्था को दक्षता के उच्चतर स्तर पर लाने की दृष्टि से, सरकार नियमों द्वारा, दक्षतापूर्ण खेती तााि प्रबंध के मानदण्डों का विनियमन कर सकेगी।

(2) ऐसे नियमों में, अंगीकृत की जाने वाली कृषि पद्धतियों, सुधरे हुए बीजों के उपयोग, खाद के संरक्षण तथा उचित उपयोग, अतिरिक्त खाद्यान्नों के विक्रय तथा कृषि–कर्मकारों की निदेशों के, जो कि भूमियों के दक्षतापूर्ण उपयोग के लिए आवश्यक या वांछनीय हों, जारी किए जाने के लिए उपबंध किया जा सकेगा।

(3) ऐसे नियम उन कृषकों को लागू होंगे जो ऐसी सीमाओं से, जो कि विहित की जाएँ, अधिक भूमि पर स्वयं खेती करते हो।

(4) यदि कोई कृषक, जिसको कि ऐसे नियम उपधारा (3) के अधीन लागू होते हैं, उपधारा (2) के अधीन जारी किए गए निदेशों का पालन नहीं करता है, तो राज्य सरकार उन निदेशों को किसी अन्य अभिकरण द्वारा ऐसी रीति में पालन करवा सकेगी जैसी कि वह उचित समझे और उस कृषक से ऐसे समस्त खर्चे वसूल कर सकेगी जो कि उपगत किए जाएँ।

96. 257 राजस्व प्राधिकारियों की अनन्य अधिकारिता–इस संहिता में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति में या अन्यथा उपबंधित के सिवाय, कोई सिविल न्यायालय किसी ऐसे मामले पर, जिसे कि अवधारित करने, विनिश्चित करने या निपटाने के लिए राज्य सरकार, मण्डल या कोई राजस्व अधिकारी इस संहिता व्दारा सशक्त हो, कोई विनिश्चिय या आदेश अभिप्राप्त करने के लिए संस्थित किए गए किसी वाद या किए गए किसी आवेदन को ग्रहण नहीं करेगा, और विशिष्टतया, तथा इस उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कोई सिविल न्यायालय निम्नलिखित किन्हीं भी विषयों के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग नहीं करेगा :–

(क) राज्य सरकार और किसी व्यक्ति के बीच धारा 57 की उपधारा (1) के अधीन किसी अधिकार के संबंध में कोई विनिश्चय ;

(क–1) जिस प्रयोजन के लिए भूमि धारा 59 के अधीन विनियोजित की गई है उस प्रयोजन बावत कोई विनिश्चय ;

(ख) राजस्व सर्वेक्षण की अधिसूचना की विधिमान्यता या उसके प्रभाव के बारे में कोई प्रश्न या बंदोबस्त की अवधि के बारे में कोई प्रश्न ;

(ग) बंदोबस्त अधिकारी या कलेक्टर द्वारा आबादी का अवधारण करते हुए किए गए किसी विनिश्चय को उपांतरित करने के लिए कोई दावा ;

.....

(ढ) धारा 189 के अधीन मारूसी कृषक द्वारा धारित भूमि का भूमिस्वामी द्वारा पुनर्ग्रहण और यदि मौरूसी कृषक के पास कोई भूमि बच रही हो तो लगान का नियत किया जाना;

(ण) धारा 190 के अधीन भूमिस्वामी के अधिकार प्रदान किए जाने के लिए मौरूसी कृषकों द्वारा दावे ;

(त) धारा 191 के अधीन मौरूसी कृषक को कब्जे का वापस दिलाया जाना ;

(थ) धारा 193 के अधीन मौरूसी कृषक के कृषक के कृषकाधिकार की समाप्ति ;

(द) धारा 197 के अधीन मौरूसी कृषक व्दारा किए गए अंतरण को अपास्त कराने के लिए कोई दावा ;

(ध) धारा 200 के अधीन भूमिस्वामी पर शास्ति का अधिरोपण ;

(न) धारा 201 के अधीन लगान का निलंबन तथा उसकी माफी ;

(प) धारा 202 के अधीन दोषपूर्ण ढंग से बेदखल किए गए मौरूसी कृषक के पुनः स्थापन के बारे में कोई विनिश्च;

(य–1) राज्य सरकार के विरूद्ध कोई ऐसा दावा, जो धारा 255 के अधीन खेती तथा प्रबंध के मापदण्ड विहित किए जाने के बारे में उद्भूत होता हो ;

---

97. 258 नियम बनाने की साधारण शक्ति – (1) राज्य सरकार, साधारणतः इस संहिता के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया, तथा पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिए उपबंध हो सकेंगे :–

(एक) धारा 3 के अधीन गठित राजस्व मण्डल के अध्यक्ष तथा सदस्रों की सेवा के निबंधन तथा शर्तें ;

(चार) धारा 60 के अधीन उस भूमि पर निर्धारण जिस पर निर्धारण नहीं हुआ हो ;

(छह) धारा 70 के अधीन सर्वेक्षण सख्यांकों का उपखण्डों में विभाजन और सर्वेक्षण संख्यांकों का न्यूनतम विस्तार ;

.....

(ग्यारह) धारा 87 के अधीन कृषि के लाभों के संबंध में तथा कृषि एवं कृषि–भिन्न प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाई गई भूमि के मूल्य के संबंध में जॉच करने की रीति ;

(बारह) धारा 91–क के अधीन राजसव सर्वेक्षण या बंदोबस्त के संचालन का विनियमन ;

(चौबीस) (क) धारा 109 के अधीन रिपोर्ट किए गए अधिकारों के अर्जन को दर्ज करने के लिए धारा 110 (1) के अधीन रजिस्टर का विहित किया जना ;

(ख) अन्य व्यक्तियों तथा प्राधिकारियों का, जिन्हें कि धारा 110 (3) के अधीन लिखित प्रज्ञापना दी जाएगी, विहित किया जाना ;

(अट्ठाईस) (क) धारा 124 (3) के अधीन ग्रामों के तथा सर्वेक्षण संख्यांकों या भू–खण्ड संख्यांकों के सीमा चिन्हों संबंधी विनिर्देश तथा उनके सन्निर्माण एवं अनुरक्षण की रीति ; और

(ख) धारा 124(4) के अधीन नवीन सीमा चिन्हों के सन्निर्माण का खर्च भू–धारकों के बीच विभाजित करने की रीति ;

(छत्तीस) धारा 161 के अधीन बंदोबस्त के चालू रहने के दौरान राजस्व के कम किए जाने का विनियमन ;

(सैतिस) { * * * }

.....

(चवालीस) (क) धारा 178 (2) के अधीन खातों के विभाजन तथा निर्धारण के प्रभाजन का विनियमन ; और

(ख) { * * * }

.....

(पैतालीस) .....

(छियालीस) { * * * }

(सैंतालीस) धारा 189 के अधीन भूमिस्वामी द्वारा पुनर्ग्रहण किए जाने के लिए अनुज्ञात भूमि के चयन तथा सीमांकन कीतथा उस पर भू–राजस्व नियत करने की एवं मौरूसी कृषक के पास बच रही भूमि के संबंध में लगान नियत करने की रीति का विहित किया जाना ;

(अड़तालिस) उस रीति तथा प्ररूप का विहित किया जाना जिसमें धारा 190 (5) के अधीन किसी मौरूसी कृषक द्वज्ञरा प्रतिकर की वह रकम जमा की जाएगी जो कि उसके भूमिस्वामी को देय हो;

(अड़तालिस–क) उस समय का विहित किया जाना जिसके भीतर धारा 191 की उपधारा (1) के अधीन आवेदन किया जाएगा ;

(उनचास) धारा 197 के अधीन उस मौरूसी खाते का, जो कि अंतरित कर दिया गया हो, कब्जा दिलाए जाने संबंधी दावों को निपटाने की प्रकिया का विनियमन;

(पचास) धारा198 (4) के अधीन उस भूमि के, जो कि राज्य सरकार में निहित हो गई हो, चयन तथा सीमांकन की रीति का विहित किया जाना तथा भूमिस्वामी द्वारा आरक्षित भूमि पर भू–राजस्व का नियत किया जाना ;

(इक्यावन) वह प्ररूप तथा रीति जिसमें धारा 199 के अधीन लगान के लिए रसीद दी जाएगी ;

.....

(छप्पन) (क) धारा 232 के अधीन ग्राम सथा की सथापना के लिाए प्रकिया का विनियमन;
(ख) वह रीति जिसमं ग्राम सभा धारा 232 (4) के अधीन जंगम तथा स्थावर संपत्ति अर्जित करेगी, उसे धारण या अंतरित करेगी एवं संविदाएँ आदि करेगी ; और
(ग) ग्राम सभा द्वारा फीस तथा अन्य आयों के रूप में वसूल की जाने–वाले राशियॉ;

.....

(पैंसठ) धारा 249 के अधीन मछली पकड़ने या ग्रामों में जीव–जंतुओं को पकड़ने, उनका आखेट करने या उनको गोली मारने का तथा राज्य सरकार की भूमि से किन्हीं पदार्थों के हटाने का विनियमन ;

.....

(सड़सठ) धारा 252 के अधीन ग्राम में निवास करने वाले व्यक्तियों को श्रम करने के लिए अपेक्षित करने में ग्राम सथा द्वारा अपनाई जाने वाली प्रकिया का विनियमन ;

(अड़सठ) धारा 255 के अधीन खेती तथा प्रबंध के मानदण्डों का विहित किया जाना ;

.....

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2022.